लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / First Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. II contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

गुरुवार 6 अप्रैल, 1967 । 16 चैत्र, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(x)	नीचे से पंक्ति 3 में `पारित करने का प्रस्ताव ` से पहले `संशोधित रूप में ` को पढ़िये ।

अंक 15, गुरुवार, 6 अप्रैल, 1967/16 चैत्र, 1889 (शक)
No. 15, Thursday, April 6, 1967/Chaitra 16, 1889(Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn ..	1169

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
289. उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों और कृषि औजारों का उत्पादन	Production of Fertilizers, Pesticides and Agricultural Implements ..	1169—1173
290. सिंचाई सम्बन्धी तिरुमल राव समिति का प्रतिवेदन	Thirumala Rao Committee Report on Irrigation ..	1173—1176
291. अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities ..	1176—1181
292. भारत बैरेल एंड ड्रम मैन्यू-फैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड	Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd. ..	1181—1185

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
7. राज्यों में बिजली का उत्पादन	Generation of Electricity in States ..	1185

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
293. दिल्ली में मजदूरों के लिये क्वार्टर	Quarters for Labourers in Delhi ..	1185—1186
294. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति	Lokur Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	1186—1187
295. दिल्ली वृहद योजना	Delhi Master Plan ..	1187
296. अत्यावश्यक औषधि सम्बन्धी समिति	Committee on Essential Drugs ..	1188

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
297. बम्बई में सोने की तस्करी	Gold Smuggling in Bombay ..	1188
298. पी० एल० 480 निधि	PL 480 Funds ..	1188—1189
299. चौथी योजना में शामिल परियोजनाओं के लिये अमरीका और रूस से सहायता	Aid from USA and USSR for Projects in Fourth Plan ..	1189
300. आंकड़े इक्ट्ठा करने की कार्य व्यवस्था में सुधार करना	Improving of Data Collecting Machinery	1190
301. पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड	Punjab National Bank, Ltd. ..	1190
302. बिहार में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid to meet Drought Situtation in Bihar ..	1190—1191
303. विदेशी पूंजी का विनियोजन	Foreign Capital Investment ..	1191—1192
304. सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा सोने का पकड़ा जाना	Gold Seizures by Customs and Excise Departments ..	1192—1193
305. नर्मदा घाटी पयिोजना	Narmada Valley Project ..	1193
306. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird and Co. ..	1194
308. मूल्य, मजूरी तथा लाभांश के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियां	National Policies for Prices, Wages and Dividends ..	1194
309. बैंकिंग ढांचे का समेकन	Consolidation of Banking Structure ..	1195
310. उर्वरक का उत्पादन बढ़ाना	Promotion of Fertilizer Production ..	1195—1196
311. गर्भ निरोधक सामग्री	Contraceptives ..	1196
312. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली में हड़ताल	Strike in the Hindustan Housing Factory, New Delhi ..	1197
313. बैंकों तथा बीमा कम्पनियों में नियोजित विदेशी व्यक्ति	Foreigners Employed in Banks and Insurance Companies ..	1197
314. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird & Co. ..	1198
315. योजना के लिये संसाधन	Resources for the Plan ..	1198
316. उर्वरक नीति	Fertilizer Policy ..	1199
317. धन की सप्लाई में वृद्धि	Expansion of money Supply ..	1199

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
318. विदेशी निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into Utilisation of Foreign Funds..	1199—1200
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
621. खाद्य सहायता सार्थ संघ	Food Aid Consortium ..	1200
622. उड़ीसा में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं	Major Irrigation Projects in Orissa ..	1201
623. उड़ीसा में ग्राम्य जल सम्भरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes in Orissa ..	1201—1202
624. उड़ीसा में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन	L. I. C. Investment in Orissa ..	1202
625. भुवनेश्वर में महालेखापाल का कार्यालय	Accountant-General Office at Bhubaneshwar ..	1203
626. उड़ीसा में आय कर अपवंचन के अनिर्णीत मामले	Income-tax Evasion Cases Pending in Orissa ..	1203
627. उड़ीसा को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil to Orissa ..	1203—1204
628. उड़ीसा में सिंचाई के लिये बांध	Dams for Irrigation in Orissa ..	1204
629. महाराष्ट्र के गांवों में बिजली की व्यवस्था	Rural Electrification in Maharashtra ..	1204
630. विदेशी सरकारों के खातों में बची हुई राशि का जमा किया जाना	Surplus credited to Foreign Govt. Accounts	1204
631. योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to States Under Plans ..	1205
632. नई दिल्ली में राउज् एवेन्यू क्षेत्र का विकास	Development of Rouse Avenue Area, New Delhi ..	1205
633. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme ..	1205—1207
634. विदेशी मुद्रा विनियमों के उलंघन के मामले	Foreign Exchange Violation Cases ..	1207
635. ईस्टर्न मशीनरी ट्रेडिंग लिमिटेड के श्री बी०एस० तोलानी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमनों का उलंघन	Foreign Exchange Violation by Shri B. S. Tolani of Eastern Machinery Trading Ltd. ..	1207—1208

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

637.	पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड	Palai Central Bank Ltd. ..	1208—1209
638.	मनीपुर के मानसिक रोगी	Mental Patients of Manipur ..	1209
639.	मनीपुर में स्वर्णकारों को सहायता	Relief to Gold smiths in Manipur ..	1209—1210
640.	अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति	Committee on Untouchability ..	1210
641.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनर्विलोकन	Revision of List of S. C. & S. T. ..	1210—1211
642.	बृहत बम्बई के सुधार के लिये विशेष धन	Special funds for improvement of Greater Bombay ..	1211
643.	गंडक परियोजना	Gandak Project ..	1211
644.	गोंडा जिले में तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण	Survey for Oil Exploration in Gonda Distt. ..	1211—1212
645.	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में समानता	Uniformity in Pay and Allowances of Central and State Government Employees ..	1212
646.	राज्यों में लगान की समाप्ति	Abolition of Land Revenue in State ..	1212
647.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा निर्मित क्वार्टर	Quarters built by Delhi Development Authority ..	1212—1213
648.	राज्य बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of State Bank Employees ..	1213
649.	भूतपूर्व मंत्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा अपने निवास स्थान खाली किया जाना	Vacating of Govt. Accommodation by Ex-Ministers and Ex-MPs. ..	1213—1214
650.	देश में चेचक के मामले	Small Pox cases in the country ..	1214—1215
651.	कानपुर के एक उद्योगपति पर बकाया आयकर	Income-tax arrears against a Kanpur Industrialist	1215
652.	डाक द्वारा सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling by Post ..	1215
653.	कानपुर में लूप निर्माण कारखाना	Loop Factory, Kanpur ..	1216
654.	विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार	Smuggling in Foreign Exchange ..	1216

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
655. उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत् योजनाएं	Irrigation and Power Schemes of Orissa	1216—1217
656. उड़ीसा में विद्युत जनन क्षमता	Capacity of Power Generation in Orissa ..	1217
657. जंजीबार से स्वदेश लौटने वाले एक व्यक्ति की लौंगों की खेप	Consignment of Cloves of a Repatriate from Zanzibar ..	1217—1218
658. अमरीका को उर्वरक प्रतिनिधि मण्डल	Fertilizer Delegation to USA	1218
660. मेसर्स अशोक मार्केटिंग लिमिटेड द्वारा साहू जैन ट्रस्ट को दान की गई सम्पत्ति	Property donated by M/s Ashoka Marketing Ltd. to Sahu Jain ..	1218—1219
661. रोगाणुनाशक दवाइयों (एन्टी-बाइओटिक्स) का उत्पादन	Production of Anti-Biotics ..	1219
662. सिन्दरी उर्वरक कारखाने में एमोनियम सल्फेट का उत्पादन	Production of Amonium Sulphate at Sindri Fertilizer Factory ..	1220
663. बड़े नगरों के लिये मास्टर प्लान	Master Plans for Big Cities ..	1220
664. ईंटों के यंत्रीकृत भट्ठे	Mechanised Brick Plants ..	1220—1221
665. क्षयरोग चिकित्सालय	T. B. Clinics ..	1221—1222
666. बिजली पैदा करना	Power Generation ..	1222
667. सोने का मूल्य	Price of Gold ..	1222—1223
668. उड़ीसा में इन्द्रावती परियोजना	Indravati Project in Orissa ..	1223
669. फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा का स्वदेश भेजा जाना	Repatriation of Foreign Exchange by Firms	1223
670. तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आयुर्वेद का विकास	Development of Ayurveda during Third Five Year Plan ..	1223—1224
671. आयुर्वेद के लिये साहित्यिक अनुसंधान संस्था	Literary Research Foundation for Ayurveda ..	1224
672. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme ..	1224—1225
673. नर्मदा परियोजना	Narmada Project ..	1225

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

674. गांवों में पेय जल व्यवस्था योजना	Rural Drinking Water Supply Schemes ..	1225—1226
675. हरियाना राज्य की चौथी योजना के लिए आवंटन	Allocation in Fourth Plan for Haryana State ..	1226
676. हरियाना के पिछड़े जिलों के लिए जांच समिति	Enquiry Committee for Backward Districts of Haryana ..	1226—1227
677. जन्म दर घटाने के लिए जोरदार कार्यक्रम	Crash Programme to reduce Birth Rate ..	1227
678. योजना में सम्मिलित परियोजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Plan Projects ..	1227—1228
679. राज्यों द्वारा केन्द्र को देय ऋण	Debts owed by the States to the Centre ..	1228
681. मानसिक रोग से पीड़ित सरकारी कर्मचारी	Mentally deranged Government employees	1228
682. मैसूर राज्य में सिंचाई	Irrigation in Mysore State ..	1229
683. नई दिल्ली में बस स्टैंडों पर शैडों का निर्माण	Construction of Kioska in New Delhi ..	1229—1230
684. चंडीगढ़ में नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन	Electric connections to the Tube wells in Chandigarh ..	1230
685. खम्भात की खाड़ी में खोज	Exploration in Cambay Gulf ..	1230—1231
686. दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर अफीम का पकड़ा जाना	Opium seized on Delhi U. P. border ..	1231
687. पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold at Palam Airport ..	1231—1232
688. बम्बई में घड़ियों तथा विलास सामग्री का पकड़ा जाना	Seizure of watches and luxury goods in Bombay ..	1232
689. वाशिंगटन में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Washington ..	1232—1233
690. अपर कृष्णा परियोजना और मालाप्रभा परियोजना	Upper Krishna and Malaprabha Projects	1233—1234
691. अपर तुंगभद्रा परियोजना	Upper Tungbhadra Project ..	1234
692. एक रुपये वाले नोट	One Rupee Currency Notes ..	1234
693. गुजरात में कदैाना बांध	Kadana Dam in Gujarat ..	1234—1235

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

694. तापती नदी पर पन बिजली उकई बांध	Hydro Electric Ukai Dam on Tapti River		1235
695. मैसर्स जारडाइन्न हेंडरसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	M/s Jardine Henderson and Co. Ltd., Calcutta	..	1235—1236
696. पश्चिमी कोसी नहर	Western Kosi Canal	..	1236
697. महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना	Mahanadi Delta Irrigation Project	..	1236—1237
698. परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति	Committee on Transport Policy and Co-ordination	..	1237
699. केन्द्र द्वारा बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना अथवा उनके लिये वित्त की व्यवस्था करना	Taking over or financing of major projects by the Centre	..	1237—1238
700. चौथी पंचवर्षीय योजना की सिंचाई योजनाएं	Irrigation schemes in Fourth Five Year Plan	..	1238
701. हल्दिया में तेलशोधक एवं स्नेहक तेल कारखाना	Refinery cum Lube Plant at Haldia	..	1238
702. स्वर्ण नियंत्रण आदेश	Gold Control Order	..	1238—1239
703. गर्भपात को वैध बनाना	Legalisation of Abortion	..	1239
704. दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां	Statues of National Leaders in Delhi	..	1239—1240
705. जीवन बीमा निगम का खण्डों (जोन) में विभाजन करना	Spliting of L. I. C. into Zones	..	1240
706. उच्चस्तरीय सिंचाई आयोग	High Level Irrigation Commission	..	1240
707. केन्द्रीय आवास बोर्ड	Central Housing Board	..	1241
708. वार्षिकी जमा	Annuity Deposits	..	1241
709. मैसर्स चान्दमल्ल बाटिया की फर्में	Firms owned by M/s Chandmall Batia	..	1241—1242
710. अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद क्षात्रवृत्तियां	Post matric Scholarships to Scheduled Tribes Students	..	1242
711. पीने के पानी की कमी	Scarcity of Potable Water	..	1242—1243
712. पलाई सेंट्रल बैंक	Palai Central Bank	..	1243

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	SUBJECT	PAGES
713. मध्य प्रदेश में सिन्ध नदी पर बांध	Dam on Sindh River in Madhya Pradesh	1243
714. केरल में तापीय संयंत्र	Thermal Plant in Kerala , ..	1244
715. जिला कछार (आसाम) में बराक बांध	Barak Dam in Cachar District (Assam)..	1244
716. बाढ़ नियंत्रण	Flood Control ..	1245
717. बाढ़ की रोक थाम के लिए आसाम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Assam for Flood Control ..	1245
718. राजस्थान से आसाम को निषिद्ध अफीम का चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of contraband opium from Rajasthan to Assam ..	1245—1246
719. अन्दमान चिकित्सा विभाग के कनिष्ठ पुरुष परिचारक (जूनियर मेल नर्स)	Junior Male Nurses of Andaman Medical Department ..	1246
720. अन्दमान चिकित्सा विभाग के कनिष्ठ पुरुष परिचारकों का प्रशिक्षण	Training of Junior Male Nurses of Andaman Medical Department ..	1246—1247
721. विद्यार्थियों को विदेशों में विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Release of Foreign Exchange to Students abroad ..	1247—1248
722. विवाह योग्य आयु	Marriageable Age ..	1248
723. यूनिट ट्रस्ट	Unit Trusts ..	1248—1249
724. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता	Dearness Allowance for the Employees of the Hindustan Housing Factory, New Delhi. ..	1249
725. भारत में सिंचाई की स्थिति के बारे में इजराइल विशेषज्ञ की रिपोर्ट	Israel Experts' Report on Irrigation Conditions in India ..	1249--1250
727. पटना को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित किया जाना	Declaration of Patna as 'B' Class City ..	1250
728. उर्वरक उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Investment in Fertilizer Industry	1250
729. कुष्ठ रोग से, मुक्ति पाने वाले व्यक्तियों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of persons cured from Leprosy ..	1250—1251

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
730.	अप्रयुक्त विदेशी सहायता	Unused External Assistance ..	1251
731.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारी	L. I. C. Employees ..	1251—1252
732.	गाजीपुर अफीम कारखाने की प्रयोगशाला में अटेन्डेन्ट	Attendants in Ghazipur Opium Factory Laboratory ..	1252
733.	परिवार नियोजन का प्रशिक्षण	Training in Family Planning ..	1252—1253
734.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले	Eastern Districts of U. P. ..	1253
735.	आंध्र प्रदेश में पुलिवेंडाला नहर परियोजना	Pulivendala Channel Scheme, in Andhra Pradesh ..	1253—1254
736.	चौथी योजना के लिए अपेक्षित विदेशी सहायता	Foreign Aid Required for Fourth Plan ..	1254—1255
737.	फर्टीलाइजर्स ऐंड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय	Fertilizers and Chemicals Travancore (Ltd). Alwaye ..	1255—1256
738.	लूप के प्रयोग से होने वाली शारीरिक खराबियां	Internal discorders caused by Loop ..	1256
739.	विदेशी फर्मों की तलाशियां	Searches of Foreign Firms ..	1257
740.	मैसर्स जारडाइन हैण्डर्सन लिमिटेड, कलकत्ता	M/s Jardine Handerson Ltd., Calcutta ..	1257—1258
741.	नर्मदा घाटी परियोजना	Narmada Valley Project ..	1258
742.	होमियोपैथी	Homoeopathy ..	1258
743.	दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियां	Housing Cooperative Societies in Delhi ..	1259
744.	आसाम के पहाड़ी जिलों को सहायक अनुदान	Grants-in-aid to Hill Districts of Assam ..	1259—1260
745.	तपेदिक का इलाज	Treatment of T. B. ..	1260—1261
746.	जाली बैंक ड्राफ्टों को बेचने वाले गिरोह का पता लगाया जाना	Forged Bank Draft Racket Unearthed ..	1261
747.	नागार्जुन सागर बांध	Nagarjunasagar Dam ..	1261
748.	तुंगभद्रा उच्चतल नहर	Tungabhadra High level canal ..	1262
749-क.	रूस से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब	Delay in the Execution of Russian aided Projects ..	1262—1263

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
ब्रिटेन द्वारा सैनिक अड्डों के लिए हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद के प्रस्ताव का तथाकथित समाचार	Alleged Proposal for purchase of Islands in Indian Ocean by U. K. for Military bases ..	1263—1266
श्री जार्ज फरनेडीज	Shri George Fernandes ..	1263
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla ..	1263
पंजाब की स्थिति के बारे में	Re. Situation in Punjab ..	1266
सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ..	1267—1270
मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Personal Explanation of Minister ..	1270—1272
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	1270—1271
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	1271
भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक	Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill ..	1272—1293
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	1272
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati ..	1272
श्री चिंतामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi ..	1272—1273
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta ..	1273
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao ..	1273—1274
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ..	1274—1275
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	1275—1276
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	1276
श्रीमती गंगा देवी	Shrimati Ganga Devi ..	1277
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey ..	1277—1278
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai ..	1278
श्री नंजा गौडर	Shri Nanja Gowder ..	1278
श्री शिन्दे	Shri Shinde ..	1278—1280
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended ..	1280—1293
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra ..	1291
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte ..	1291

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata	..	1291
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	..	1291
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	..	1291
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	..	1291
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	..	1291
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	..	1291—1292
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	..	1292
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	..	1292
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	..	1292
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	1292
श्री मोहम्मद इमाम	Shri Mohmed Imam	..	1292
श्री शिन्दे	Shri Shinde	..	1292
सभा का कार्य	Business of the House	..	1293—1294
खनिज उत्पादन (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक	Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Bill		1295—1297
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	..	1295
श्री कृष्ण चन्द पन्त	Shri K. C. Pant	..	1295
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	..	1296
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	..	1296
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	1297
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	..	1297

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 6 अप्रैल, 1967/16 चैत्र, 1889 (शक)
Thursday, April 6, 1967/Chaitra 16, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
Members Sworn

1. श्री इरासमो डि जीसेस सेक्वीरा
(गोआ, दमण और दीव) * [अंग्रेजी]
2. श्री देवप्पा गुरुलिंगप्पा पाटिल (मैसूर) [कन्नड़]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों और कृषि औजारों का उत्पादन

*289. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों और कृषि उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चे माल और साज-सामान के आयात के लिए उदारता बरतने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

* सदस्य के नाम के आगे दिखाई गयी भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी में शपथ ली थी ।

*The language shown against the name of a member indicates that he took oath in that language.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में, रासायनिक खाद, हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं और कृषि-उपकरणों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों और फालतू कलपुर्जों के आयात से सम्बन्धित नीति को, यह मानते हुए, जून 1966 से ही नरम बना दिया गया है कि उपर्युक्त उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निर्यात सम्बन्धी नरम नीति वाली योजना के अनुसार, जो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों पर लागू होती है, शुरू की छः महीने की अवधि की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात लाइसेंस दे दिये जाते हैं और उसके बाद जैसे ही कारखाने अपने प्रारम्भिक लाइसेंस के मूल्य के 90 प्रतिशत भाग के लिए साख-पत्र प्राप्त कर लेते हैं या उसके 70 प्रतिशत भाग के बराबर के मूल्य का माल मंगा लेते हैं, तो वे अनुपूरक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : जैसा उप-प्रधान मंत्री जी ने बताया है, इन उद्योगों के प्रति दिखाई गई उदारता की प्रतिशतता क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : किसी मात्रा का कोई प्रश्न नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। अतः कोई प्रतिशतता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस बारे में कार्यवाही की गई है कि ये लाइसेंस चोर बाजार में न बेचे जायें ? यदि हां, तो क्या लाइसेंस उन ही व्यक्तियों को दिये जायेंगे जो इन चीजों को बनाते हैं और उर्वरक और कीटाणुनाशक पदार्थ बनाते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बात की गारन्टी नहीं करता कि इनका दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन हम इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग न हो।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कीटाणुनाशक औषधियां बनाने वाले सरकारी कारखानों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और फलस्वरूप उनमें कम उत्पादन होता है। यदि हां, तो उनमें उत्पादन-प्रधान प्रयास करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि कोई उदाहरण पेश किया जाय तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। सामान्यतौर पर इसका उत्तर देना कठिन है।

श्री बाबू राव पटेल : ये कीटनाशक औषधियां कार्बनडाइ सल्फाइट, केल्शियम सियानाइड, मेथील ब्रोमाईड और डी० डी० टी० जैसे खतरनाक रसायनों से बनाई जाती हैं। कीटनाशक औषधियों के प्रयोगों के बारे में नवीनतम अनुसंधान के बारे में अमरीका से पता चला है। स्वतंत्र रूप से काम कर रहे वैज्ञानिकों ने जो रसायन कारखानों में नियोजित नहीं हैं भिन्न राय प्रकट की है।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये । किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बाबू राव पटेल : अपने देश में कीटनाशक औषधियों के उत्पादन के लिए कीमती उपकरण और कच्चा माल आयात करने से पूर्व क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त करने को तैयार है कि विभिन्न कीटनाशक औषधियां इस्तेमाल करके उगाये गये फलों और अनाजों में कितना जहरीला तत्व होता है और फलस्वरूप लोक-स्वास्थ्य को कितना खतरा होता है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं समझता हूं कि एक समिति नियुक्त की गई थी और इसकी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं । ब्योरा मैं इसलिए नहीं दे सकता कि उसका इस मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या मंत्री महोदय ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों के आयात पर से उत्पादन-शुल्क कम करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री मोरार जी देसाई : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कंडप्पन : सबको पता है कि अतिरिक्त पुर्जों के अभाव में अनेक ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कृषि उपकरणों का आयात करते समय ट्रैक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों के आयात को प्राथमिकता देगी ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य यह प्रश्न कृषि मंत्रालय से पूछें ।

श्री शशि रंजन : वास्तव में होता यह है कि उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाते हैं और परियोजनाओं की कार्यान्विति राज्य सरकारें करती हैं । राज्य सरकारें कारखाने लगाने में बहुत अधिक समय लेती हैं । क्या मंत्री महोदय समय-समय पर इस बात की जांच करेंगे कि क्या जारी किये गये आयात लाइसेंसों का समय पर उचित प्रयोग किया गया है और राज्य सरकारों ने इसमें अत्यधिक विलम्ब तो नहीं किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : वित्त मंत्रालय के अधिकार सीमित हैं । वे पर्यवेक्षण का कार्य नहीं करते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से कहा है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध साधनों से आर्गेनिक खाद बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाये ?

श्री मोरारजी देसाई : जो भी कुछ हम यहां बना सकते हैं, हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि इस बारे में कोई सुझाव दिये जाते हैं तो हम माननीय सदस्यों के बड़े आभारी होंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस देश में संसाधन बहुत हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसीलिए सुझाव देने की प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री रा० बरुआ : इस बारे में जारी किये गये कितने आयात लाइसेंस मूल्यांकन के बाद वापस कर दिये गये या इस्तेमाल नहीं किये गये ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे पास ब्योरा नहीं है। यदि प्रश्न की पृथक सूचना दी जाये तो मैं जानकारी दे सकूंगा।

श्री० आर० के० अमीन : रुपये के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के महत्व को देखते हुए और लाइसेंसों को लाभ पर चोर बाजार में बेचे जाने की संभावनाओं को देखते हुए क्या वह लाइसेंसों को नीलाम करने और लाइसेंसों से प्राप्त आय को किसानों को राजसहायता के रूप में देने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री मोरार जी देसाई : इससे मूल्य बढ़ जायेंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ये चोर बाजार में नहीं बेचे जायेंगे। आयात की जाने वाली इन वस्तुओं के बारे में, जो चोर बाजार में जा रही हैं, वह क्या गारंटी दे सकते हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह देखा जाये कि ये वस्तुएं चोर बाजार में न जाने पायें। क्या इन 15 वर्षों का अनुभव होने पर सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है या करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार अपने सामर्थ्य भीतर जो कुछ हो सकता है, वह करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री आर० के० अमीन : इसीलिये मैंने लाइसेंस नीलाम करने का सुझाव दिया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आर्गेनिक खाद के बारे में प्रश्न पूछा था।

श्री मोरारजी देसाई : आर्गेनिक खाद का काम वित्त मंत्रालय का नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से कहा है कि वह संभावनाओं का पता लगाये ? मुझे पता है कि आप कहेंगे "नहीं"।

श्री के० सूर्य नारायण : उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों और कृषि उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चा माल और उपकरण गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा आयात किये जायेंगे या सरकारी एजेन्सियों द्वारा ?

श्री मोरारजी देसाई : ये लाइसेंस गैर-सरकारी एजेन्सियों और सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों—दोनों—को दिये जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : देश में उर्वरक उद्योग और भारत के उर्वरक निगम से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर दिये गये वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उर्वरक के उत्पादन के लिए किन-किन कच्चे माल का आयात करना चाहती है जबकि यह कहा जा रहा है कि आवश्यक कच्चे माल के संसाधन देश में उपलब्ध हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे पास उनकी सूची नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : नैफ्था की बजाय तरल अमोनिया के आयात के मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे साथी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ।

श्री वासुदेवन नायर : इस वित्त मंत्री को किसी भी बात का पता नहीं है ।

Shri K. N. Tiwary: Mr. Speaker, Sir, yesterday, it was decided that there will be only 5 supplementaries on one question. This has also appeared in press. But the same position is going on.

अध्यक्ष महोदय : 15 प्रश्नों के बाद भी इतने व्यक्ति खड़े हो रहे हैं । मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री पाशाभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय को पता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों के निर्माण के लिये कई कारखाने खोले जाते हैं और उनमें उनकी क्षमता के अनुसार उत्पादन होने से पूर्व ही, जबकि उनके पास पुर्जों और कच्चे माल की कमी होती है, अमरीका और अन्य योरोपीय देशों से पूरे ट्रैक्टर आयात किये जा रहे हैं । क्या सरकार को इस बारे में कुछ कहना है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बारे में जांच करूंगा ।

Thirumala Rao Committee Report on Irrigation

\+

*290. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the steps taken by Government to implement the recommendations of the Study Team headed by Shri Thirumala Rao for studying the system of irrigation ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तिरुमल राव समिति, जिसको लघु सिंचाई दल भी कहते हैं, योजना आयोग की योजना-परियोजनाओं से सम्बन्धित समिति द्वारा 1959 में स्थापित की गई थी । इसका कार्य भारत के विविध राज्यों में लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण, रखरखाव, प्रचालन तथा उनके वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में उनकी दक्षता का अध्ययन करना था । भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर अखिल भारतीय लघु सिंचाई कार्यों पर एक प्रकाशन निकाला गया । इस प्रकाशन को और अलग-अलग राज्यों से सम्बन्धित रिपोर्टों को सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास अगली कार्रवाई के लिये भेज दिया गया ।

इस समिति का एक सुझाव, एक उच्च स्तरीय अखिल भारत सिंचाई आयोग स्थापित करने के बारे में है, जो कि सिंचाई व बिजली मंत्रालय से भी सम्बन्धित है । इस आयोग को

संसाधनों के स्थान, उनके यांत्रिक आंकन, सिंचाई शक्यता की उत्पत्ति और द्रुत उपयोग की सम्भाव्यता का अखिल भारतीय दृष्टिकोण से, सत्य-आर्थिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य पहलुओं के साथ, अध्ययन करना है। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है और इसे अगले महीने को होने वाली सिंचाई व बिजली मंत्रियों की बैठक में रखा जाएगा।

Shri Bibhuti Mishra : In 1959 a committee for minor irrigation was constituted under the chairmanship of Shri Thirumal Rao. They submitted their report on 25th June, 1966 and now their recommendations are before us. Thus about 9 years were wasted in preparing the report. I want to know the steps being taken by Government in connection with minor irrigation if they want to increase food production.

डा० कु० ल० राव: माननीय सदस्य से यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछना चाहिये क्योंकि छोटी सिंचाई उनके प्रभार में है। सिंचाई मंत्रालय केवल बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं के बारे में कार्यवाही करता है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : फिर आपने यह प्रश्न क्यों मंजूर किया ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक बड़ी सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है, एक उच्चस्तरीय अखिल भारत सिंचाई आयोग स्थापित करने के बारे में सिफारिश की गई है। 1901-03 में भी एक ऐसा ही आयोग बनाया गया था। ऐसा आयोग स्थापित करने के लिये हमें विभिन्न मंत्रालयों को बुलाकर देखना होगा कि यह कहां तक सम्भव है। इसमें धन भी खर्च होगा। आयोग देश भर में घूमेगा। मैंने यह सोचा है कि पहले इस बारे में अगले महीने के मध्य में होने वाली सिंचाई मंत्रियों की बैठक में विचार किया जाये।

Shri Bibhuti Mishra : On a point of order, Sir, It is mentioned in the report that our plan should be production oriented and not revenue oriented. Also our irrigation is defensive and not offensive. So I want that the Hon. Minister should give a reply.

डा० कु० ल० राव : भारत सरकार ने देश में बड़ी संख्या में सिंचाई योजनाओं पर कार्य किया है। वास्तव में इस देश में जो सिंचाई क्षमता बनाई गई है वह पिछले 15 वर्षों में किसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा बनाई गई सिंचाई क्षमता से अधिक है। मैं नहीं समझता कि सरकार इन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में कार्य करने के अतिरिक्त और क्या कर सकती है।

श्री विभूति मिश्र : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी सिंचाई परियोजनाएं राजस्व-प्रधान हैं या उत्पादन-प्रधान ?

डा० कु० ल० राव : उत्पादन-प्रधान। जहां तक सिंचाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, हमें पता है कि उनसे कोई विशेष आय नहीं होती। सिंचाई केवल अनाज के उत्पादन के लिये होती है।

Shri K. N. Tiwary : The tube-well channels in North Bihar are broken and full water does not reach the area. Secondly tube-wells are generally out of order. I want to know as to how much money has been spent on minor irrigation and how much agricultural production was yielded. Has any study been made into this matter and if so, what are the results ?

डा० कु० ल० राव : नलकूप, छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत आते हैं, जो कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन है। हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री क० ना० तिवारी : सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में उन्होंने यह बात कही है।

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने नलकूपों के बारे में एक प्रश्न पूछा है कि वे कैसे चल रहे हैं, उन पर कितना धन खर्च किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय दे सकेगा।

श्री क० ना० तिवारी : ये सब बातें सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में दी गई हैं। नलकूप छोटी सिंचाई में आते हैं, फिर वे उत्तर क्यों नहीं दे रहे ? यदि इस प्रश्न का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्ध है तो यह उनको भेजा जाता। वह क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रश्न का उनसे सम्बन्ध नहीं था तो उनको यह प्रश्न स्वीकार नहीं करना चाहिये था।

श्री हेम बरुआ : यह बताया गया है कि बिहार में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये आवंटित निधि सिंचाई पर खर्च नहीं की गई और वह कुछ व्यक्तियों की जेबों में चली गई। यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में कोई जांच की है और यदि की है, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

डा० कु० ल० राव : मैं बता चुका हूँ कि छोटी सिंचाई का मेरे मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य बिहार या कहीं और के बारे में बड़ी या मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में प्रश्न पूछें, तो मैं उत्तर दे सकूंगा। गलती से यह प्रश्न मेरे मंत्रालय द्वारा मंजूर कर लिया गया।

श्री तिरुमल राव : मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। यह समिति योजना आयोग की योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के बारे एक समिति थी जिसको योजना परियोजनाओं के अध्यक्ष, भूतपूर्व गृह मंत्री ने नियुक्त किया था। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय और इस समिति के बीच क्या सम्बन्ध है कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार किया। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि इनको और पृथक-पृथक राज्यों की रिपोर्टें अग्रेतर कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। क्या मंत्रालय ने इन रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियां दी हैं और फिर राज्य सरकारों से कहा है कि वे इन टिप्पणियों पर विचार करें अथवा इनके बारे में अपना मत स्पष्ट करने से पूर्व केवल उनकी राय मांगी गई है। दूसरी बात यह है.....

अध्यक्ष महोदय : जबकि यह मेरी गलती है कि यह प्रश्न इस मंत्रालय को भेजा गया है, अब इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ? मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छोटी सिंचाई किसी अन्य मंत्रालय के अधीन है। अतः अब अगला प्रश्न लिया जाये।

श्री द्वा०ना० तिवारी : यह प्रश्न बड़ी सिंचाई के सम्बन्ध में भी है। यदि इसका सम्बन्ध खाद्य मंत्रालय से है तो वह जानकारी एकत्र करके अगले सत्र में हमें जानकारी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है।

श्री शशि रंजन : ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

+

*291. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री च० चु० देसाई :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री मद्दी सुदर्शनम :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री खगपति प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री एम०एन० नघनूर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में गत तीन महीनों में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों में मूल्य गिरे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के लिये कोई ठोस उपाय किये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). पिछले तीन महीनों में अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में आमतौर पर वृद्धि हुई है। लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है और सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-265/67] जिसमें उन वस्तुओं और स्थानों का ब्योरा दिया गया है जहां मूल्यों में कमी होने की सूचना मिली है।

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों का बढ़ना रोकने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनमें, अन्य उपायों के साथ-साथ, अनाज, रासायनिक खाद और पेट्रोलियम से बनी चीजों के लिए राजसहायता देना, उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से आयात नीति को नरम करना, उपभोक्ता सहकारी स्टोरों की संख्या में वृद्धि करना, बड़े-बड़े शहरों में बहुविभागी स्टोर खोलना और असैनिक सम्भरण आयुक्त (सिविल सप्लाईज कमिश्नर) की नियुक्ति करना शामिल है, ताकि जरूरत पड़ने पर अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में सुधार की कार्रवाई की जा सके। सरकार ने, मांग के दबाव को बढ़ने से रोकने के लिए राजस्व और मुद्रा संबंधी संयम की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

Shri S. C. Samanta: What are the main reasons for increasing the prices of essential commodities and the steps Government have taken to bring them down?

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका अनुवाद इंगलिश में कर देंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के क्या-क्या मुख्य कारण हैं और उनको कम करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं । मूल्य में वृद्धि के मुख्य कारण अन्न के मूल्यों में वृद्धि, कृषि सम्बन्धी उत्पादन व्यय में वृद्धि तथा दो वर्ष से सूखा पड़ना है । मैं यह नहीं कहूँगा कि इसके अतिरिक्त अन्य कारण नहीं हैं, परन्तु यह मुख्य कारण हैं । इसको दूर करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि हम उत्पादन बढ़ायें। जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है । जहां तक दूसरे पग उठाने का प्रश्न है, मैं अपने उत्तर में यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ ।

Shri S. C. Samanta: Whether any suggestion for determining production prices was or was not offered by the Food Grain Inquiry Committee and whether the Government propose to appoint a committee like Agricultural Royal Commission on it?

Shri Morarji Desai: So far as the question of appointing a committee to increase the food production is concerned, the production will not increase by merely appointing a committee. For this, it is necessary to help the farmer and to tell him.....

श्री स० चं० सामन्त : मैं उत्पादन व्यय के सम्बन्ध में कह रहा हूँ ।

Shri Morarji Desai: We will have to co-operate for reducing the cost of production. The cost of production will naturally increase if we increase the prices of all the commodities, including labour. If the production per acre increases, the cost of production will go down and it is because of this the Government have adopted several measures in this regard. This includes providing seeds of good quality, better implements, better arrangements for water and providing better fertilizer. We have been taking necessary steps in this respect.

श्री स० चं० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सब वस्तुओं का उत्पादन व्यय नियत करने के लिये कोई समिति नियुक्त की जा रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : समिति द्वारा उत्पादन व्यय नियत करना व्यवहारिक कदम नहीं होगा । यह अलग मामला है कि वह इस पर निगरानी रखे और उत्पादन व्यय कम करने के लिये कदम उठाये । इस सम्बन्ध में बार-बार पूछताछ की जाती है और इस सम्बन्ध में प्रत्युपाय किये गये हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : खाद्यान्न जांच समिति ने यह सुझाव दिया था कि खाद्यान्न के व्यापार में सौदेबाजी के ही कारण मूल्य में वृद्धि हो रही है । इसके ऊपर सरकार का कोई

नियंत्रण नहीं है । इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि खाद्यान्न के थोक व्यापार में अधिक सामाजिक नियंत्रण होना आवश्यक है ।

क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्य कर रही है या कार्य करने का विचार रखती है ?

श्री मोरारजी देसाई : खाद्य निगम की स्थापना इस प्रश्न को सुलझाने का एक उपाय था ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कलकत्ते के समाचार-पत्रों में खाद्य निगम द्वारा खराब खाद्यान्न की नीलामी की सूचना दी गई है । इससे कितनी क्षति हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वित्त मंत्री किस प्रकार दे सकते हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कितनी क्षति का अनुमान है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री मद्दी सुदर्शनम : अधिक उत्पादन के लिये क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये जाने हैं उन पर विचार किया जा रहा है । यदि इस सम्बन्ध में और सुझाव भी प्राप्त हुये तो उनको सहर्ष स्वीकार किया जायेगा ।

श्री रा० बरुआ : कम उत्पादन के प्रश्न के अलावा, अधिक मुद्रा उपलब्धि, पी० एल० 480 रुपये निधि के प्रयोग का भी सीधा प्रभाव अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ा है । क्या कम से कम इनको आंशिक रूप से रोकने के लिये सरकार कुछ उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुद्रा की अधिक उपलब्धि का प्रश्न विचाराधीन है और इसकी उपलब्धि जहां तक सम्भव होगा कम की जायेगी । पी० एल० 480 निधि के उपयोग का प्रश्न भी विचाराधीन है । उन निधियों का उपयोग किया जा रहा है । इससे अधिक धनराशि की उपलब्धि होती है, यह सच है । परन्तु हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत अन्न को प्राप्त करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता है ।

श्री मु० न० नाधनूर : सरकार ने यह सूचित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की थी कि उसने विभागीय तथा उपभोक्ता स्टोर खोलने के लिये कदम उठाये हैं । यह संस्थाएं केवल शहरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी । क्या सरकार ग्राम क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भी इसी प्रकार के कदम उठायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : सम्भव है कि यह सहकारी स्टोर सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में खोले जायें । ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य सहकारी समितियों द्वारा किया जाना चाहिये । यदि सहकारी समितियां इस सम्बन्ध में कार्य करती हैं तो सरकार उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन देगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय उप-प्रधान मंत्री ने प्रश्न को आवश्यकता से अधिक सरल समझा है । अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का कारण न केवल सामान्य से नीचे उत्पादन है बल्कि सरकार के अधिक व्यय के कारण मुद्रा प्रसार, जमाखोरों पर नियंत्रण की कमी, चोर-

बाजारी, और असामाजिक तत्व भी हैं। अत: मैं उप-प्रधान मंत्री से इस प्रश्न पर विस्तार से उत्तर चाहूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमत कम करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं, और घटकर फिर क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है। यह क्या क्रियाविधि है जिसके अनुसार इतनी जल्दी मूल्य बढ़ते हैं फिर इतनी जल्दी मूल्य घट जाते हैं और फिर शीघ्र ही दुबारा मूल्य बढ़ जाते हैं। क्या मंत्री महोदय ने इसका अध्ययन किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने मूल्य की वृद्धि के जो कारण दिये हैं वह ठीक हैं। मेरा उनसे इस विषय में कोई विवाद नहीं है। सरकार यथाशक्ति कदम उठा रही है। कुछ लिये गये कदमों का उल्लेख मैंने अपने उत्तर में भी दिया था।

श्री दी० चं० शर्मा : उन उपायों के क्या ठोस परिणाम निकले ?

श्री मोरारजी देसाई : परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं हैं।

Shri S. M. Joshi: Is it not a fact that the wholesale trade of foodgrains is in the hands of private individuals. The prices are rising due to it and the Zones prepared therein.

Shri Morarji Desai: These also may be the reasons. All these matters are expected to be discussed with all the Chief Ministers.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार मूल्यों के वृद्धि के कारणों का अध्ययन करने तथा उनको नियंत्रण करने के उपायों को ढूंढ़ने के लिये कोई उच्चस्तरीय समिति गठित करने का विचार रखती है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं समझता कि इस प्रयोजन के लिये कोई समिति लाभदायक सिद्ध होगी। क्योंकि यह एक सुझाव है जिस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai: Whether the Government have been aware of the fact that the essential commodities are not available in the market at the rates announced on radio. If so, whether the Government after investigating the matter, would take action against the people who do not sell the essential commodities at the rates announced on radio.

Shri Morarji Desai: If any special complaint has been made that the essential commodities are not available in the market at the rates announced on radio, the investigation would be made and appropriate steps would be taken in this regard.

Shri Hukam Chand Kachwai: Complaint can be made. Whether the Government has made any investigation in this matter?

Shri Morarji Desai: I have not received any complaint in this matter.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या माननीय उप-प्रधान मंत्री सभा को विश्वास दिलायेंगे कि किस आधार पर सरकार यह अनुमान लगाती है कि मूल्यों में वृद्धि का कारण खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि व खेती सम्बन्धी उत्पादन में अधिक व्यय है। जबकि लगातार कितने ही साल सरकार के बाजार मंत्रणाकार इस पर अध्ययन और अनुसंधान करते रहे और उनका मत था कि

मूल्यों की वृद्धि का किसी और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ने से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में उनकी तुलना में मूल्य बहुत कम हैं। अपने सभा-पटल पर रखे गये विवरण का वह किस प्रकार समाधान करेंगे जिसमें कहा गया है कि बहुत सी खेती सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई परन्तु निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के कम होने से इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद भी मैं अपने दिये गए विवरण पर दृढ़ हूं। इसको समझने के लिये केवल सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है और वह यह कि जब अन्न का मूल्य बढ़ता है तो और भी चीजों के मूल्य बढ़ते हैं। अन्न के मूल्य बढ़ने का कारण है अन्न की कमी। पिछले साढ़े तीन सालों में इसमें इन्हीं कारणों से मूल्य में वृद्धि हुई है। योजना पर अधिक व्यय, रक्षा पर व्यय और अन्य बहुत सी बातें मूल्य में वृद्धि के लिये उत्तरदायी हैं। परन्तु अधिक उत्पादन द्वारा इन सब विरोधी कारणों को दूर किया जा सकता है। यदि अधिक उत्पादन होगा तो खाद्यान्नों के मूल्यों में स्वभावत: कमी होगी। तब मेरे माननीय मित्र यह मांग करेंगे कि खाद्यान्नों की वसूली कीमत बढ़ाई जाये। यह भी मूल्य बढ़ने का एक कारण है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने स्वयं ही सभा-पटल पर विवरण रखा था जिसमें कहा गया है कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का मूल्य निर्मित वस्तुओं से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : अस्थायी उतार-चढ़ाव है और केवल कुछ ही जगहों में है, सब जगह नहीं। कुछ तो नियतकालिक हैं।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, Hon. Minister has just told the House that prices have increased due to short of foodgrains. But he should know that where there have been non-Congress Ministries, the prices of foodgrains have fallen. On the other hand where there have been Congress Ministries, the prices of foodgrains have increased....(**Interruptions**.) I want to know whether the Hon. Minister would take some such steps so that the prices of foodgrains may fall in the country? I want to know why not the steps of adopting one policy in this respect be taken so that the hoarding of foodgrains may also be checked.

Shri Morarji Desai : The fact is otherwise. In fact the prices of rice have fallen in Gujarat, Mysore, U. P., West Bengal and Himachal Pradesh. Out of these five, three have got Congress Governments.....(**Interruptions**)

The price of grain has fallen in Gujarat, Maharashtra and Kerala. Out of these, two have got Congress Governments. The price of Coconut has fallen in Assam, Gujarat, Kerala, Madras and West Bengal. Out of these two have Congress Governments whereas three have non-Congress Governments.....(**Interruptions**)

Shri Mani Bhai J. Patel : I want to draw the attention of the Hon. Minister towards the continuous rising of prices of the commodities for the last twenty years. Whether there has been any provision to check it up. So that the average increase in the price of each of the com modities may be known.

Shri Morarji Desai: The facts have already been told. If you want to know it again you have to give a separate notice again.

श्री हेम बरुआ : माननीय उप-प्रधान मंत्री कुछ भी कहें पर गैर-कांग्रेसी सरकार शासित राज्यों में विशेष रूप से मूल्यों में कमी हुई है। इससे ज्ञात होता है कि कांग्रेस के शासन में जमाखोरों ने देश में बनावटी कमी बनाई हुई थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वह क्या कदम उठायेंगे ताकि जमाखोर देश में फिर से बनावटी कमी की स्थिति पैदा न कर सकें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं यह कहूंगा कि इस प्रश्न में सदस्य महोदय का आक्षेप ठीक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसी प्रश्न को दोहराया जा रहा है।

श्री मोरारजी देसाई : उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य सच नहीं है। उनके कथनानुसार यह मूल्यों में कमी सबसे पहले गैर-कांग्रेसी राज्य में हुई थी। ऐसा सच नहीं है। यह एक ही साथ बहुत से राज्य में हुआ। अतः यह कहना कि कांग्रेस राज्य ने उनका अनुकरण किया, गलत है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि गैर-कांग्रेसी राज्यों ने कांग्रेस राज्यों का अनुकरण किया। यह भी तथ्य नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता। मेरे माननीय मित्र ने तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। मैंने तथ्य प्रस्तुत किये हैं जो उन्हें स्वीकार नहीं हैं।

Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd.

*292. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 185 on the 9th November, 1966 and state the action taken by the Indian Oil Corporation in the matter of black-listing of the Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (Private) Ltd.?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : सम्बन्धित मामले अभी निर्णयाधीन हैं। कोई और कार्यवाही करने से पहले सरकार न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करेगी। इस सम्बन्ध में यद्यपि मंत्रालय ने विभिन्न उपक्रमों के साथ करार के अनुसार फरवरी, 1966 में आदेश जारी किये थे कि उन सारे उपक्रमों को मानकित नियम-संहिता का अनुसरण करना चाहिये, लेकिन मई, 1966 तक भारतीय तेल निगम ने ब्लैक लिस्ट किये गये फर्म पर आर्डर दिये। कुछ जवाब तलबी रिकार्ड पर है कि यह कैसे हुआ किन्तु इसमें और जांच की आवश्यकता है, जो हो रही है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, this firm was black-listed in January, 1964 for illegal activities. The Indian Oil Corporation was not informed about it for about two years and the company was given quotas and contracts even after it. Keeping in view these facts may I know whether Government have conducted any inquiry to find out the causes for allowing this company to continue such illegal activities? What are the reason for delay and to encourage such firm to indulge in illegal activities?

श्री कोत्ता रघुरामैया : इस फर्म को 1964 में काली सूची में रखा गया था। मंत्रालय

में 1964 में ही भारतीय तेल निगम को पत्र द्वारा इस फर्म को काली सूची में रखे जाने के बारे में सूचित कर दिया था। मैं फाइल में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जानकारी दे रहा हूं।

Shri Madhu Limaye: On which date?

अध्यक्ष महोदय : तारीख के बारे में पूछा गया है।

श्री कोत्ता रघुरामैया : 21 मई, 1964 को पत्र भेजा गया था। यह सच है कि 1966 तक इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था कि सरकार द्वारा किसी फर्म को काली सूची पर रखे जाने पर किसी सरकारी उपक्रम द्वारा भी उसे काली सूची में रखा जाना चाहिये। यह निर्णय, 1966 में किया गया था। किन्तु काली सूची में रखे जाने के बारे में उसे यह समझ कर जानकारी दी जाती रही थी कि यह निगम इस सम्बन्ध में इस फर्म को काली सूची में रखा मानकर कार्य करेगा, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। फाइल की आगे जांच करने पर हमारे सामने यह बात आई कि निगम के पावती पंजी में इस पत्र की प्रविष्ट को रद्द किया गया था और जिससे फरवरी, 1966 के बाद क्रयादेश देने वाले अधिकारियों को इस पत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारतीय तेल निगम का कहना है कि इस पत्र की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि में "भारत बैरल्स" नाम नहीं था। इन सभी परिस्थितियों की जांच की जानी चाहिये और हम यही कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye: According to my information there is an appeal against this firm in the Supreme Court and also there is one writ petition against the Government filed by this firm in the Punjab High Court. May I know whether the Punjab High Court has passed an order for not implementing the orders relating to black listing this firm? May I also know the value of contracts given and quotas allotted to this firm during these two years? This case is one year old, we should at least be given information now.

श्री कोत्ता रघुरामैया : 17 जून, 1966 को तार द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश मिले थे कि काली सूची में रखे जाने के बारे में जनवरी, 1964 के आदेश को 12 जुलाई, 1966 तक स्थगित किया जाये। बाद में 18 जुलाई, 1966 को पंजाब उच्च न्यायालय से आदेश मिला कि अगले आदेश तक काली सूची में रखे जाने का आदेश रद्द किया जाए। जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है कि मई, 1966 के बाद उस फर्म को कोई क्रयादेश नहीं दिया।

Shri Madhu Limaye: We have been asking for this information for the last one year, but no information has been given so far. What is the reason for it? How much quota of steel was allotted to this firm?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा होगा, किन्तु प्रश्नकाल में नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के प्रमुख श्री जालान हैं, जो एक बड़े उद्योगपति हैं। जब इस फर्म को काली सूची में रखा गया था, तो इसे 1964 से 1966 तक यह सब सामान क्यों दिया गया, कोटे और लाइसेंस क्यों दिये गये और संभरण तथा निबटान महानिदेशालय के माध्यम से क्रयादेश कैसे दिये गये? क्या यह सच है कि यद्यपि इस

फर्म को काली सूची में रखा गया था, उस पर मुकदमा चल रहा था तथा मामले की जांच हो रही थी, तथापि उसे लाइसेंस दिये गये क्योंकि 1967 के चुनावों के लिये इस फर्म ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिये पर्याप्त धन दिया था ? नियम 376 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछा गया है.....

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी नहीं मांगी जा रही है। किसी पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: It is not insinuation, it is a clear allegation.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह मान्य तथ्य है। पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था और श्री ल० ना० मिश्र उत्तर दे रहे थे। एक मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है। क्या यह सच है कि जांच के बाद इस फर्म को रियायतें दी गईं क्योंकि श्री जालान ने कांग्रेस दल को धन दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

Shri Madhu Limaye: There is no question of allegation in it, we are only seeking information.

अध्यक्ष महोदय : आरोप लगाये जाने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु प्रश्न-काल में नहीं किसी अन्य अवसर पर ही इस बात को उठाया जाना चाहिये कि क्या किसी व्यक्ति ने कांग्रेस दल को धन दिया है ?

श्री स० मो० बनर्जी : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बताया गया है कि 1964 से 1966 तक भारतीय तेल निगम ने इस फर्म को लगभग 77 लाख रुपये के क्रयादेश दिये थे। क्या इस फर्म ने सभी क्रयादेश पूरे कर दिये थे और उसे 77 लाख रुपये की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया था अथवा क्या बाद में इस तथ्य का पता लग जाने पर कि भारतीय तेल निगम पहले के परिपत्र की उपेक्षा कर रहा है, इस फर्म से माल लेना बन्द करके कुछ धन बचाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया था ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : अप्रैल, 1966 में यह शिकायत मिली थी कि इस फर्म को काली सूची में रखे जाने के बावजूद भारतीय तेल निगम इस फर्म को क्रयादेश दे रहा था। इसलिये हमने भारतीय तेल निगम का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया और 6 मई, 1966 के बाद इस फर्म को क्रयादेश नहीं दिये गये। जहां तक सभी क्रयादेशों को पूरा किये जाने का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में इस समय जानकारी नहीं है। मेरा अनुमान है क्रयादेश पूरे कर दिये होंगे। मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा।

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय तेल

निगम एक सरकारी निगम है। सरकारी निगम के साथ व्यतिहारी समझौता करने में हमें कुछ समय लगता है।

यदि हम किसी फर्म को काली सूची में रखते हैं तो ये निगम स्वतः ही उन्हें काली सूची में रखने के लिये तैयार नहीं होते। प्रश्न पूछा गया है कि यदि ये निगम किसी फर्म को काली सूची में रखें तो क्या सरकार भी ऐसा ही करेगी। इन सभी बातों पर विचार करना पड़ता है, यही कारण है कि इस निगम ने स्वतः ही इस फर्म को काली सूची में नहीं रखा। अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि सरकार द्वारा किसी फर्म को काली सूची में रखे जाने पर सरकारी उपक्रमों को भी स्वतः उन्हें काली सूची में रखना पड़ेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस फर्म को काली सूची में रखने के बाद क्रयादेश दिये गये। इसके क्या कारण हैं ?

श्री रघुरामैया : मैं बता चुका हूं कि भारतीय तेल निगम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं था और हम इस सम्बन्ध में आगे जांच कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh: Why the Government do not frame rules regarding the cancellation of quotas from the date a firm is blacklisted?

श्री कोत्ता रघुरामैया : इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता बात कर चुके हैं। 1966 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सरकार द्वारा किसी फर्म को काली सूची में रखे जाने के बाद सरकारी उपक्रमों के लिए उसे स्वतः ही काली सूची में रखना अनिवार्य होगा। भारतीय तेल निगम ने 6 मई, 1966 के बाद इस फर्म को कोई क्रयादेश नहीं दिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय, श्री अशोक मेहता ने बताया कि इस फर्म को काली सूची में रखा गया और भारतीय तेल निगम ने स्वतः ही इसे अपनी काली सूची में नहीं रखा। सरकार ने इस फर्म को उसकी अवांछनीय कार्यों के लिए ही काली सूची में रखा। भारतीय तेल निगम एक स्वायत्तशासी निकाय होते हुए भी सरकारी निगम है। सरकार द्वारा इस फर्म को काली सूची में रखे जाने के बाद भी उसे क्रयादेश दिये गये। क्या भारतीय तेल निगम के उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने भारत सरकार के आदेशों की उपेक्षा करके इस फर्म को क्रयादेश दिये थे ? मंत्री महोदय ने यह बात स्पष्ट नहीं की है।

श्री अशोक मेहता : प्रत्येक बात स्पष्ट कर दी गई है। इस समझौते से पहले भारतीय तेल निगम इस बात के लिये बाध्य नहीं था कि सरकार द्वारा किसी फर्म को काली सूची में रखे जाने पर वह स्वतः ही उसे काली सूची में रखे क्योंकि यह निगम स्वायत्तशासी निगम है। अब मंत्रालयों और निगमों के बीच यह समझौता हो गया है। दूसरी बात यह है कि मंत्रालय द्वारा भेजा गया पत्र निगम की फाइल में नहीं है। हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। निगम द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० के० नायर : मैं समझता हूं कि सरकार किसी फर्म को इसलिए काली सूची में रखती है कि वह फर्म उस प्रकार का कोई अवांछनीय कार्य न कर सके जिसके लिये उसे काली सूची में रखा गया है। किन्तु इस मामले में यह फर्म, काली सूची में रखे जाने के बाद दो वर्ष तक अवांछनीय कार्य करती रही। सरकार ने किस प्रक्रिया के अन्तर्गत काली सूची को अब तक कारगर बनाया है और इस मामले में सरकार असफल कैसे रही ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : 1966 के समझौते के बाद सरकारी उपक्रम काली सूची में रखने के बारे में स्तत: कार्यवाही करने के लिये तथा काली सूची में रखी गई फर्मों को क्रयादेश न देने के लिए बाध्य हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: How many and for which purposes licences were given to Mr. Jalan and in how many cases he has failed to fulfil his commitments?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

राज्यों में बिजली का उत्पादन

अ० सू० प्र० सं० 7. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां उत्पादित बिजली प्रति व्यक्ति औसत मात्रा आधार पर कम है; और

(ख) इस असमता को दूर करने के लिये, विशेषकर उन राज्यों में जहां उत्पादित बिजली की प्रति व्यक्ति मात्रा न्यूनतम है, क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-266/67]**

श्री जी० एस० रेड्डी : असमता को दूर करने के लिए कितनी धनराशि दी गई थी ?

डा० कु० ल० राव : विद्युत परियोजनाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में मजदूरों के लिये क्वार्टर

*293. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाने के हेतु दिल्ली प्रशासन को राज

सहायता अथवा ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिये कितने क्वाटरों की आवश्यकता है और कितने क्वार्टर बन चुके हैं;

(ग) क्या दिल्ली के मिल मालिकों को भी अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत दिल्ली में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए 1966-67 तक निम्नांकित एजेन्सियों को 153.22 लाख रुपये की राशि मकान बनाने के लिए दी गई :

(i) दिल्ली प्रशासन	143.81 लाख रुपये
(ii) मालिकों (एम्प्लायर्स)	8.36 लाख रुपये
(iii) सहकारितायें	1.05 लाख रुपये
	153.22 लाख रुपये

(ख) दिल्ली में पात्र औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अनुमानतः 75,000 मकानों की आवश्यकता है। अभी तक 3167 मकान बनाये जा चुके हैं।

(ग) और (घ) . उद्योगों के मालिकों के ऊपर कोई कानूनी उतरदायित्व नहीं है कि वे अपने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान बनायें । वे अपने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकानों को बनाने के लिए अनुमोदित परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत (50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 25 प्रतिशत सहायता के रूप में) तक केन्द्रीय वितीय सहायता का उपयोग कर सकते हैं। 3167 मकानों में से 445 मकान इस योजना के अन्तर्गत उद्योगों के मालिकों के द्वारा बनाये जा चुके हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति

*294. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री ए० वी० पाटिल :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) . लोकुर समिति द्वारा की गई सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-267/67]** अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पुनरीक्षण के समूचे प्रश्न पर अब विचार लगभग पूरा हो रहा है और उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप में दिये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली वृहद् योजना

*295. **श्री नि० चं० चटर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये वृहद् योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है, कि दिल्ली के लिये वृहद् योजना दिल्ली के निवासियों की वास्तविक कठिनाइयों की उपेक्षा करके सैद्धान्तिक आधार पर अधिक तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस वृहद् योजना में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली डवलपमेंट एक्ट, 1957 (1957 का एक्ट 61) के अन्तर्गत दिल्ली के लिए बनाये गये मास्टर प्लान की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। मास्टर प्लान के क्रियान्वित करने की प्रगति को बतलाने वाला विवरण बनाया जा रहा है तथा सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं। दिल्ली का मास्टर प्लान शहर तथा उसके आसपास के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद बनाया गया है। भूमि के वर्तमान उपयोगों तथा अन्य तथ्यों जैसे कि यातायात, परिवहन, सार्वजनिक उपयोग तथा समुदाय के जीवन एवं कल्याण पर प्रभाव डालने वाली सुविधाओं का समुचित ध्यान रखा गया है। मास्टर प्लान का प्रारूप सार्वजनिक आपत्तियों तथा सुझावों के लिए प्रकाशित कर दिया गया था तथा संसद्-सदस्यों, नगर-पालिका के सदस्यों, सार्वजनिक प्रमुख व्यक्तियों तथा अधिकारियों से संयुक्त तदर्थ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट देने से पूर्व लगभग 600 आपत्तियों एवं सुझावों की परीक्षा की तथा स्थानीय निरीक्षण किया। इसके बाद जैसे कि एक्ट में दिया है मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने से पूर्व उसके सभी प्रस्तावों तथा संशोधनों की जांच एक सलाहकार समिति ने की।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता; किन्तु दिल्ली डवलपमेंट एक्ट 1957 की धारा 11-ए में मास्टर प्लान तथा जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन करने की व्यवस्था है।

अत्यावश्यक औषधि सम्बन्धी समिति

* 296 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री खगपति प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 1 दिसम्बर 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक औषधि सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री : (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई में सोने की तस्करी

*297. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 में बम्बई में सोने के तस्कर व्यापारियों के एक ऐसे बड़े गिरोह का, जिसका जाल राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, पूरा-पूरा पता लगाने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये 18 व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आठ व्यक्ति और गिरफ्तार किये गये हैं, जिससे गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या 26 हो गयी है। यह जांच-पड़ताल, पेचीदा है, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली राज्यों में चल रही है और केन्द्रीय जांच ब्योरो द्वारा की जा रही है।

(ख) पहले जो 18 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे उन्हें मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई, के आदेश से जमानत पर छोड़ दिया गया है।

पी० एल० 480 निधि

*298. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री इन्दुलाल याज्ञिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 तक भारत में पी० एल० 480 निधि में रुपयों में कुल कितनी धन

राशि जमा की गई;

(ख) अक्तूबर, 1966 से फरवरी, 1967 तक की अवधि में इस निधि में से कितनी धनराशि निकाली गई; और

(ग) ये धनराशियां किन-किन मदों के अन्तर्गत निकाली गईं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पहली मार्च, 1967 तक, पी० एल० 480 निधियों में जमा की गई कुल रकम, लगभग 1652 करोड़ रुपया थी।

(ख) अक्तूबर, 1966 से फरवरी, 1967 की अवधि में इस निधि से जो रकम निकाली गयी उसका ब्योरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
अक्टूबर, 1966	2.45
नवम्बर, 1966	4.12
दिसम्बर, 1966	3.40
जनवरी, 1967	3.00
फरवरी, 1967	6.65
जोड़	19.62

(ग) 1.68 करोड़ रुपये की रकम, कुल ऋणों के लिये और 17.94 करोड़ रुपये की रकम, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के व्यय के लिए निकाली गयी।

चौथी योजना में शामिल परियोजनाओं के लिये अमरीका और रूस से सहायता

*299. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिये भारत सरकार ने अमरीका और रूस की सरकारों से सहायता मांगी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब कितनी प्रगति हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . चौथी पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित जिन प्रायोजनाओं के लिए अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकारों के साथ ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं उन प्रायोजनाओं की सूची सभा की मेज पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-268/67]

आंकड़े इकट्ठा करने की कार्य-व्यवस्था में सुधार करना

*300. **श्री एन० के० सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक और वित्तीय मामलों के किसी निश्चित समय पर उपलब्ध आंकड़े सर्वथा अपूर्ण और पुराने होते हैं, जिनसे वर्तमान स्थिति को सही तथा वस्तु-निष्ठ रूप में समझने में सहायता नहीं मिलती है;

(ख) क्या आंकड़े इकट्ठा करने की कार्य-व्यवस्था में सुधार तथा विभिन्न प्रवृत्तियों के समय पर विश्लेषण की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) . ऐसी बात नहीं है कि आमतौर पर पर्याप्त आंकड़े न मिलते हों, हालांकि कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी कठिनाई होती है। सरकार अंक-संकलन की व्यवस्था को सुधारने का बराबर प्रयत्न करती है और आंकड़ों में सुधार करने के लिए पंचवर्षीय आयोजनाओं के अन्तर्गत विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं।

पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड

*301. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के निदेशकों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में जांच करने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच करने के आदेश कब दिये गये थे तथा जांच वास्तव में कब की गई तथा क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). मई 1965 में सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने का फैसला किया था। जांच अभी की जा रही है।

बिहार में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये वित्तीय सहायता

*302. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : **श्री चन्द्र शेखर सिंह** :
श्री भोगेन्द्र झा : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने उस राज्य में अभूतपूर्व सूखे के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्र से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या तथा कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-269/67**]

विदेशी पूंजी का विनियोजन

*303. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में देश में कितनी विदेशी पूंजी का विनियोजन हुआ है;

(ख) क्या विदेशी पूंजी विनियोजन कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूंजी विनियोजन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी व्यापारियों द्वारा लगायी गयी पूंजी :

(करोड़ रुपयों में)

	1961 के अंत तक	1962 के अंत तक	1963-64 के अंत तक	1664-65 के अंत तक
1. नयी लगायी गयी पूंजी	44.9	51.3	94.1	95.2
2. रखा गया लाभ	15.8	7.8	7.4	21.1
लगायी गयी कुल पूंजी (1+2)	60.7	59.1	101.5	116.3

टिप्पणी : 1. आंकड़ों सम्बन्धी अवधि में परिवर्तन कर दिया गया है और उसे कैलेण्डर वर्ष की बजाय वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।

2. यह सूचना रिजर्व बैंक ने, एक प्रश्नावली जारी करके, सर्वेक्षण करने के बाद संकलित की है। इस प्रकार के संकलन में हमेशा कुछ समय लगता है और

इस कारण 1965-66 की और उसके बाद की अवधि की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) भारत में विदेशी पूंजी के लगाये जाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है, जैसे आयकर की अदायगी के बाद मुनाफे की और मंजूरशुदा प्रायोजनाओं में लगायी गयी पूंजी की अपने देश में निर्बाध वापसी, औद्योगिक लाइसेंस और आयात-सम्बन्धी लाइसेंस देने और कर लगाने आदि से सम्बन्धित भारतीय कानूनों के लागू किये जाने के बारे में विदेशी निवेशकों के साथ भेदभाव न किया जाना । सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की रासायनिक खाद सम्बन्धी प्रायोजनाओं में विदेशी पूंजी के लगाये जाने को प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ कदम उठाने की घोषणा की थी ।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा सोने का पकड़ा जाना

*304. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत में चोरी-छिपे लाए गए सोने का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । सरकार के सम्मुख ऐसी कोई सामग्री भी नहीं है जिससे यह मालूम हो सके कि सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है ।

(ख) वास्तव में यह प्रश्न ही नहीं उठता है । तथापि, तस्कर व्यापार को रोकने के लिये उठाए गए मुख्य-मुख्य कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय अपनाए गये हैं वे ये हैं : सूचना का बाकायदा संग्रह तथा उसका अनुशीलन, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की ठीक तरीके से खाना-तलाशी, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के उन भागों की गश्त, जहां से चोरी छिपे माल लाया ले जाया जा सकता हो, और उचित मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय के अतिरिक्त मुकदमे चलाना । विधान के क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिनियम में अब अदालतों द्वारा कैद की ज्यादा भारी सजा की व्यवस्था है । सोना, हीरे तथा घड़ियां पकड़े जाने के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम में यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि माल तस्करी ढंग से नहीं लाया गया होने का प्रमाण देने की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों पर डाल दी गयी है जिनके पास से माल पकड़ा गया था । जो महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये गये हैं उनमें से दो मुख्य उपाय हैं, और वे ये हैं : फारस की खाड़ी के क्षेत्र में प्रचलित भारतीय करेन्सी नोटों के स्थान पर 1959 में एक विशेष

मुद्रा का प्रचलन करना, क्योंकि पुराने नोट अवैध सोने के लेन-देनों के लिए रुपया जुटाने का आसान साधन बने हुए थे, तथा (ii) स्वर्ण नियंत्रण का लागू किया जाना ।

नर्मदा घाटी परियोजना

*305. **श्री इन्दुलाल याज्ञिक :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री शशि भूषण :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोसला समिति द्वारा सिफारिश किये गये नर्मदा नदी घाटी परियोजना के ब्योरे के बारे में गुजरात सरकार तथा अन्य सम्बन्धित राज्यों की सरकारों के बीच विद्यमान मतभेदों को दूर करने के लिये सरकार ने नवीनतम कदम क्या उठाये हैं;

(ख) सम्बन्धित सरकारों के बीच किस प्रकार के मतभेद अभी तक दूर नहीं हो सके हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ अन्य योजनाओं के साथ-साथ सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से सहमत अन्तिम रूप में नर्मदा नदी घाटी परियोजना को एक केन्द्रीय योजना के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से विवाद निपटाये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ही जलसिंधी बांध योजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई व्यावहारिक कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ मई-जून, 1966 के दौरान पृथक-पृथक उनकी राजधानियों में विचार-विमर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने एक संयुक्त बैठक में और विचार-विमर्श किया । बीच की अवधि में सम्बद्ध राज्यों के मुख्य अभियंताओं तथा आयोग के और सिंचाई व बिजली मंत्रालय के सम्बद्ध अधिकारियों ने तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया । मुख्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक में कुछ सुझाव आए और यह फैसला किया गया कि समस्या के शान्तिपूर्ण हल पर पहुंचने के लिए इन सुझावों पर सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश तथा गुजरात के मुख्य मंत्रियों के बीच बाद में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । समस्या को हल करने के लिए और कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) क्योंकि स्कीम को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया ।

(घ) जी, नहीं ।

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

*306. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता की बर्ड एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में क्या कार्यवाही की गई और कम्पनी को क्या दण्ड दिया गया;

(ग) क्या सरकार को उक्त कम्पनी की अनियमितताओं के बारे में कोई और रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कम्पनी के मामलों की जांच करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पिछले 5 वर्षों में, वित्त मंत्रालय के सीमा शुल्क विभाग, आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का स्वरूप और उस कम्पनी पर लगाये गये दण्ड का ब्योरा विवरण-पत्र में दिया गया है, जो सभा की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-270/67]**

(ग) और (घ). मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में कोई नई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। तथापि, प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र में जैसा बताया गया है जांच-पड़ताल तथा पहले पकड़े गए कागजों की छानबीन, विवरण पत्र में उल्लिखित तीनों विभागों द्वारा की जा रही है।

मूल्य, मजूरी तथा लाभांश के संबंध में राष्ट्रीय नीतियां

*308 **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक के गवर्नर के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में मुद्रास्फीति की बुराई को रोकने के लिये राजकोषीय तथा धन संबंधी नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य, मजूरी तथा लाभांश के संबंध में राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त संचालन-दल (स्टियरिंग ग्रुप) ने 'आय और मूल्य संबंधी नीति की रूप-रेखा' पर एक रिपोर्ट हाल में पेश की है। रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

बैंकिंग ढांचे का समेकन

*309. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ढांचे के समेकन की नीति सक्रिय रूप से अपना ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के परिणामस्वरूप, 1961 के प्रारम्भ में काम कर रहे 342 बैंकों की संख्या कम होकर मार्च, 1967 के अंत में 97 रह गयी । इस प्रक्रिया से, आर्थिक दृष्टि से सक्षम बैंकों के विकास में सहायता मिली है और इससे बैंकों में दृढ़ता और स्थिरता आयी है तथा देश की बैंक व्यवसाय सम्बन्धी आवश्यकताओं को अधिक कुशलता से पूरा करने की बैंकों की क्षमता बढ़ी है ।

उर्वरक का उत्पादन बढ़ाना

*310 **श्री आर० के० बिड़ला :**
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उत्पादन बढ़ाने की अविलम्ब आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) सरकार के अनुमान के अनुसार देश में इस समय उर्वरक का कुल कितना उत्पादन होता है तथा देश में इसकी कुल कितनी आवश्यकता है; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक महेता) : (क) अतिरिक्त उर्वरक कारखानों की स्थापना और वर्तमान कारखानों के विस्तार द्वारा देश में उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ख) 1967-68 में लगभग 525,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजनी उर्वरकों और 275,000 मीटरी टन $पी_2$ $ओ_5$ के रूप में फास्फेटी उर्वरकों के उत्पादन का अनुमान है । आशा है कुल घरेलू आवश्यकतायें लगभग 1.35 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन और 0.5 मिलियन मीटरी टन $पी_2$ $ओ_5$ की होंगी ।

(ग) इस समय एक वर्तमान कारखाने के विस्तार के अलावा चार नये कारखानों का निर्माण हो रहा है । इससे 1967-68 में वर्तमान 585,000 मीटरी टन की क्षमता में प्रति वर्ष 309,000 मीटरी टन नाइट्रोजन क्षमता की वृद्धि होगी । 1969-70 में तीन नये कारखानों

और वर्तमान दो कारखानों के विस्तार से 534,000 मीटरी टन की वार्षिक नाइट्रोजन क्षमता बढ़ जायेगी ।

1.3 मिलियन मीटरी टन वार्षिक नाइट्रोजन से अधिक की और क्षमता कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में है और चौथी योजना के समाप्ति से पहले ही स्थापित हो जाने की आशा है; इस तरह कुल स्थापित क्षमता लगभग 2.8 मिलियन मीटरी टन होगी ।

गर्भ-निरोधक सामग्री

* 311. **श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया :**
श्री मीठा लाल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के गर्भ-निरोधक सामग्री के वर्तमान उत्पादन से आवश्यकता पूरी हो जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो मांग और पूर्ति में कितनी कमी है तथा सरकार कब तक सम्पूर्ण मांग को पूरा करने की स्थिति में हो जायेगी; और

(ग) क्या सरकार सन्तुष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर को निश्चित अवधि में कम करने में, आरम्भ किया गया कार्यक्रम प्रभावी होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) कण्डोम और डायाफ्राम के अलावा अन्य प्रकार के गर्भरोधक जैसे जेली/क्रीम/पेस्ट, फोम टेबलेट, लूप और लूप लगाने के यन्त्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में तैयार हो रहे हैं । डायाफ्राम इस देश में नहीं बनते किन्तु उनकी आवश्यकता भी बहुत थोड़ी है ।

(ख) इस समय देश में 5 करोड़ कण्डोम प्रतिवर्ष की मांग है यह मांग गत पांच वर्षों में सर्वाधिक थी । देश में इनका निर्माण इस मांग से दो करोड़ कम है । 1967-68 के परिवार नियोजन कार्यक्रम के आधार पर लगभग 15 करोड़ कण्डोमों की मांग का पूर्वानुमान किया गया है । आने वाले वर्षों में इस मांग की और आगे बढ़ने की सम्भावना है और 1970-71 तक यह सम्भवत: प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ तक हो जायेगी । यह कमी कुछ तो देश में उत्पादन बढ़ाकर और कुछ आवश्यक हुआ तो आयात करके पूरी की जायेगी ।

देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ा दिया गया है और एक कारखाना जापानी फर्म के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में त्रिवेन्द्रम में खोला जा रहा है जो 1968 के उत्तरार्द्ध से उत्पादन शुरू कर देगा ।

(ग) जी हां । सरकार ने यथाशीघ्र 41 प्रति हजार की वर्तमान जन्म दर को घटाकर 25 प्रति हजार तक करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए कार्य भी कर रही है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली में हड़ताल

*312. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली में पिछले दिसम्बर, में हड़ताल हुई थी;

(ख) हड़ताल के क्या कारण थे और श्रमिकों की मांगें क्या थीं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दर पर महंगाई भत्ता देने की मांग के कारण दिसम्बर, 1966 के अन्त में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में एक श्रम विवाद उठा था। यह गैर-कानूनी हड़ताल में विकसित हो गया जो कि 6 से 30 जनवरी, 1967 तक चली।

(ग) विवाद को न्यायनिर्णीत के लिए इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दिल्ली के पास भेज दिया गया है।

बैंकों तथा बीमा कम्पनियों में नियोजित विदेशी व्यक्ति

*313. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (एक) बैंकों तथा (दो) बीमा कम्पनियों द्वारा 1963–66 के दौरान कुल कितने विदेशी व्यक्ति नौकरी पर रखे गये;

(ख) उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इन स्थानों के लिये भारतीय नागरिक उपलब्ध थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है कि इन स्थानों पर नियुक्ति के लिये भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाय ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-271/67]

(ख) और (ग). यद्यपि इन कामों के लिए भारतीय मिल सकते हैं, पर विदेशी कम्पनियां उच्च पर्यवेक्षी पदों पर अपनी ही राष्ट्रिकता (नेशनेलिटी) के लोगों को नियुक्त करना पसंद करेंगी।

(घ) विदेशी लोगों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष स्थिति की छानबीन की जाती है और विदेशी कम्पनियों से अनुरोध किया जाता है कि जहां आवश्यक हो वहां वे पर्यवेक्षी संवर्ग (सुपरवाइजरी केडर) में भारतीयों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में यथेष्ट उपाय करें। इस संवर्ग में भारतीयों की तुलना में विदेशी लोगों के अनुपात में क्रमशः कमी की गयी है।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

*314. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क तथा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी पर किये गये जुर्माने में काफी कमी कर देने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की अनुमति दी गयी है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कम्पनी के कुछ भूतपूर्व निदेशकों पर लगाये गये व्यक्तिगत जुर्मानों में से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क)और (ख). सम्भवत: यह उल्लेख केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा उन दो मामलों में दिये गये "अपील-पर-आदेश" से है जिनमें मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ग्रस्त है । इनमें से एक मामले में तो मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, (प्राइवेट) लिमिटेड पर लगाया गया दण्ड 20 लाख रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था तथा दूसरे मामले में दण्ड की रकम एक करोड़ रुपये से घटाकर 30 लाख रुपये कर दी गई थी । बोर्ड के फैसलों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) श्री डी० सी० बी० पिलकिंगटन और श्री डब्ल्यू० एच० एस० माइकलमोर पर लगाये गये पांच-पांच लाख रुपये के व्यक्तिगत जुर्मानों में से अब तक क्रमश: 87,223.59 रुपये और 59,911.18 रुपये वसूल हुए हैं ।

Resources for the Plan

*315. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of Planning has asked his Ministry to allocate resources for the Plan amounting to Rs. 2,600 crores for the current year ; and

(b) if so, the reasons for not making the said allocation in full ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उर्वरक नीति

*316. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग को विपणन तथा मूल्य सम्बन्धी रियायतें दिये जाने के बाद से मार्च, 1967 तक उर्वरक उद्योग के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). जैसा 31 मार्च, 1967 को संसद् में पेश किये गये विवरणपत्र में बताया गया है, उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये 31 मार्च, 1967 तक लम्बित सारे प्रस्तावों पर दिसम्बर, 1965 की नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी बशर्ते कि सम्बन्धित पार्टियों के साथ बातचीत 31 दिसम्बर, 1967 तक औद्योगिक लाइसेंस जारी होकर पूरी हो, और परियोजनाओं द्वारा देशीय उत्पादन को बढ़ाने में समयानुसार अंशदान की आशा है। किसी नये प्रस्ताव को भी इसी तरीके से विचारा जायेगा बशर्ते कि वे उन शर्तों के मुताबिक हो।

धन की सप्लाई में वृद्धि

*317. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के पश्चात छः महीने की अवधि के दौरान धन की सप्लाई की औसत में वृद्धि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो धन की सप्लाई में किस दर से वृद्धि हुई थी ; और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अवमूल्यन के बाद के छः महीनों में जनता के पास मुद्रा में कमी हो गयी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में जांच

*318. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 24 मार्च, 1967 को एक पत्रकार सम्मेलन में इस आशय का बयान दिया था कि केन्द्रीय जांच विभाग इस देश में उपयोग में लाई गई सभी विदेशी निधियों के बारे में जांच करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो जांच कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है तथा किन-किन विदेशी निधियों के बारे में जांच की जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). याद होगा कि 23 मार्च, को लोक-सभा में आधे घण्टे की जो बहस हुई थी, उसमें विदेश-मंत्री ने घोषणा की थी कि इन आरोपों की जांच की जायेगी कि हाल के आम चुनावों में विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग किया गया है। अगले दिन, यानी 24 मार्च को पत्रकारों के साथ मेरी जो बातचीत हुई उसमें इसके बारे में मुझसे सवाल किये गये और मैंने यह कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसी जांच होनी चाहिए और यह किसी भी या सभी विदेशी स्रोतों से प्राप्त उस धन के इस्तेमाल के बारे में होनी चाहिए जिसके सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं। जैसा कि गृह-मंत्री ने 29 मार्च को इस सभा में कहा था कि सरकार ने हाल ही में गुप्तचर्या विभाग (इंटेलिजेंस ब्यूरो) को ऐसी जांच करने का आदेश दे दिया गया है और इसके परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्य सहायता सार्थ-संघ

621. **श्री च० चु० देसाई** : **श्री उमानाथ** :
श्री अ० क० गोपालन : **श्री रा० बरुआ** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखे की स्थिति के कारण उत्पन्न हुए भारत के वर्तमान खाद्य संकट पर काबू पाने के लिए भारत को अपनी खाद्य सहायता के समन्वय के लिए अमरीका के सुझाव पर एक सार्थ-संघ (कंशारशियम) बनाया गया है, जिसमें कुछ पश्चिमी देश तथा अमरीका शामिल हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य सहायता सार्थ-संघ के सदस्य कौन-कौन हैं और वे अनाज की कमी को पूरा करने के लिए भारत की अब तक कैसे सहायता करते रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का प्रस्ताव है कि भारत जैसे विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की तरह, अन्न की सहायता के सम्बन्ध में भी विकासशील देशों को बहुपक्षीय आधार पर विचार करना चाहिए। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, एक ऐसी संस्था पहले से ही मौजूद है जो विकास-सम्बन्धी सहायता देने के बारे में विचार और बातचीत करती है। यह संस्था भारत सहायता संघ है। इस संघ की बैठकें, पेरिस में 4, 5, और 6 अप्रैल, 1967 को हो रही हैं, यह बात तय हो चुकी है कि इन बैठकों में भारत को दी जाने वाली अन्न की सहायता के प्रश्न पर भी विचार किया जाय।

उड़ीसा में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

622. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 1967-68 में केन्द्रीय सहायता दी गई है अथवा दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) उनके लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). 1967-68 के वर्ष के दौरान दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटन राज्य योजना के क्षेत्र-वार गठन तथा क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता के विभाजन पर निर्भर होगा। राज्य योजना का ब्योरा प्राप्त होने के बाद ही इसका पता चलेगा।

उड़ीसा में ग्राम्य जल-सम्भरण योजनाएं

623. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपनी उन ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिए जिनके अन्तर्गत पाइपों द्वारा पानी सप्लाई किया जायेगा, अतिरिक्त धन की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई विशिष्ट प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 में इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) उड़ीसा सरकार ने स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाने वाली देहातों में नलों द्वारा पानी देने की अपनी योजनाओं के लिए 1965-66 में 25 लाख रुपये नियत करने का अनुरोध किया था। उस वर्ष स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के लिए केवल 184 लाख रुपये का सीमित नियतन होने के कारण उड़ीसा को केवल 10 लाख रुपये का नियतन ही किया जा सका। किन्तु राज्य सरकार ने अपना जो वास्तविक खर्च बतलाया उसके आधार पर उस वर्ष केवल 3.80 लाख रुपये ही केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये। देहातों में नलों द्वारा पानी देने की योजनाओं के लिए स्थानीय विकास कार्यों का कार्यक्रम 1966-67 से बन्द कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को अथवा किसी अन्य राज्य को और कोई राशि नहीं दी गई।

राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के देहात वाले अंश के अन्तर्गत देहातों को नलों द्वारा पानी देने की अपनी योजनाओं के लिए 1967-68 में अतिरिक्त खर्च के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई विशेष अनुरोध नहीं मिला है।

(ख) और (ग). 1967-68 में ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार ने 25 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा था। जलपूर्ति एवं सफाई सम्बन्धी कार्य वर्ग ने ग्राम जलपूर्ति और विशेषतया अत्यन्त अभाव वाले क्षेत्रों में जलपूर्ति की समस्याओं का हल करने के व्यापक कार्य को दृष्टि में रखते हुए 150 लाख रुपये की सिफारिश की। तथापि राज्य सरकार ने ठीक-ठीक कितनी रकम दी है यह मालूम नहीं है। यह बतला दिया जाय कि जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम एक केन्द्र सहाय्यित योजना है जिसके लिए अपेक्षित व्यवस्था राज्यों की योजनाओं में की जाती है। ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए अपनी-अपनी योजनाओं में उपयुक्त व्यवस्था करना प्रथमतः राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में ही मिल सकती है।

उड़ीसा में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन

624. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों में वर्षवार, कितनी पूंजी लगाई है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में और अधिक पूंजी लगाने के लिए जीवन बीमा निगम को कोई योजना भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तृतीय योजना के प्रत्येक वर्ष में जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा राज्य के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में लगाई गयी पूंजी का ब्योरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	औद्योगिक क्षेत्र में लगी पूंजी	गैर-औद्योगिक क्षेत्र में लगी पूंजी (जिसमें राज्य सरकार के ऋणों में लगी पूंजी भी शामिल है)
1961—62	26.3	2,10. 6
1962—63	33.0	4,65. 0
1963—64	93.7	1,04. 0
1964—65	13.4	9,37. 2
1965—66	37.5	4,89. 9

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भुवनेश्वर में महालेखापाल का कार्यालय

625. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालय में इस समय सभी श्रेणियों के कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ख) उपरोक्त कार्यालय के कितने कर्मचारियों को दिसम्बर, 1966 के अन्त तक क्वार्टर दिये गये थे ; और

(ग) शेष कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (31-12-66 को) 1043

(ख) (31-12-66 को) 386 इसके अलावा, 83 क्वार्टर, बिना परिवार वाले कर्मचारियों को रहने के लिए दिये हुये हैं ।

(ग) कर्मचारियों के लिये 256 क्वार्टर और बनाये जा रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त 256 क्वार्टर बनाने का भी विचार है जिसके लिये केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में आयकर अपवंचन के अनिर्णीत मामले

626. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में इस समय आयकर अपवंचन के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 15 मार्च, 1967 को 219 मामले ।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल की सप्लाई

627. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को मिट्टी के तेल की प्रति मास सामान्यतः कितनी आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) वितरण के लिये इस समय कितनी मात्रा उपलब्ध है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य की मिट्टी के तेल की सामान्य आवश्यकता पूरी करने के लिये क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) से (ग). जुलाई 1966 से जनवरी, 1967 की अवधि में, जब कमी की कोई शिकायत नहीं थी, और राज्यों की मिट्टी के तेल की आवश्यकतायें पूर्णतया पूरी की गई थीं ; के विक्रय के आधार पर मासिक सामान्य आवश्यकताएं 4,700 मीटरी टन होती हैं। उड़ीसा की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5,750 मीटरी टन का वर्तमान कोटा पर्याप्त है।

उड़ीसा में सिंचाई के लिये बांध

628. **श्री अ० दीपा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बाघ नदी, खडंग, सगरिया, सतीघाट और लक्षमी नाल नदियों पर सिंचाई के लिये बांध बनाने के हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी और कब ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rural Electrification in Maharashtra

629. **Shri D. S. Patil:** **Shri T. A. Patil:**
Shri Baswant: **Shri Kamble:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the total amount spent on electrification of villages in Maharashtra during the Third Five Year Plan?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): Rs. 2,011.92 lakhs:

विदेशी सरकारों के खातों में बची हुई राशि का जमा किया जाना

630. **श्री मनुभाई अमरसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन देशों के साथ भारत ने रुपये में भुगतान करने के सम्बन्ध में करार किये हुए हैं उन देशों की सरकारों के खातों में कुल कितनी बची हुई राशि जमा की जा चुकी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जिन देशों के साथ रुपयों में अदायगी करने के करार हैं उनके खातों में 28 फरवरी, 1967 को जो रकमें जमा थीं उनका विवरण इसी के साथ लगा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-272/67**]

Financial Assistance Given to States Under Plans

631. **Shri Nitiraj Singh Chaudhari:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount paid by the Centre to each State during the First, Second and Third Five Year Plan periods, separately;

(b) the break-up of the said amount under the various Heads;

(c) the amount utilised by the States out of the said amount; and

(d) whether the unutilised amount would now be given to the States?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (d). The information is being collected and a reply will be laid on the Table of the House.

नई दिल्ली में राउज एवेन्यू क्षेत्र का विकास

632. **श्री ईश्वर रेड्डी:** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के राउज एवेन्यू क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और विभिन्न सांस्कृतिक तथा शिक्षण संगठनों को प्लाट दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे प्लाट उन संगठनों को दे दिये गये हैं जिनके लिये वे नियत किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां। मास्टर प्लान के अन्तर्गत राउज एवेन्यू में संस्थागत उपयोग के लिए लगभग 4 एकड़ का क्षेत्र और जोड़ दिया गया है।

(ख) आवंटी संगठन को अभी तक केवल एक प्लाट दिया गया है।

(ग) क्षेत्र के वर्तमान मकानों को खाली कराने, इमारतों को गिराने तथा सड़कों और सेवाओं (सर्विसेज) के द्वारा क्षेत्र को पुनः विकसित करने में कुछ समय लगेगा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

633. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी चिकित्सकों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सरकार का विचार ठीक-ठीक क्या आर्थिक प्रोत्साहन देने का है;

(ख) चिकित्सकों को दी जाने वाली राशि तथा मान क्या होगा;

(ग) अनुर्वरीकरण (स्टरीलाईजेशन) कराने वाले व्यक्तियों को क्या अन्य नकद प्रोत्साहन दिये जायेंगे;

(घ) किसी भी प्रकार के सन्तति निरोध उपायों की शरण लेने के इच्छुक लोगों को अस्पतालों में क्या सुविधायें दी जायेंगी;

(ङ) किन नगरों तथा अस्पतालों में ये सुविधायें उपलब्ध होंगी;

(च) क्या ये सुविधायें निशुल्क होंगी; और

(छ) यदि नहीं, तो कितना शुल्क लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) इस सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों से हाल ही में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। तथा इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

(ख) 1. **डाक्टरों को दी जाने वाली राशि**

किसी नियमित परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र में अंशकालिक आधार पर प्रति सप्ताह कम से कम 6 घन्टे तक काम करने वाले प्राइवेट चिकित्सकों को 100 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

2. **बन्ध्यीकरण के लिए**

(1) राज्य सरकारों द्वारा आयोजित बन्ध्यीकरण शिविरों में सहायता देने पर प्रति वेसेक्टामी आपरेशन के लिए 10 रुपये तथा 10 आपरेशनों के लिए (व्यावसायिक सेवाओं की फीस, परिवहन यथा दूसरे खर्चों सहित) 100 रुपये का मानदेय दिया जाता है।

(2) किसी अस्पताल में 5 सालपिंगेक्टोमी आपरेशनों के लिए 100 रुपये।

3. **गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) के लिए**

लूप लगाने के प्रत्येक केस के लिए 2 रुपये—राज्य सरकारों ने अपने यहां इस बारे में जो भी निश्चय किया हो उसके अनुसार यह राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है।

(ग) भारत सरकार वेसेक्टामी और ट्यूवेक्टामी कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः 30 रुपये और 40 रुपये देती है। इस रकम में सम्बन्धित व्यक्ति का अपनी जेब से होने वाला

खर्च, प्रचारक, डाक्टर को मिलने वाली रकम, परिवहन, औषधि और ड्रेसिंग पर होने वाला खर्च, सभी आ जाते हैं। इस रकम में से कितना किस पर खर्च किया जाय या कितना किसे दिया जाय इसका निर्णय करना सम्बन्धित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

(घ) और (ङ). बन्ध्यीकरण आपरेशनों के लिए आवश्यक अस्पताली सुविधायें देश के प्रायः सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं तथा लूप लगवाने की सुविधाएं अनेकों ऐसे अस्पतालों में हैं जहां महिला डाक्टर नियुक्त हैं।

(च) जी हां।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले

634. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966 में 31 दिसम्बर, 1966 तक विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) पहले सौ उल्लंघनकर्त्ताओं के नाम क्या हैं और इन मामलों में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) अपराधियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) इसमें से अब तक वास्तव में कितने अपराधियों को दण्ड दिया गया है; और

(ङ) अपराधियों पर किये गये जुर्माने अथवा उन पर चलाए गये अभियोगों का ब्योरा क्या है और उन अपराधियों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1966 में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के संदिग्ध उल्लंघनों के 2660 मामले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच-पड़ताल के लिये रजिस्टर किये गये थे।

(ख) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है।

ईस्टर्न मशीनरी ट्रेडिंग लिमिटेड के श्री बी० एस० तोलानी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन

635. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई की ईस्टर्न मशीनरी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के श्री बी० एस० तोलानी के मामले में विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है तथा कितना जुर्माना किया गया है;

(ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री बी० एस० तोलानी के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा अब किस अवस्था में है;

(ग) देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय ने श्री तोलानी को अब तक उनकी फाइलें नहीं लौटायी हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मेसर्स ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के, जिसके श्री बी० एस० तोलानी भी एक साझेदार हैं, स्थानों की पहले जुलाई 1956 में तलाशी ली गई थी, तथा तदनन्तर की गयी न्याय-निर्णय की कार्यवाही में प्रवर्तन निदेशक ने इस कम्पनी पर 5000 रुपया जुर्माना किया था। इस कम्पनी के स्थानों की जून 1962 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फिर तलाशी ली गई थी और न्याय-निर्णय की कार्यवाही के परिणामस्वरूप निदेशक ने इस कम्पनी पर जुलाई 1965 में 50,000 रुपये का जुर्माना किया था। अगस्त 1965 में फिर एक बार इस कम्पनी के स्थानों की प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी। अब तक चार 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये जा चुके हैं, तथा न्याय-निर्णय की कार्यवाही चालू है।

(ख) और (ग). इस कम्पनी ने पहले मामले में लगाया गया 5,000 रुपये का जुर्माना अदा कर दिया था। परन्तु 50,000 रुपये का जुर्माना अभी अदा नहीं किया गया है। अत: जुर्माने की यह रकम जमा नहीं करने के कारण, इस कम्पनी तथा इसके दो साझेदारों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23-एफ के अधीन चालानी मुकदमे दायर किये गये गये हैं। इस बीच, इस पार्टी ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशक की आज्ञा के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अपीलीय बोर्ड के सामने अपील पेश की है। अपीलीय बोर्ड ने, अपील की सुनवाई की तारीख का नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर जुर्माने की रकम जमा कराने के लिये अपील-कर्ता को मोहलत दी है। अपीलीय बोर्ड के उक्त आदेश को दृष्टि में रखते हुए अदालत में दायर किये गये चालानी मुकदमे को वापस लेना पड़ा। विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अपीलीय बोर्ड ने इस मामले की सुनवाई के लिये अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की है।

(घ) अपीलस्थ मामले में पकड़े गये कागज-दस्तावेजों को अपील सम्बन्धी कार्यवाही पूरी होने पर ही पार्टी को लौटाया जायगा। जहां तक तीसरे मामला का सम्बन्ध है, उसकी अभी न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है और इस मामले से सम्बन्धित कागजों को इस समय नहीं लौटाया जा सकता।

पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड

637. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सेंट्रल बैंक (जिसका परिसमापन हो रहा है) का सरकारी परिसमापक इस बैंक की कुछ तरल आस्तियों की अब भी देखभाल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन आस्तियों का अनुमानत: मूल्य क्या है और सरकारी परिसमापक

के कार्यालय तथा स्टाफ पर आवर्ती व्यय कितना होता है; और

(ग) अगला लाभांश कब घोषित करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क). जी, हां ।

(ख) परिसमापक के पास 28 मार्च 1967 को 36.80 लाख रुपये की द्रव परिसम्पत्ति (लिक्विड असेट्स) थी, जिसमें नकदी, बैंक में जमा रकमें और सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं । परिसमापक और उसके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर तथा परिसमापक का कार्यालय कायम रखने पर हर महीने लगभग 7,600 रुपया खर्च होता है ।

(ग) केरल के उच्च न्यायालय में, जिसकी देख-रेख और निदेशन में परिसमापन की कार्रवाई की जा रही है, एक आवेदन-पत्र दिया गया है जिसमें तीन पैसे प्रति रुपये के हिसाब से एक और लाभांश घोषित करने की इजाजत मांगी गयी है । यदि न्यायालय ने इजाजत दे दी, तो लाभांश की अदायगी इसी वर्ष जून में शुरू हो जायगी ।

मनीपुर के मानसिक रोगी

638. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के कितने मानसिक रोगी देश के विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज करवा रहे हैं ?

(ख) 1966-67 में उनके इलाज में कितना धन व्यय हुआ;

(ग) क्या मनीपुर में मानसिक रोगियों के लिए मनोविकार चिकित्सालय स्थापित करने की प्रस्तावित योजना रद्द कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) (क) : इस समय देश के विभिन्न मानसिक अस्पतालों में मणिपुर के 37 मानसिक रोगी उपचार करा रहे हैं ।

(ख) 1966-67 के दौरान उनके उपचार पर कुल 68,800 रुपये खर्च हुये ।

(ग) असल में इस कार्य के लिये धन की व्यवस्था 1967-68 की वार्षिक योजना में की गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनीपुर में स्वर्णकारों को सहायता

639. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के स्वर्णकारों को सहायता देने के लिए मार्च, 1967 तक, वर्षवार, कितना

धन मंजूर किया गया था;

(ख) कितने स्वर्णकारों को अब तक सहायता दी गई है; और

(ग) क्या सरकार अनुदान अथवा ऋण के रूप में उन्हें और सहायता देने के लिए विचार कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) जो सुनार अपने धन्धे में वापस नहीं जाने का निर्णय करें, उनके बारे में सरकार की नीति यह है कि उन्हें पुनर्वास सहायता की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, उन सहायता-योजनाओं की मूल शर्तों के अनुसार ऋण सम्बन्धी सहायता तथा अन्य लाभ मिलते रहें।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति

640. **श्री सिद्दया** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने दिसम्बर, 1966 में किये गये अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में क्या सिफारिश की हैं।

(ख) क्या सभी अथवा किसी सिफारिश को अब तक क्रियान्वित किया गया है;

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर कितना खर्च आयेगा; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) एक विवरण, जिसमें समिति द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारशें दी गई हैं, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-273/67**]

(ख) से (घ) समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है। निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना पड़ेगा। सिफारशों पर निर्णय लिये जाने के बाद ही खर्च आंका जा सकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनर्विलोकन

641. **श्री सिद्दया** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनर्विलोकन करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनर्विलोकन करने वाला विधेयक कब पेश किया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) से (ग). यह विषय विचाराधीन है और इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ।

वृहत् बम्बई के सुधार के लिये विशेष धन

642. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने चौथे आम चुनावों से चार सप्ताह पहले बम्बई प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान को वृहत् बम्बई के विकास के लिये विशेष धन देने का कोई आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या था; और

(ग) क्या उक्त आश्वासन को पूरा किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

Gandak Project

643. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the progress made in respect of Gandak Project till the 28th February, 1967 ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : **Barrage** : About 67 per cent. of excavation and 55 per cent of concreting work involved in the construction of the barrage was done upto the end of February, 1967. Appurtenant works connected with the barrage like left guide bund and left afflux bund have been practically completed and construction of the right guide bund and right afflux bund is in progress.

Canals : Excavation work is in progress on the Tirhut and Don Branch Canals in Bihar. On the Tirhut Canal 50 per cent. of the earthwork has been completed. 52 per cent. of the earthwork has been completed on the Don Branch Canal. On the Main Western Canal, in the headreach up to mile 11-6 in Nepal territory, 35 per cent earthwork has been done. In the next reach, from mile 11-6 to mile 81-5 in Uttar Pradesh, 60 per cent of the earthwork has been completed. At the tail end of the Canal in Bihar territory (known as Saran Canal) about 74 per cent. of the earthwork has been completed.

Orders for generating units of the Nepal Power House have been placed with a Japanese firm. Preliminary works for the construction of the Power House are in progress.

Survey for Oil Exploration in Gonda Distt.

644. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that the Oil and Natural Gas Commission coducted a survey in

the border areas of District Gonda for oil exploration ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri K. Raghu Ramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) Surveys carried out so far have not indicated the presence of any interesting structure.

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में समानता

645. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीचंद गोयल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में एक समानता लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों को केन्द्र के कर्मचारियों के स्तर पर लाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

Abolition of Land Revenue in States

646. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the impact that the abolition of land revenue in States is likely to have on the resources of the Fourth Five Year Plan; and

(b) the manner in which the resultant deficit in the resources of the Plan is going to be met ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-274/67].**

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा निर्मित क्वार्टर

647. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने अब तक कितने क्वार्टर बनाये हैं;

(ख) कितने प्लाटों का पूर्णतः विकास किया गया है और उनमें कितने प्लाट वास्तव में एलाट किये गये हैं;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रशासन पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय होता है; और

(घ) सरकार ने तेजी से विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 180

(ख) 31 जनवरी, 1967 तक 6,660 रिहायशी प्लाटों का विकास किया जा चुका है तथा 4,018 प्लाटों को नीलाम अथवा आवंटन के द्वारा निपटाया जा चुका है।

(ग) विवरण संलग्न है।[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-275/67**]

(घ) मुख्य कठिनाई दिल्ली नगर निगम के द्वारा सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में है जैसे पानी, सीवरेज तथा बिजली। जहां दिल्ली नगर निगम इन सुविधाओं को निकट भविष्य में देने में असमर्थ है वहां ऐसे साधन ढूंढे जा रहे हैं जिनके द्वारा ये सेवायें स्वयं दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दी जा सकें।

राज्य बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान

648. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बैंक के कर्मचारियों ने, जिनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी भी शामिल हैं, अधिक वेतनमानों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां।

(ख) इन मांगों के बारे में राज्य बैंक और उसके कर्मचारियों के बीच इस समय बातचीत चल रही है। परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जिनमें सरकार के लिये अभी ही कोई कार्यवाई करना आवश्यक हो।

Vacating of Government Accommodation by Ex-Ministers and Ex-MPs.

649. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of such Central Ministers and Members of Parliament, out of those who have relinquished or been made to relinquish their posts during the last ten years, who have vacated Government accommodation and the number of those who did not vacate their accommodation ;

(b) the extent of delay caused therein in view of the rules regarding the vacation of houses ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to end such irregularities in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Ipbal Singh): (a) From 1st January, 1958 to 31st March, 1962, the following number of Ministers and Members of Parliament relinquished office and did not vacate Government accommodation within the concessional periods admissible to them.

	Ministers	M. Ps.
(i) Total No. of persons who relinquished offices for one reason or the other.	8	427
(ii) Total No. of persons who overstayed in the premises.	6	121

None of the persons mentioned at (ii) above are now occupying residences having vacated them after various periods of overstay.

As regards the 3rd Lok Sabha retiring Members of Parliament have been permitted to retain accommodation upto the 30th April, 1967. Ex-Ministers of the Central Government have also been permitted to retain the accommodation upto the 30th April, 1967—the just 15 days under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 and the remaining periods as retiring Members of Parliament.

There are, however, ten ex-Members of the third Lok Sabha and of the Rajya Sabha, who, after ceasing to be Members of Parliament, have not vacated the accommodation and are over-staying.

(b) Ministers/Deputy Ministers are permitted under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 to keep their respective residences for a period of 15 days free of rent after relinquishing office. Members of Parliament after ceasing to be Members are allowed to keep Government accommodation for a period of one month on the same terms.

The period of overstay ranges from 1 day to 13 months.

(c) Extensions are granted in cases of real hardship. When ex-members of Parliament overstay after the expiry of the concession period, Government may take action for eviction-recovery of damages under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958.

Small Pox Cases in the Country

650 **Shri Yashpal Singh:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the incidence of small pox has increased in the country during the last three months as a result of which the number of fatal cases has gone up;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the preventive steps being taken?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) Yes. While there has been some increase in the number of cases and deaths during the last three months in 1967, as compared to the corresponding period in 1966, the incidence is not higher as compared to the preceding years.

(b) According to the characteristic seasonal behaviour of smallpox, transmission of the disease is at its height during the months from January to March. A contributory factor is the reluctance of people in the scarcity-affected areas to get themselves vaccinated.

(c) Vaccination campaign against small pox has been intensified by augmentation of the field staff along with healh education and publicity measures, especially in the affected areas.

कानपुर के एक उद्योगपति पर बकाया आयकर

651. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कानपुर के उस उद्योगपति के विरुद्ध इस बीच क्या कार्यवाही की गई है, जिसके बारे में 31 लाख रुपये की बकाया आयकर की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई थी; और

(ख) उसके द्वारा छिपाई गई आस्तियों का ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर वसूली अधिकारी ने कर निर्धारितियों को बकाया कर की अदायगी के लिये नोटिस जारी किये हैं और निर्धारितियों ने उन नोटिसों के विरुद्ध रिट-याचिका दायर की है। बाकी की रकम के लिये एक दीवानी दावा दायर कर दिया गया है।

(ख) ये मामले न्यायालयों के विचाराधीन है; इसलिए वर्तमान स्थिति में इन मामलों के विस्तार में जाना वांछनीय नहीं होगा।

डाक द्वारा सोने का तस्कर व्यापार

652. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 384 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 में बम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों ने जिन दो व्यक्तियों को डाक द्वारा सोने की छड़ें भेजने के लिये पकड़ा था, उनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यह सोना किस देश से चोरी छिपे लाया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही चालू कर दी गई है और सम्बन्धित व्यक्तियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिये गये हैं। न्याय-निर्णय की कार्यवाही पूरी हो जाने पर, आगे कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायगा।

(ख) सोना किस देश से चोरी छिपे भारत में लाया गया था, इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

कानपुर में लूप निर्माण कारखाना

653. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने कानपुर स्थित लूप निर्माण कारखाने को केन्द्रीय सरकार को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कारखाने पर कितना धन व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार गर्भाशयी गर्भरोधक फैक्टरी, कानपुर को हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम) को हस्तांतरित करने के लिये सिद्धांत रूप में राजी हो गई है ।

(ख) भारत सरकार ने भी हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा गर्भाशयी गर्भरोधक फैक्टरी, कानपुर को अपने हाथ में लेने की मंजूरी दे दी ।

(ग) इस फैक्टरी की पूंजीगत लागत लगभग 6 लाख रुपये है ।

विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार

654. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और पंजाब में पकड़े गये विदेशी मुद्रा के तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध की जा रही जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में और कितना समय लगने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) . अभी जांच-पड़ताल की जा रही है और तेरह व्यक्तियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये जा चुके हैं ।

(ग) जांच-पड़ताल के काम को यथासंभव शीघ्र पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है ।

उड़ीसा की सिंचाई व विद्युत योजनाएँ

655. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार की सिंचाई

और विद्युत सम्बन्धी कितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिये पड़ी हैं तथा उनका ब्योरा क्या है, उन पर कितना धन व्यय होगा और उनसे कितना लाभ होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): आपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-276/67]**

उड़ीसा में विद्युत जनन क्षमता

656. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की वर्तमान विद्युत जनन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या 1967-68 में इस राज्य में बिजली की मात्रा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इन परियोजनाओं की सहायता के लिये धन देने के हेतु केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि देने की पेशकश की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस समय उड़ीसा में 314.5 मैगावाट की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता है जिसमें 304.4 मैगावाट पन बिजली, 4.3 मैगावाट डीजल और 5.8 मैगावाट ताप प्रतिष्ठान हैं।

(ख) और (ग). जी हां, तालचर बिजली केन्द्र में चार ताप उत्पादन सेट लगाये जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 62.5 मैगावाट है। इनमें से तीन यूनिटों के 1967-68 के दौरान चालू होने की सम्भावना है।

(घ) उड़ीसा राज्य को तालचर परियोजना के लिये कोई निश्चित सहायता नहीं दी जा रही है। किन्तु यह परियोजना उन बिजली परियोजनाओं की सूची में शामिल की गई है जिनके लिये राज्य सरकार ने विविध ऋण सहायता का प्रस्ताव रखा है।

जंजीबार से स्वदेश लौटने वाले एक व्यक्ति द्वारा आयातित लौंग की पेटियों की खेप

657. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार से स्वदेश लौटने वाले एक व्यक्ति द्वारा आयातित लौंग की पेटियों की खेप उस पार्टी (श्री आर० डी० भीमजी) को उच्चायुक्त द्वारा लिखित रूप में आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी रोक लिये जाने के मामले में किये गये अन्याय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है ;

(ख) क्या तीसरी लोक-सभा के शरद्-कालीन सत्र में संसद् के विरोधी दल के एक सदस्य द्वारा प्रधान मंत्री को किये गये अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस विषय में अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पूर्व अफ्रीका से स्वदेश लौटने वाले श्री आर० डी० भीमजी ने लौंग की पेटियों के दो जत्थे आयात किये जिनका कुल वजन लगभग 135 टन था । जंजीबार से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को लागू होने वाली रियायतों के अनुसार 30 दिसम्बर, 1964 को पहुंचे पहले जत्थे को छुड़ाने का वह हकदार था परन्तु 31 दिसम्बर, 1964 के बाद पहुंचे दूसरे जत्थे को राज्य व्यापार निगम के हाथ लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर बेचना पड़ा परन्तु श्री भीमजी इससे सहमत नहीं थे । उच्चायुक्त के पत्र में उल्लिखित रियायत 31 दिसम्बर, 1964 के बाद पहुंचे माल के दूसरे जत्थे को लागू नहीं होती थी और इसलिये श्री आर० डी भीमजी के साथ कोई अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) तथा (ग). तीसरी लोक सभा के शीत कालीन अधिवेशन में सदस्य से प्राप्त अभ्यावेदन को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने इस सम्बन्ध में लिए गए फैसले की समीक्षा की और सरकार ने श्री भीमजी को ऐसी कोई रियायत देना उचित नहीं समझा जो स्वदेश लौटने वाले दूसरे व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं थीं ।

अमरीका को उर्वरक प्रतिनिधिमण्डल

658. **श्री मद्दी सुदर्शनम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही अमरीका को एक उर्वरक प्रतिनिधिमंडल भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेसर्स अशोक मार्केटिंग लिमिटेड द्वारा साहू जैन ट्रस्ट को दान की गई सम्पत्ति

660. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मेसर्स अशोक मार्केटिंग लिमिटेड ने 1964-65 में साहू जैन ट्रस्ट को कुछ सम्पत्ति दान की है ;

(ख) क्या इस सम्पत्ति का मूल्य बाजार भाव से बहुत कम दिखाया गया है ;

(ग) क्या आय-कर विभाग को इस लेन-देन के कारण कोई हानि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो आय-कर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। मेसर्स अशोक मार्केटिंग लिमिटेड के खातों की जांच से पता चलता है कि साहू जैन ट्रस्ट को अगस्त, 1964 तथा जुलाई, 1965 में जमीन और इमारतें उपहार रूप में दी गईं थीं।

(ख), (ग) और (घ). उपर्युक्त कम्पनी के सम्बन्धित वर्षों का कर-निर्धारण अभी नहीं किया गया है। ये वर्ष 1965-66 और 1966-67 हैं। कर-निर्धारण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जायगा।

रोगाणुनाशक दवाइयों (एन्टीवाइओटिक्स) का उत्पादन

661. **श्री रामचन्द उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोगाणुनाशक दवाइयों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) और (ख) . रोगाणुनाशक दवाइयों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कदम उठाये गये हैं ताकि इस क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाया जा सके। खपत में उपनतियों स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनाये गये स्वास्थ्य कार्यक्रमों, कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रसायन उद्योग में होने वाले विकास के आधार पर उत्पादन के लक्ष्यों की कार्यान्विति का कार्यक्रम बनाया जाता है एक विवरण पत्र संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-277/67] जिसमें निम्नलिखित मद हैं :

(i) मुख्य रोगाणुनाशक दवाइयों के नाम, जो अपने देश में तैयार हो रही हैं। होने वाली हैं;

(ii) तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में औषधियों एवं भेषजों की विकास परिषद द्वारा उक्त दवाइयों के लिए सुझाये गये लक्ष्य;

(iii) 31-3-1967 तक उन दवाइयों की लाइसेन्स प्राप्त/अनुमोदित क्षमताएं;

(iv) पिछले तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन; और

(v) पिछले तीन वर्षों में आयात ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में एमोनियम सल्फेट का उत्पादन

662. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में सिन्दरी उर्वरक कारखाने में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

बड़े नगरों के लिए मास्टर प्लान

663. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 से अब तक अपने बड़े नगरों तथा कस्बों के लिये मास्टर प्लान तैयार करने के लिये किन-किन राज्यों को सहायता दी गई है; और

(ख) उनमें से किन-किन नगरों तथा कस्बों के अपने मास्टर प्लान तैयार किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ।

(ख) गोहाटी (असम), पटना (बिहार), अहमदाबाद महापरिषद क्षेत्र (गुजरात) तथा फरीदाबाद (हरियाणा) ।

ईटों के यंत्रीकृत भट्ठे

664. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश में ईंटों का यंत्रीकृत भट्ठा स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा निम्नांकित स्थानों पर अभी तक ईंट बनाने के चार यंत्रीकृत भट्ठे स्थापित हुए हैं :

भट्ठा स्थापित करने वाली एजेंसी	स्थान
1. ब्रिक तथा टाइल बोर्ड, पश्चिमी बंगाल सरकार	पालता (पश्चिमी बंगाल)
2. जम्मू तथा कश्मीर सरकार	पम्पोर
3. हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची	रांची
4. नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली ।	सुल्तानपुर (दिल्ली)

निम्नांकित प्राधिकरण भी ईंटों के यांत्रिक भट्ठे स्थापित करने का विचार कर रहे हैं :

(i) मद्रास स्टेट हाउसिंग बोर्ड ।

(ii) मैसूर स्टेट हाउसिंग बोर्ड ।

(iii) दी कैपीटल प्राजेक्ट्स सर्किल, पी० डब्लू० डी०, गुजरात सरकार ।

(ख) और (ग) . दिल्ली में नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा भट्ठा रुमानिया की एक संस्था के सहयोग से किया जा रहा है । इस परियोजना की कुल लागत 35 लाख रुपये प्राक्कलित की जाती है । आशा की जाती है कि इसमें शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तथा प्रति वर्ष 4 करोड़ ईंटे बनायेगा । पालता, पम्पोर तथा रांची के भट्ठों के विषय में भी इसी प्रकार की सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

क्षयरोग चिकित्सालय

665. **श्री धुलेश्वर मीना:**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षयरोग चिकित्सालय खुल चुके हैं तथा कार्य कर रहे हैं; और

(ख) जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं, उनको किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) (427)

(ख) स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है :

1. एक्स-रे यूनिट, अण्वी-क्षण यन्त्र तथा क्षयरोगियों के उपचार में काम आने वाले अन्य अस्पताली उपकरण जैसे सामान की खरीद के लिए अनुदान ।

2. परिवर्तनों एवं परिवर्धनों द्वारा इमारतों में सुधार करने के लिए अनुदान ।

3. क्षय रोगियों का घर पर उपचार करने वाले सभी क्षयरोगी क्लिनिकों को क्षय निरोधी दवाइयां मुफ्त देना ।

बिजली पैदा करना

666. **श्री प्र० के देव :** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस में बिजली पैदा करने के प्रयोजन के लिए गर्मी प्राप्त करने के लिये भूपटल में दस मील गहरे छिद्र किये जाते रहे हैं; और

(ख) क्या इस देश में भी बिजली की कमी दूर करने के लिये ऐसे ही प्रयोग करने का का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कांग्रेस, मास्को, 1966 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, रूस में 10 किलोमीटर तक नीचे छेदन कार्य में प्रगति होती रही ।

(ख) जी, नहीं । किन्तु, हाल ही में एक समिति स्थापित की गई थी, जिसका कार्य भारत में भू-ताप बिजली उत्पादन के भविष्य का अध्ययन करना है ।

सोने का मूल्य

667. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में नये मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद शुद्ध सोने के मूल्य काफी गिर गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या देश की आर्थिक स्थिति पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च 1967 में शुद्ध सोने की गैर-सरकारी दरों के गिरने की सूचना मिली थी ।

(ख) सोने के मूल्यों की घट-बढ़ मुख्यत: मांग और पूर्ति तथा उनके सम्बन्ध में लगायी जाने वाली अटकलों का परिणाम है ।

(ग) जी, नहीं ।

उड़ीसा में इन्द्रावती परियोजना

668. **श्री प्र० के० देव :** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले की इन्द्रावती परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) . उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग को प्रस्तुत किए चौथी पंचवर्षीय योजना के अपने प्रस्तावों के प्रारूप में इन्द्रावती परियोजना के अनुसन्धान के लिये प्रस्ताव रखा था । राज्य अधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि वे चौथी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विविध स्कीमों के सम्बन्ध में स्कीम-वार ब्योरा दें । इस ब्योरे की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा का स्वदेश भेजा जाना

669. **श्री सूपकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फर्मों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रत्येक को एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजनी पड़ती है, किन्तु उन्होंने छः महीनों की निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी ऐसा नहीं किया है ?

उप-प्रधान-मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : कोई नहीं ।

Development of Ayurveda During Third Five Year Plan

670. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on the development of 'Ayurveda' during the Third Plan;

(b) the details of the new schemes which were taken up for implementation of the development programme of Ayurveda during that period; and

(c) the new measures Government propose to take to popularise 'Ayurveda'?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) A sum of Rs. 54,11,869 was spent on purely Central Schemes on the development of Ayurveda during the Third Five Year Plan.

(b) and (c). Two statements giving the requisite information are attached (Annexure I and II). **[Placed in Library. See No. LT—278/67].**

Literary Research Foundation for Ayurveda

671. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Literary Research Foundation for 'Ayurveda' is proposed to be set up at Jhansi;

(b) if so, the reasons for selecting Jhansi as the appropriate place for it; and

(c) the total expenditure involved?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) A Central Institute for Advanced Studies and Research in Ayurvedic Literature is proposed to be set up at Jhansi.

(b) The Servants of the Nation Society had offered land and buildings for establishing the proposed Institute at Jhansi which has a tradition of Ayurvedic learning.

(c) The details of the likely expenditure are being worked out.

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

672. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो मलेरिया के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिये अनुवर्ती कार्यक्रम क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) 1967-68 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का रूप इस प्रकार है :

	एककों संख्या	जन-संख्या करोड़ों में	प्रतिशत
(i) प्रथम चरण (आक्रमणावस्था)	44.55	5.1	10
(ii) द्वितीय चरण समेकन अवस्था	120.76	14.7	30
(iii) मलेरिया उन्मूलन के पश्चात तीसरा चरण (देखरेख अवस्था)	227.94	29.1	60
योग	393.25	48.9	100

इस प्रकार यह देखा जायगा कि 60 प्रतिशत जनसंख्या में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरा हो गया है जबकि 40 प्रतिशत जनसंख्या अभी तक कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण में है।

(ख) सारे देश से मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन करने के लिये मलेरिया कार्यक्रम को उस समय तक जारी रखा जाना है जब तक समस्त देश में यह कार्य अन्तिम चरण में नहीं पहुंच जाता। जिन क्षेत्रों में उन्मूलन कार्य अपने अन्तिम चरण में पहुंच जायगा वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये निगरानी रखने के लिये अनुवर्ती कार्यक्रम सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को सौंप दिया जायेगा।

नर्मदा परियोजना

673. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम किशन गुप्त :
श्री शशि भूषण :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी सरकार नर्मदा परियोजना के लिये वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो किस ढंग में और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) . चूंकि नर्मदा जल विवाद में अभी तक कोई अन्तिम समझौता नहीं हुआ है, नर्मदा परियोजना अभी स्वीकार नहीं हुई है। इस प्रश्न पर अभी हाल ही में विविध स्तरों पर विचार-विमर्श हुआ था और अब गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों के साथ होने वाली संयुक्त बैठक में फिर इस पर विचार किया जायेगा। जब यह मामला तय हो जायेगा तभी इसकी स्वीकृत और विदेशी सहायता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

गांवों में पेय जल व्यवस्था योजना

674. **श्री एन० के० सोमानी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के विषय में वर्तमान नीति क्या है;

(ख) तीसरी योजना में गांवों में कितने नये कुएं बनाये गये और उन पर कितनी लागत आई; और

(ग) राजस्थान में अब भी गांवों तथा शहरों में कितने प्रतिशत लोगों के लिए मनुष्यों के प्रयोग योग्य पेय जल की उचित व्यवस्था नहीं है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) चौथी योजना में गांवों में जल व्यवस्था कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं (एक) ग्रामीण क्षेत्रों में यथा सम्भव हैजे और फाइलेरिया की स्थानिकमारी स्थिति को समाप्त करना और (दो) अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्राम्य जल व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देना ।

तीसरी योजना तक ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को, जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक नहीं है, राष्ट्रीय जल व्यवस्था तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्राम्य जल व्यवस्था योजनाओं के लिये 50 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी गई थी । चौथी योजना में 20,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों को यह सहायता देने का विचार है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-279/67]**

(ग) राजस्थान में 98.2 प्रतिशत ग्रामीण जनता और 28.5 प्रतिशत शहरी जनता के लिये सुरक्षित जल व्यवस्था की सुविधायें नहीं हैं ।

हरियाना राज्य की चौथी योजना के लिए आवंटन

675. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरियाना राज्य के लिए विभिन्न मदों के अन्तर्गत अस्थायी रूप से कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) हरियाना सरकार ने इन मदों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि मांगी थी ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा नवम्बर, 1966 में भूतपूर्व मुख्य मंत्री के साथ विचार-विनिमय करने के बाद स्वीकृत चौथी योजना परिव्ययों को विकास मदों के अनुसार दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-280/67]**

हरियाना के पिछड़े जिलों के लिए जांच समिति

676. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए, पटेल आयोग के समान हरियाना में गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और हिसार जिलों के पिछड़ेपन के बारे में जांच करने के लिए एक जांच समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जन्म दर घटाने के लिए जोरदार कार्यक्रम

677. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वर्तमान जन्मदर को 50 प्रतिशत घटाने के लिए कोई जोरदार कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) जी, हां। प्रति हजार 41 की वर्तमान जन्मदर को यथासम्भव शीघ्र घटाकर 25 प्रति हजार करने का एक जोरदार कार्यक्रम सोचा गया है।

(ख) व्यापक शिक्षा तथा अभिप्रेरण प्रयासों तथा अधिक संभरण तथा सेवाओं के जरिये अनुर्वरीकरण, लूप लगाना, रूढ़िगत गर्भ-निरोधक युक्तियां तथा अन्य तरीकों सहित परिवार नियोजन के विभिन्न तरीके प्रयोग करने वाले प्रजनन वय वर्गों में पति-पत्नियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाकर जन्मदर में उपरोक्त कमी की जायेगी।

योजना में सम्मिलित परियोजनाओं की क्रियान्विति

678. **श्री च० चु० देसाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन राज्यों में, जहां गैर-कांग्रेसी सरकार बनी है, योजना में सम्मिलित परियोजनाओं की कार्यक्रम के अनुसार सही क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गये उपायों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या योजना की क्रियान्विति के क्रम को बनाये रखने के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क), (ख) और (ग). राज्य योजनाएं राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशवरा कर तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं का आगे चलकर पर्यवेक्षण, खासतौर पर इनकी कार्यान्वयन की प्रगति का, राज्यों के साथ मिलकर किया जाता है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने

राज्यों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाएं। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, गैर-कांग्रेसी मंत्रीमंडल वाले राज्यों के बारे में विशेष कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता। आगामी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पंचवर्षीय योजनाओं पर विशिष्ट रूप से विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा केन्द्र को देय ऋण

679. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री एस० एस० कोठारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने हाल में केन्द्रीय सरकार से यह मांग की है कि उन्होंने भारत के रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टों के रूप में जो राशियां ली हैं उनके समेत उन पर देय ऋण की रकम बट्टे खाते में डाल दी जाये;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और प्रत्येक मामले में देय राशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न हीं उत्पन्न नहीं होता।

Mentally Deranged Government Employees

681. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government servants suffering from mental diseases are kept in Mental Hospitals for only one year and thereafter they are discharged irrespective of the fact whether they have recovered or not ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). Central Government servants suffering from mental ailments can claim reimbursement of expenses for treatment in Mental Hospitals for a period not exceeding 12 months. It is considered that a mental patient who does not recover after six months of institutional treatment is unlikely to remain a useful member of society.

However, treatment at the cost of Government can be extended on the certificate of the Superintendent of the Mental Hospital concerned that treatment for a further period upto six months beyond the first six months is likely to lead to complete recovery. If the period extends beyond 12 months the Government servant cannot claim reimbursement for the treatment.

मैसूर राज्य में सिंचाई

682. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य को 1964 से अब तक विभिन्न बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) कितनी परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं और पूरी हो चुकी है;

(ग) क्या दी गई केन्द्रीय सहायता पर्याप्त है; और

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार ने क्या प्रस्ताव भेजे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ग). मैसूर राज्य को 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के दौरान किसी भी वृहत या मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए कोई निश्चित सहायता नहीं दी गई है। किन्तु, हर वर्ष, विविध विकास ऋण सहायता द्वारा कुछ वृहत तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए परोक्ष रूप में सहायता दी जाती है। यह सहायता राज्य सरकार को आवंटित केन्द्रीय सहायता तथा व्यय के आधार पर विशिष्ट विकास शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त सहायता के अन्तर को पूरा करने के लिए दी जाती है। इनमें से प्रत्येक वर्ष में मैसूर राज्य को जो विविध विकास ऋण दिये गये वे निम्नलिखित हैं :

	(लाख रुपयों में)
1964-65	1844.27
1965-66	1568.80
1966-67	1575.06

(ख) तीन योजनाओं में जिन 8 बड़ी तथा 17 मंझली स्कीमों पर कार्य आरम्भ किया गया उनमें से एक बड़ी और 8 मंझली स्कीमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो गईं। दो और मंझली स्कीमें लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।

(घ) मैसूर सरकार ने चतुर्थ योजना के दौरान बड़ी और मंझली सिंचाई परियोजनाओं के लिये 60 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा था, जिसमें से चतुर्थ योजना के दौरान हाथ में ली जाने वाली नई स्कीमों के लिये 8.24 करोड़ रुपये की राशि थी।

Construction of Kiosks in New Delhi

683. **Shri Ram Singh:**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Narayan Swarup Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the Fourth General Elections, kiosks were constructed at nearly all the D. T. U. bus stands in New Delhi with a view to influence the voters ;

(b) whether it is also a fact that the said decision was taken during the election days and implemented forthwith ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No.

The New Delhi Municipal Committee had been considering for a long time to provide some sort of 'rehris' or containers to verified squatters and howkers who used to squat on the road berms and other places in its jurisdiction, so as to allow them to earn thier livelihood under sanitary conditions. In pursuance of this policy it was decided by the Committee in July, 1966 to construct 50 kiosks near bus stops for allotment to the verified squatters and hawkers. The design of a kiosk was approved in consultation with the Delhi Development Authority in October, 1966.

(b) No.

(c) Does not arise.

चंडीगढ़ में नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन

684. **श्री श्रीचंद गोयल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के मलेया गांव में तीन नलकूप लगाये गये थे;

(ख) क्या इन नलकूपों के मालिकों ने इन नलकूपों के लिये बिजली मंजूर करवाने के लिये एक वर्ष से अधिक समय पहले आवेदन पत्र दिये थे; और

(ग) अब तक बिजली न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) बिजली के कनेक्शन देने के संबंध में 19-8-1966 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ।

(ग) काम का एक बड़ा हिस्सा जनवरी, 1967 के अन्त तक पूरा हो गया था । 11 के० वी० के पिन इन्सुलेटरों की कमी के कारण कार्य पूरे नहीं किये जा सके, क्योंकि यह इंसुलेटर पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के स्टोर में उपलब्ध नहीं थे । इनका अब प्रबंध कर लिया गया है और बिजली निरीक्षक द्वारा इनकी जांच के पश्चात कनेक्शन शीघ्र ही देने की सम्भावना है ।

खम्भात की खाड़ी में खोज

685. **श्री यशपाल सिंह :**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात की खाड़ी में तट से दूर के क्षेत्र में अशोधित तेल की खोज का कार्य रुक जाने की आशंका है क्योंकि दो अमरीकी तेल समवायों में से एक समवाय ने अचानक ही इस कार्य में सहयोग देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समवाय के ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) दो कम्पनियों के समूह में से, जिनके साथ बातचीत आरम्भ की गई थी; एक कम्पनी ने उक्त बातचीत में से अपने आपको हटा लिया है और दूसरी के साथ बातचीत चल रही है ।

(ख) बताया जाता है कि इसका कारण अन्वेषण कार्य को करने के लिये ठीक समूह के बनने में कठिनाईयां हैं ।

(ग) अब चल रही बातचीत के अन्तिम परिणाम की सरकार प्रतीक्षा कर रही है ।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर अफीम का पकड़ा जाना

686. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री विश्व नारायण शास्त्री :

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 मार्च, 1967 को दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर एक ट्रक से लगभग एक लाख रुपये के मूल्य की 92 सेर अवैध अफीम पकड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन व्यक्ति या पक्ष शामिल है और सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 19-3-67 को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर एक ट्रक में से 94 सेर, 9 छटांक, तीन तोले (88.27 किलोग्राम) वजन की तथा अफीम कारखाने में सरकारी दर के हिसाब से लगभग 8,800 रुपये मूल्य की अफीम पकड़ी थी ।

(ख) ट्रक भी पकड़ लिया गया है और 4 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । अफीम अधिनियम के अधीन यह मामला शाहदरा थाने में दर्ज किया गया तथा अब उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

687. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक महिला यात्री से जो बम्बई से 19 मार्च, 1967 को दिल्ली पहुंची थी, 40,000 रुपये के मूल्य का 220 तोला सोना बरामद किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता-कार्यालय के अफसरों ने 19 मार्च, 1967 को एक महिला यात्री को पकड़ा, जो बम्बई से पालम हवाई अड्डे पर उतरी थी। उसके बटुए की तथा उसकी स्वयं की तलाशी लेने पर विदेशी मार्का का 220 तोले सोना बरामद किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय दर से इस सोने का मूल्य 21,652 रुपये है।

(ख) यात्री को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। सात अन्य व्यक्ति भी पकड़े गये थे। बाद में दिल्ली और बम्बई में कुछ रिहायशी तथा व्यापारिक स्थानों की भी तलाशियां ली गयीं हैं और कुछ अपराधारोपक कागज पकड़े गये हैं। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

बम्बई में घड़ियों तथा विलास सामग्री का पकड़ा जाना

688 **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 मार्च, 1967 को सान्ताक्रुज (बम्बई) हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दो भारतीयों से, जो फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित धुनई से ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन के एक विमान से आये थे, 262 कलाई घड़ियां तथा 32,000 रुपये के मूल्य की विलास समाग्री पकड़ी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 19 मार्च, 1967 को बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दो भारतीयों के पास से लगभग 29,800 रुपये मूल्य की 262 कलाई घड़ियाँ तथा लगभग 5,200 रुपये मूल्य का शुल्क लगने योग्य माल पकड़ा। ये व्यक्ति बी० ओ० ए० सी० के एक विमान द्वारा डुबाई से सान्ताक्रुज (बम्बई) हवाई अड्डे पर उतरे थे।

(ख) दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसने बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास

689. **श्री रा० बरुआ** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन में भारतीय दूतावास द्वारा प्रचार के मामले में सरकार ने "अन्तर्राष्ट्रीय

लोक-सम्पर्क सहकारी" (पब्लिक रिलेशन्स अटैशेज इण्टरनेशनल) के श्री गंजु के साथ एक और करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए इस करार का नवीकरण किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मेसर्स पब्लिक रिलेशन्स एटैशेज इण्टरनेशनल के साथ, 1 मार्च, 1967 से, एक वर्ष के लिये नये सिरे से करार करने का फैसला किया है ।

(ख) करार को नया करने के कारण ये हैं :

(i) वाशिंगटन-स्थित भारतीय राजदूतावास की प्रचार-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष अभिकरण (एजेंसी) की जरूरत है और मेसर्स पब्लिक रिलेशन्स एटैशेज इण्टरनेशनल को इस काम के लिये सबसे अधिक उपयुक्त समझा गया है;

(ii) इस फर्म द्वारा दी गयी दरें सबसे सस्ती थीं; और

(iii) मूल करार की अवधि में इस फर्म का काम अच्छा रहा ।

अपर कृष्णा परियोजना और मालाप्रभा परियोजना

690. **श्री मोहसिन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना तथा मालाप्रभा परियोजना का निर्माण-कार्य इस समय किस अवस्था में है;

(ख) इन परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) **अपर कृष्णा परियोजना** : अलमट्टी बांध की नींव की खुदाई 5,11,688 घन मीटर की कुल खुदाई में से 2,97,881 घन मीटर तक हो गई है।

मालाप्रभा परियोजना : नींव की खुदाई 97,697 घन मीटर की कुल मात्रा में से 18,712 घन मीटर तक हो चुकी है । शीर्ष पहुंचों में सुरंग के प्रवेश और निर्गम द्वारों के निकट नहर पर कार्य प्रगति कर रहा है । नार्गुंड शाखा नहर की विविध पहुंचों में खुदाई कार्य और तट कार्य भी हाथ में ले लिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार के लिए राज्य की योजना के लिए निर्धारित राशि में से परियोजनाओं के लिये पर्याप्त प्रबंध करना सम्भव नहीं हो सका है ।

(ग) **अपर कृष्णा परियोजना :** परियोजना रिपोर्ट में परियोजना को 7 वर्षों में पूरा करने की परिकल्पना की गई है ।

मालाप्रभा परियोजना : परियोजना के पांचवीं योजना में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

अपर तुंगभद्रा परियोजना

691. **श्री मोहसिन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपर तुंगभद्रा परियोजना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा हो जाने से कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) . अपर तुंगभद्रा मैसूर की चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में बताई गई परियोजनाओं में से एक है । चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान करने का सुझाव दिया गया है ।

One Rupee Currency Notes

692. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two currency notes of one Rupee denomination bearing the same number (968608) were paid to a former Member of Parliament from a Government Treasury ; and

(b) if so, the reasons for which two currency notes bearing the same number were printed ;

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Two One Rupee notes bearing the same number were received from a former Member and have been sent to the Reserve Bank for investigation.

गुजरात में कदाना बांध

593. **श्री इन्दुलाल याज्ञिक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने गुजरात में माही नदी पर कदाना बांध बनाने की परियोजना को, गुजरात और राजस्थान की सरकारों द्वारा स्वीकृत रूप में, मंजूरी दे दी है;

(ख) सरकार द्वारा मंजूर परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार जो वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हुई है, उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसी परियोजना स्वीकार की गई है, उसमें अधिकतम गहरे नदी तल से 208 फुट की अधिकतम ऊंचाई के और 3240 फुट लम्बे एक बांध की परिकल्पना की गई है । परियोजना की अनुमित लागत 1626.75 लाख रुपये है और इससे हर वर्ष 1,94,105 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी ।

(ग) इस परियोजना के लिए गुजरात ने किसी वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना नहीं की है । किन्तु इस परियोजना से विविध विकास स्कीमों के लिए स्वीकृत ऋणों में से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलेगी ।

तापती नदी पर पन-बिजली उकई बांध

694. **श्री इन्दुलाल याज्ञिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गुजरात में तापती नदी पर पन-बिजली उकई बांध बनाने की मूल योजना में इसलिये बहुत अधिक कटौती की है ताकि उसके स्थान पर केवल सिंचाई परियोजना बनाई जाये;

(ख) योजना आयोग द्वारा स्वीकार की गई योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा मंजूर किये गये रूप में इस परियोजना से पन-बिजली पैदा करने की इसकी क्षमता पूर्णतया समाप्त हो जायेगी ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) गुजरात सरकार से योजनावार परिव्ययों तथा योजना प्रावधान के ब्योरे की इन्तजारी की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

मैसर्स जारडाइन हेंडरसन एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

695. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स जारडाइन हेंडरसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध

कार्यवाही कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो 1954 और 1966 के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्येक मामले में कुल कितना जुर्माना किया गया ; और

(ग) इस कम्पनी के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मैसर्स जार-डाइन हेंडरसन जिन जहाजों के एजेन्ट थे, उन जहाजों में सूची-बाह्य माल के आयात के कुछ मामले नोटिस में आये थे । चूंकि माल का आयात आयात व्यापार नियंत्रण के अधीन वैध लाय-सेंस बगैर किया गया था, इसलिए माल जब्त कर लिया गया तथा माल छुड़ाने के विकल्प में 34,295 रुपये का जुर्माना लगाया गया ।

Western Kosi Canal

696. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than eight lakh acres of land would be irrigated after digging of the proposed Western Kosi Canal in Darbhanga District, Bihar ;

(b) whether it is also a fact that an agreement has since been reached with the Govern-ment of Nepal regarding this canal ;

(c) whether it is also a fact that the land acquisition work for this canal has not been started so far ;

(d) whether it is also a fact that Bihar Government are not in a position to undertake the work of digging this canal due to paucity of funds ; and

(e) if so, whether the Central Government propose to give the necessary financial assis-tance in the form of grant or loan to Bihar Government to complete this project ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Survey work in the head reach of the canal in Nepal portion has been started. The alignment of the canal in this reach has to be settled before land acquisition work for the canal can be started.

(d) Yes. This is one of the reasons besides finalisation and acquisition of land in head reaches.

(e) It has been agreed that earmarked assistance in the form of loan will be given to the Bihar Government for the construction of this canal within the State Plan ceiling.

महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना

697. **श्री सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) विदेशों से कुल कितना ऋण मांगा गया है और इस परियोजना पर उसमें से अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मुंडाली का व्यपवर्तन वीयर पूर्ण हो गया है । द्वार लगाये जा रहे हैं । मुख्य नहर की समस्त 27 मील की लम्बाई में कार्य पूर्ण हो गया है । शाखा नहर पर कार्य पूर्ण होने को है । उप-शाखाओं और माइनरों की खुदाई में प्रगति हो रही है । पुरानी पद्धति के अधीन मुख्य नहरों, शाखाओं और उप-शाखाओं तथा बीरुपा और महानदी के वीयर के पुनर्रूपण का कार्य पूर्ण हो गया है ।

(ख) इस परियोजना के सम्बन्ध में किसी विदेशी ऋण के लिये प्रयत्न नहीं किया गया है ।

परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

698. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **योजना** मंत्री 10 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 223 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी समिति के अन्तिम प्रतिवेदन पर दिसम्बर 1966 में मंत्रिमण्डल की आर्थिक समिति और परिवहन सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति की संयुक्त बैठक में विचार किया गया था । बैठक में, परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी सामान्य मार्ग निर्धारण और सड़क परिवहन की नियमन की योजना सहित समिति की मुख्य सिफारिशों पर व्यापक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई ।

केन्द्र द्वारा बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना अथवा उनके लिये वित्त की व्यवस्था करना

699. **श्री खगपति प्रधानी** **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने अथवा उनके लिये वित्त की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). चौथी पंच वर्षीय योजना में सिंचाई के प्रस्तावित व्यय के संदर्भ में इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना की सिंचाई योजनाएं

700. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 10 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए सिंचाई संबंधी उन प्रस्तावों को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है जो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये गये हैं, और जिन पर योजना आयोग में विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हल्दिया में तेलशोधन एंव स्नेहक तेल कारखाना

701. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 1 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक तेल शोधक एंव स्नेहक तेल कारखाना स्थापित करने के संबंध में फ्रांसीसी फर्मों के प्रस्तावों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) और (ख). बातचीत अभी चल रही है और अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

702. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **वित्त** मंत्री 1 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश के प्रवर्तन का पुनर्विलोकन करने के लिये स्थापित की

गई अनौपचारिक समिति ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) स्वर्ण नियंत्रण पर अनौपचारिक समिति को, समाज के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए तथा कानून के वास्तविक प्रवर्तन को दृष्टि में रखते हुए स्वर्ण नियंत्रण को जारी रखने, समाप्त करने अथवा उसमें संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने को कहा गया था। समिति द्वारा 30 अगस्त 1966 को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट ठीक से सम्पूर्ण है और समिति के निर्देश पद में निर्दिष्ट प्रश्न पूरी तरह आ जाता है। उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण को संशोधित रूप में चालू रखने का निश्चय किया और नियंत्रण के इस संशोधित रूप की विस्तृत योजना वास्तव में पहले ही जारी की जा चुकी है। इसलिए, समिति को सौंपे गये मूल नीति के प्रश्न पर उस समिति से अन्य कोई रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

गर्भपात को वैध बनाना

703. **श्री हीरजी भाई :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री खगपति प्रधानी : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात को वैध बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-281/67**]

दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां

704. **श्री हीरजी भाई :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री खगपति प्रधानी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 24 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां लगाने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम का खण्डों (जोन) में विभाजन करना

705. **श्री हीरजी भाई:** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री खगपति प्रधानी :**

क्या **वित्त** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के हेतु जीवन बीमा निगम को कई खण्डों (जोन) में विभाजित करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में नियुक्त समिति ने विशिष्ट सिफारिश की थी कि जीवन बीमा निगम के वर्तमान क्षेत्रों का सर्वांग सम्पूर्ण स्वतंत्र निगमों के रूप में गठन कर दिया जाय तथा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय उक्त समिति को लिखा जा चुका है। सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में नियुक्त समिति, इस मामले में, निस्संदेह, संसद् को रिपोर्ट देगी।

उच्चस्तरीय सिंचाई आयोग

706. **श्री हीरजी भाई :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री खगपति प्रधानी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चस्तरीय सिंचाई आयोग की स्थापना के बारे में योजना परियोजना सम्बन्धी समिति के सिंचाई दल द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). इस सुझाव को राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की होने वाली कान्फ्रेंस में रखा जाएगा।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

707. **श्री हीरजी भाई :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री खगपति प्रधानी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास की समस्या को हल करने सम्बन्धी कार्यवाहियों को समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

वार्षिकी जमा

708. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में जमा हुई राशियों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या अनुमान के अनुसार राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कम राशि प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). 31 मार्च, 1967 तक जमा हुई रकमों के आंकड़े तथा उनका राज्यवार ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। इन आंकड़ों को तथा प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तरों को, जो प्रश्न के भाग (क) के उत्तर पर निर्भर करते हैं, यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

मेसर्स चान्दमल्ल बाटिया की फर्में

709. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री 24 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते की कुछ फर्मों द्वारा, जिनके मालिक मेसर्स चान्दमल्ल बाटिया हैं, की गई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बारे में की जा रही जांच के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): अब तक की गई जांच-पड़ताल के

आधार पर 1962-63 वर्ष के लिए किये गये कर-निर्धारण में कुछ कर बढ़ाया गया है। आगे जांच-पड़ताल चालू है।

अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां

710. **श्री दे० शि० पाटिल :**

श्री तुलसी राय पाटिल :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां देने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) हां।

(ख) राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था कि इन आदिम जातियों को अनुसूची में शामिल किये जाने की प्रत्याशा में उन पर मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों की परियोजना का विस्तार कर दिया जाए।

(ग) विदर्भ में कुछ आदिम जातियों के सम्बन्ध में अनुसूचियों के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है और जब तक इन आदिम जातियों को अनुसूचियों में शामिल नहीं किया जाता, तब तक अनुसूचित आदिम जातियों के समान उन्हें मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

Scarcity of Potable Water

711. **Shri D. S. Patil :**

Shri A. V. Patil :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of villages along with the names of States, where potable water is scarce and the steps taken or being taken to solve the problem ; and

(b) the year by which the said problem is likely to be solved completely ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) the required information is contained in the statement annexed. **[Placed in Library. See No. L.T. -282/67]**

(b) It is not possible to indicate any definite period for provision of drinking water in all the rural areas of the country as it depends upon the resources available. Against the estimated requirement of Rs. 732 crores for providing water supply facilities in the rural areas of the

country, the tentative allocation for the purpose during the Fourth Plan is only Rs. 125 crores. It is, however, hoped that the States and the Union Territories will implement as many rural water supply schemes as they can possibly accommodate within the available resources.

पलाई सेंट्रल बैंक

712. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेंट्रल बैंक के खातेदारों को इस बैंक के परिसमापन से लेकर अब तक कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में कोई राशि दी गई है; और

(ग) खातेदारों के दावों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सरकारी परिसमापक ने अब तक कुल मिलाकर तीन किश्तों में 558·42 लाख रुपए अथवा खातेदारों की देय राशि की 65 प्रतिशत राशि का भुगतान किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) परिसमापन कार्यवाही सरकारी परिसमापक द्वारा केरल उच्च न्यायालय की देख-रेख में और निदेशों के अनुसार की जा रही है । परिसमापक ने सभी कर्जदारों के विरुद्ध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत मुकदमे दायर कर दिये हैं और ऋणों की वसूली शीघ्रता से करने के लिए वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । तथापि, जिन मामलों में न्यायालय ने रोक-आदेश दे दिये हैं अथवा ऋण की अदायगी का समय बढ़ा दिया है, उनमें देय राशि की वसूली में शीघ्रता करना संभव नहीं है ।

Dam on Sindh River in Madhya Pradesh

713. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received a scheme from the Madhya Pradesh Government regarding construction of a dam for irrigation purposes on Sindh river near Magrauni Village in District Shivpuri (Madhya Pradesh), for approval;

(b) When the work on the said scheme is likely to be started and the time by which it would be completed; and

(c) the amount likely to be spent on the said scheme and the acreage of land likely to be irrigated thereby?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). Yes; the scheme is under examination.

(c) The Scheme is estimated to cost Rs. 443 lakhs. It will irrigate 59,000 acres annually.

केरल में तापीय संयंत्र

714. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य बिजली बोर्ड में एक तापीय संयंत्र स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और उस रिपोर्ट के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) परियोजना का कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). कोचीन में पहले 30 मैगावाट का एक ताप बिजलीघर स्थापित करने की स्कीम स्वीकार की गई थी। लेकिन बाद में यह निर्णय किया गया था कि प्रतिष्ठापन के लिए स्वीकृत 30 मैगावाट की यूनिट के स्थान पर 55 मैगावाट की यूनिट को लगाया जाये। अत: केरल सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह प्राक्कलनों इत्यादि के साथ संशोधित परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यह प्रतिवेदन पिछले महीने प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।

(ग) परियोजना की अनुमित लागत 825 लाख रुपये है।

(घ) प्रारम्भिक कार्य प्रगति कर रहे हैं।

जिला कछार (आसाम) में बराक बांध

715. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कछार (आसाम) में बराक बांध, परियोजना के बारे में ब्योरा तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी तथा परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). बराक बांध परियोजना के ब्योरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) परियोजना रिपोर्ट की जांच के बाद ही इनका पता चलेगा।

Flood Control

716. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the total amount spent on controlling floods during the last five years; and

(b) the acreage of land saved from floods thereby?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Rs. 81.7 crores.

(b) About 45 lakh acres.

बाढ़ की रोकथाम के लिए आसाम को वित्तीय सहायता

717. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने राज्य में बाढ़ की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आसाम सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां।

(ख) जी हां; राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण कार्यों का एक विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया है, जिसकी लागत 20 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्य सरकार के प्रस्तावों की योजना आयोग के कार्यकारी दल ने जांच की थी। चौथी योजना में 17 करोड़ रुपये के अस्थायी खर्चे का सुझाव दिया गया है। केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजना विचार-विमर्श के आधार पर स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के कार्यान्वन के लिए ऋण के रूप में दी जाती है।

राजस्थान से आसाम को निषिद्ध अफीम का चोरी छिपे ले जाया जाना

718. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अफीम के तस्कर व्यापारियों का एक अन्तर्राज्यीय गिरोह राजस्थान से आसाम को चोरी छिपे निषिद्ध अफीम ले जाने के कार्य में सक्रिय है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). अभी तक की गई जांच से ऐसा नहीं लगता है कि अफीम के तस्कर व्यापारियों का कोई अन्तर्राज्यीय गिरोह

राजस्थान से आसाम को चोरी छिपे अफीम ले जाने में लगा हुआ है । तथापि, नारकोटिक्स विभाग और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक सतर्कता रखी जा रही है ।

अन्दमान चिकित्सा विभाग के कनिष्ठ पुरुष परिचारक (जूनियर मेल नर्स)

719. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान चिकित्सा विभाग के कनिष्ठ पुरुष परिचारक अपने वेतन-क्रम बढ़ाये जाने के लिए बहुत समय से अनुरोध कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी हाल तक वे स्टाफ नर्सों के स्थान पर काम कर रहे थे और अब भी आउट-स्टेशन (बाहर के) औषधालयों में स्वतन्त्र रूप से कार्यभार संभाले हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके वेतन-क्रम बढ़ाने अथवा स्टाफ-नर्सों के वेतन-क्रम के बराबर करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) स्टाफ की कमी के कारण कुछ जूनियर नर्सों को आउट-स्टेशन डिस्पेंसरियों का स्वतन्त्र रूप से कार्यभार सम्भालने के लिये नियुक्त किया गया था, किन्तु उन्हें स्टाफ नर्सों या कम्पाउंडरों का काम करने के लिये नहीं नियुक्त किया गया था । उन्होंने औषधालयों में स्वतन्त्र रूप से कार्यभार संभाला किन्तु उनका काम प्राथमिक चिकित्सा करने, साधारण मिक्सचर बांटने और आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को अस्पतालों में भेजने का प्रबन्ध करने तक ही सीमित था ।

(ग) अन्दमान प्रशासन के चिकित्सा विभाग में इस समय स्टाफ नर्सों और जूनियर पुरुष नर्सों के अलग-अलग वेतन-मान हैं ।

जूनियर पुरुष नर्सों के वेतन-क्रम बढ़ाने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब वे सीनियर ग्रेड नर्सिंग सर्टिफिकेट के बराबर की कोई योग्यताप्रदायी परीक्षा पास कर लेंगे ।

अन्दमान चिकित्सा विभाग के कनिष्ठ पुरुष परिचारकों का प्रशिक्षण

720. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान चिकित्सा विभाग के कनिष्ठ पुरुष परिचारकों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के प्रस्तावों को क्रियान्वित किया गया है :

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हें ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्दमान प्रशासन ने नर्सिंग कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए राज्य उपचर्या परिषद, मद्रास के पास एक प्रस्ताव भेजा था। राज्य उपचर्या परिषद इसके लिये राजी नहीं हुई। अन्दमान प्रशासन ने तब इस पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिये भारतीय नर्सिंग परिषद् को लिखा। भारतीय नर्सिंग परिषद् ने सलाह दी है कि प्रशासन अपना अलग परीक्षा बोर्ड स्थापित करे और परिषद् से मान्यता लेने के लिए एक औपचारिक प्रार्थना पत्र उसे भेजे और साथ में पाठ्यचर्या भी भेज दे। तदनुसार अन्दमान प्रशासन भारतीय नर्सिंग परिषद् के सुझावों के आधार पर पाठ्यचर्या तैयार कर रहा है।

विद्यार्थियों को विदेशों में विदेशी मुद्रा का दिया जाना

721. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के दो पुत्रों को इंगलैंड में शिक्षा के लिए हर वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ;

(ख) क्या देश में अन्य विद्यार्थियों को भी ऐसी ही सुविधायें दी जाती हैं और किस हद तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रधान मंत्री के दोनों लड़कों को इंगलैंड में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जो विदेशी मुद्रा दी गयी थी उसका विवरण नीचे दिया गया है।

बड़ा लड़का	**शिक्षा-वर्ष**	**विदेशी मुद्रा**
	1961—62	675 पौंड, प्रारम्भिक तैयारी के लिये दिये गये 75 पौंड को मिलाकर
	1962—63	650 पौंड, शुल्क को मिलाकर
	1963—64	663.5 पौंड, —तदेव—
	1964—65	658 पौंड, —तदेव—
	1965—66	600 पौंड, —तदेव—

इस अवधि के अन्त में वह भारत लौट आया।

छोटा लड़का

1964—65 1965—66 1966—67	300 पौंड प्रतिवर्ष, उसके वजीफे की रकम की अनुपूर्ति के लिए

(वह एक पंचवर्षीय अप्रेंटिसी पाठ्यक्रम का विद्यार्थी है)

(ख) जी हां, इतनी ही ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवाह योग्य आयु

722. **श्री एन० के० सोमानी :**
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में विवाह की निम्नतम आयु सम्बन्धी कानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जाता है ;

(ख) बढ़ती हुई जनसंख्या पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए यदि कुछ उपाय विचाराधीन हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या वर्तमान परिस्थितियों में विवाह योग्य आयु बढ़ाने की वांछनीयता को देखते हुए आयु बढ़ाने के लिए शीघ्र कोई कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). सम्बन्धित कानून राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं। तथापि, यह पता चला है कि जिन अधिकांश मामलों में कानून के तोड़े जाने की सूचना मिलती है, उनमें मुकदमे चलाये जाते हैं ।

(ग) जी, हां । लड़के तथा लड़कियों की सहमति और विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

यूनिट ट्रस्ट

723. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लोगों को 'यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया' के द्वारा 30 जून, 1966 को पूरा होने वाले वर्ष के लिए आय वितरण वारंट प्राप्त हैं, उन्हें उन वारंटों के जारी होने की तारीख से छः महीनों के अन्दर भुना लेना होता है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने बैंक में वारंट जमा करके वारंट की राशि प्राप्त की है, उनके लिये छः महीने की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनिट के मालिक द्वारा लाभांश-अधिपत्र (डिविडेंड वारण्ट) पेश किये जाने पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अदायगी के लिए उसे छः महीने की अतिरिक्त अवधि के लिये सामान्यतः दुबारा मान्यता दे देगा । इसलिए, इस सम्बन्ध में सरकार को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ता

724. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन आदि के मामले में वही सुविधायें मिलेंगी, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई पिछली वृद्धि का लाभ उन्हें न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Israel Experts' Report on Irrigation Conditions in India

725. **Shri Rabi Ray**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have received any report a few years back from some irrigation experts of Israel about the irrigation conditions in India ;

(b) if so, the main features of this Report ; and

(c) whether Government would lay a copy of the Report on the Table ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) In October, 1961, a report was received from Mr. Moshe Ram, a resident of Israel and an expert of the F. A. O., regarding the problems of efficient use of water for irrigation in Bihar.

(b) The main features of this report are :

(i) Irrigation in Bihar should be considered a necessity, chiefly as a supplement to insufficient or irregular trends of rainfall ;

(ii) Consolidation of holdings and reshaping of field plots should be undertaken to encourage efficient use of land and water ;

(iii) Drainage improvement schemes should be extensively implemented for the ready disposal of surplus rainfall and also prevention of water logging ; and

(iv) Water requirements of crops should be studied on a scientific basis ;

(v) Results of three research stations established at Patna, Bikramganj and Madhepura were analysed.

(c) Since the submission of this report there has been further studies and research on water requirements of crops and so this report may not be of any current interest.

Declaration of Patna as 'B' Class City

727. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of India are considering any scheme to declare Patna as a "B" Class City in view of the unexpected increase in its population and the spiralling prices there ; and

(b) if so, the date from which Government propose to do so ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). According to the existing criterion, on the basis of population as disclosed by 1961 Census, Patna does not qualify for classification as a 'B-2' class city.

उर्वरक उद्योग में विदेशी पूंजी-निवेश

728. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण योजना के अन्तर्गत उर्वरक उद्योग में अपेक्षित विदेशी पूंजी-निवेश का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसका किन परियोजनाओं में उपयोग किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) उर्वरक उद्योग में विदेशी पूंजी-निवेश के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने वाले व्यक्तियों को रोजगार दिलाना

729. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने वाले व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). कुष्ठ के उपचार के लिए बहुत से केन्द्रों में विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि कुष्ठ से रोग-मुक्त लोगों को पूरी तरह से रोजगार दिलाने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं चलाई गई है। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

730. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर विदेशी सहायता की अप्रयुक्त राशि रुपये के अवमूल्यन के उपरान्त की दरों के अनुसार 1,820 करोड़ रुपये रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तीसरी आयोजना के अन्त में (अर्थात् 31 मार्च, 1966 को) विदेशी सहायता की खर्च न हुई रकम, जो आगे ले जायी गई है, लगभग 1830 करोड़ रुपया थी (जिसमें पी० एल० 480 सम्बन्धी रुपया-ऋण शामिल थे)।

(ख) और (ग). खर्च न हुई सहायता का कुछ हिस्सा चौथी आयोजना के लिए सहायता के रूप में निर्धारित है। कुछ हिस्से का सम्बन्ध उन प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली सहायता से भी है, जो तीसरी आयोजना के अन्तिम वर्षों में शुरू किये गये थे और जो चौथी आयोजना की अवधि में चले जायंगे। सहायता की कुछ रकम का इस्तेमाल न होने का कारण यह भी है कि लम्बी अवधि तक बातचीत चलते रहने और काम की गति धीमी होने जैसे कारणों से सहायता की रकम इस्तेमाल करने में देर हो गई। विदेशी सहायता के उपयोग से सम्बद्ध समिति ने जो सुझाव दिये हैं, उनके अनुसार सहायता की रकम के उपयोग में सुधार करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी

731. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ ने हाल ही में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों की मांगों सम्बन्धी एक मांग-पत्र पेश किया था ;

(ख) क्या इन मांगों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। जनवरी 1967 में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों की ओर से उक्त संघ ने जीवन बीमा निगम को एक मांग-पत्र पेश किया था।

(ख) चूंकि उक्त संघ को अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उक्त मांग-पत्र पर जीवन बीमा निगम कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं रखता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Attendants in Ghazipur Opium Factory Laboratory

732. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the grade of Laboratory Attendants in the Ghazipur Opium Factory is Rs. 85-2-95-3-110-3-128 whereas the grade of a Third Division Clerk is Rs. 110-180 in the same factory ;

(b) if so, the reasons for this discrimination in view of the similar qualifications for the two types of jobs :

(c) whether any representation has been made by the Laboratory Attendants in this connection ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The present scale of pay of Laboratory Attendants in the Ghazipur Opium Factory is Rs. 85-2-95-3-110-EB-3-128 while that of Lower Division Clerks (there is no grade as Third Division Clerk at present) is Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.

(b) The minimum qualification prescribed for the posts of Lower Division Clerks is matriculation or equivalent and their duties are clerical in nature. In the case of Laboratory Attendants, matriculation has not been prescribed as the minimum qualification. Candidates who have failed in matriculation and those who have studied upto matric class are also eligible for appointment to this post. Laboratory Attendants are required to perform routine duties entrusted to them by the Chemists. The posts of Lower Division Clerks and Laboratory Attendants are, therefore, not similar either in respect of their qualification or nature of duties performed.

(c) and (d). The pay scale of Laboratory Attendants was revised from Rs. 80-110 to Rs. 85-128 with effect from 1.5.1966. After this, there have been some representations for further upward revision of pay scale. Having regard to the nature of duties performed by the Laboratory Attendants, the Government decided that there was no justification for any further upward revision of their scale of pay.

Training in Family Planning

733. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the trainees were called for training in family planning in Gandhigram, Bombay and New Delhi last year ;

(b) if so, the number of trainees at these training centres in different States ;

(c) total amount spent on such training at these training centres ;

(d) whether it is a fact that the trainees in New Delhi Training Centre were not paid any stipend while those attending Bombay and Gandhigram training centres were given a stipend of Rs. 150 per mensem ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) Yes.

(b) A statement containing the required information is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-283/67]**

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as ready.

(d) Yes.

(e) According to the existing pattern stipend is admissible only to those trainees who reside in the hostel attached to the training centre. Since no hostel is attached to the training institute at New Delhi, the trainees deputed for training were not entitled to these stipends. They got their normal daily allowance instead.

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले

734. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री शम्भू नाथ :
श्री नागेश्वर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिलों के विकास के लिये अब तक सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) अगले वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1964-65 और 1965-66 में 8.50 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहायता दी गई । पहले के वर्षों में तथा 1966-67 वर्ष में भी इस प्रयोजन के लिए कोई नियत सहायता की व्यवस्था नहीं की गई और अपेक्षित परि व्यय की व्यवस्था राज्य योजना में ही की गई । चूंकि वर्ष 1967-68 के लिये योजना सम्बन्धी नियतन के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि सम्बन्धित चार जिलों में विकास कार्य के लिये कितनी राशि उपलब्ध होगी ।

आंध्र प्रदेश में पुलिवेंडाला नहर परियोजना

735. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के कुड्डप्पा जिले में पुलिवेंडाला नहर योजना राज्य की दूसरी योजना में नयी योजना के रूप में शामिल की गई थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जनवरी, 1962 में उसकी आधार शिला रखी थी;

(ख) क्या इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार से कोई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और क्या निर्माण-कार्य आरम्भ हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो अब इसकी क्या स्थिति है और इसका कार्य कब आरम्भ होने की आशा है;

(घ) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकार ने इसे चौथी योजना में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है । इसे योजना में सम्मिलित करने का फैसला परियोजना प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा ।

(घ) इस स्कीम को तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के साथ ही शुरू करने का प्रस्ताव है । इसे 55,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए बनाया जा रहा है और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) पुलिवेंडाला ब्लाक तक अतिरिक्त निस्सार को ले जाने के लिए 44/7 मील तक मध्य पेनार दक्षिण नहर की खुदाई;

(2) पलस्तर को छोड़कर टम्पेरा काट;

(3) चित्रावथी एनीकट; और

(4) 24 मील की लम्बाई में पुलिवेंडाला नहर की खुदाई ।

(ङ) 560 लाख रुपये ।

चौथी योजना के लिये अपेक्षित विदेशी सहायता

736. **श्री कंसारी हाल्दर** :
श्री सेझियान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अनुमानतः कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता है ;

(ख) इसमें से कितनी विदेशी सहायता का अब तक आश्वासन मिल चुका है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक सहायता देने का वचन दिया है; और

(घ) प्रत्येक देश ने कितनी-कितनी सहायता देने का वचन दिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मसविदे के अनुसार, विदेशी मुद्रा-साधनों में 6,300 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है, जिसकी पूर्ति विदेशों से आने वाली पूंजी से की जानी है। अनुमान है कि इसके एक भाग की पूर्ति देश में आने वाली गैर-सरकारी विदेशी पूंजी से की जायगी और बाकी रकम के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी।

(ख) से (घ). चौथी आयोजना के लिए विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की गयी सहायता का ब्योरा नीचे के विवरण में दिया गया है :

विवरण

देश/संस्था का नाम	**उपलब्ध की गयी सहायता (करोड़ रुपयों में)**
1. आस्ट्रिया	3.52
2. बेल्जियम	0.90
3. कनाडा	55.00
4. जर्मन संघीय गणराज्य	47.25
5. फ्रांस	12.75
6. इटली	49.12
7. जापान	33.75
8. नीदरलैंड	8.25
9. ब्रिटेन	67.20
10. संयुक्त राज्य अमेरिका	338.63
11. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	583.10
12. यूगोस्लाविया	60.00
13. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	161.25
14. हंगरी	25.00
जोड़ :	1,445.72

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय

737. **श्री ए० श्रीधरण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड (अलवाय) घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1964 और 1965 में कितना घाटा हुआ था ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) 1965-66 में हुई हानि के निम्नलिखित कारण हैं ।

(i) बिजली की सप्लाई की कमी;

(ii) विद्युत दाब की कमी तथा बिजली की खराबी; और

(iii) 2-5-1965 से श्रमिकों में असन्तोष; जिसके परिणामस्वरूप 25-8-1965 से 6-9-1965 तक पूर्ण हड़ताल का होना ।

(ग) 1964-65.....कुल हानि रुपये 48,83,000
1965-66.....कुल हानि रुपये 69,85,773

लूप के प्रयोग से होने वाली शारीरिक खराबियां

738. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लूप के प्रयोग से शरीर के अन्दर खराबियां पैदा हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय के विशेषज्ञों के एक दल से परामर्श किया है; और

(ग) परामर्श का क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं । लूप के प्रयोग से कोई आन्तरिक खराबियां उत्पन्न नहीं होती हैं । लूप लगने के बाद कुछ मामलों में रक्त-स्राव और दर्द होने जैसी छोटी-मोटी पार्श्व शिकायतें होने की रिपोर्ट मिली है । अधिकतर मामलों में ये शिकायतें आमतौर पर क्षणिक होती हैं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित लूप लगने के बाद होने वाली मालूमी पार्श्व शिकायतों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के पेनल तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को लिख दिया गया है ।

(ग) इन पार्श्व परिणामों के कारणों का पता लगाने के लिए अभी अध्ययन चल रहे हैं । तब तक इनके लिए कुछ उपचार बतलाया गया है तथा कुछ मामलों में जो उपचार से ठीक नहीं होते लूप निकाल दिया जाता है ।

विदेशी फर्मों की तलाशियां

739. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी फर्मों तथा उनके कर्मचारियों की कितनी इमारतों की तलाशी वर्ष 1962, 1963, 1964, 1965 और 1966 में उनके मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन जांच अधिकरणों द्वारा ली गई थी; और

(ख) कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मैसर्स जार्डाइन हैण्डर्सन लिमिटेड, कलकत्ता

740. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जार्डाइन हैण्डर्सन लिमिटेड, कलकत्ता के किन्हीं निदेशकों तथा अधिकारियों को 1954–60 की अवधि के दौरान भारत के स्टेट बैंक, भारत के रिजर्व बैंक, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सलाहकार समितियों में नामजद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वे कितनी अवधि के लिये नामजद किये गये थे; और

(ग) उक्त फर्म के प्रबन्ध निदेशक को 1960–63 में ऐसी कितनी समितियों में नामजद किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मैसर्स जार्डाइन हैण्डर्सन लिमिटेड के किसी निदेशक अथवा अधिकारी को 1954 से 1963 तक की अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सलाहकार समिति में नामजद नहीं किया गया था । भारत के स्टेट बैंक, भारत के रिजर्व बैंक के प्रबन्ध-बोर्डों में नामजद किये गये व्यक्तियों का ब्योरा निम्नलिखित है :

1. सर जार्ज एम० मैकिनले, प्रबन्ध-निदेशक	(1) अक्तूबर, 1951 से मार्च, 1955 तक इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के कलकत्ता स्थानीय बोर्ड के सदस्य ।
	(2) जुलाई, 1955 से मार्च, 1957 तक भारत के स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक और कलकत्ता स्थानीय बोर्ड के सदस्य ।
2. सर अशोक कुमार राय, निदेशक	मई, 1951 से जून, 1955 तक इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के कलकत्ता स्थानीय बोर्ड के सदस्य ।
3. श्री जे० डी० के० ब्राउन, कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक	(1) मार्च, 1955 से जुलाई, 1955 तक भारत के स्टेट बैंक के कलकत्ता स्थानीय बोर्ड के सदस्य ।

(2) मई, 1959 से मार्च, 1963 तक भारत के रिजर्व बैंक के पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य।

Narmada Valley Project

741. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether any country other than U. S. S. R. has also assured assistance in regard to the Narmada Valley Project; and

(b) if so, which and in what manner?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). The Narmada Project has not yet been sanctioned, as no final settlement has yet been arrived at in the dispute regarding Narmada waters. It is only after this matter is settled, that the question of its sanction and posing for foreign assistance may be considered.

होम्योपैथी

742. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में होम्योपैथी की शिक्षा तथा चिकित्सा के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में अस्थायी रूप से कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई योजना तैयार की गई है तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) होम्योपैथी के ऐसे कितने अस्पताल हैं, जिन्हें सरकार सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि देश में होम्योपैथी की दवाइयां तैयार करने के मामले में सरकार द्वारा कोई अनुसंधान किया गया है, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) होम्योपैथी शिक्षा, चिकित्सा और अनुसन्धान के लिये अस्थायी रूप से पूर्णतः केन्द्रीय क्षेत्र में 70 लाख रुपए और राज्य क्षेत्र में 40 लाख रुपए नियत किये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-284/67]**

(ग) चिकित्सा राज्य का विषय होने के कारण होम्योपैथी के अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

(घ) भारत सरकार ने होम्योपैथी की दवाइयां तैयार करने के लिये कोई अनुसंधान नहीं किया है।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियां

743, **श्री बलराज मधोक :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितनी सहकारी गृह-निर्माण समितियां हैं और उन्हें कुल कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता है;

(ख) प्रत्येक सहकारी समिति के लिये कितनी-कितनी भूमि नियत की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन सहकारी समितियों ने उनके लिये मंजूर हुई भूमि का पूरा अथवा आंशिक मूल्य चुका दिया है, उन्हें अभी तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उस भूमि को एलाट करने की कोई समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है; और

(ङ) क्या इन सहकारी समितियों को इनके द्वारा जमा की गई राशि पर कुछ ब्याज दिया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली में 284 रजिस्टर्ड कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज में से 210 ने दिल्ली में भूमि के लिए आवेदन किया है। उनको आवंटन के लिए 3,600 एकड़ भूमि का कुल क्षेत्र प्राक्कलित किया गया है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-285/67]

(ग) भूमि के मूल्य के प्रति अभी तक मांगी गयी राशि का जिन 54 कोआपरेठिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज ने पूरी अदायगी कर दी है उनमें से 37 सोसाइटीज को भूमि का कब्जा दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

आसाम के पहाड़ी जिलों को सहायक अनुदान

744. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आसाम के पहाड़ी जिलों को प्रतिवर्ष केवल 40 लाख रुपये काही तदर्थ सहायक अनुदान दिया है;

(ख) क्या यह अनुदान उस क्षेत्र की आवश्यकता के विश्वसनीय अनुदान पर आधारित था, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 275 में उपबन्धित है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 275 की भावना के प्रतिकूल इतनी थोड़ी सी राशि दिये जाने के कारण ही राज्य के वित्तीय संसधानों पर बराबर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो अब क्या उपचारात्मक उपाय सोचे जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):(क) संविधान के अनुच्छेद 275 के दूसरे परन्तु क के उप-खंड (क) के अनुसार प्रत्येक वर्ष आसाम सरकार को 40 लाख रुपए का सहायक अनुदान दिया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). अनुदान संविधान के उपबन्ध के अनुसार निर्धारित किया गया है। राज्य वित्तीय संसाधनों पर दबाव, यदि कोई हों, तो इस अनुदान की राशि के कारण नहीं हैं।

तपेदिक का इलाज

745. **श्री प्र० के० देव :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसार में तपेदिक के दस रोगियों में से चार रोगी भारत में हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस रोग की रोकथाम के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तपेदिक के इलाज के लिए मोर्फाजिनामाइड नामक एक नई औषधि बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी कारगरता क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) इस संबंध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) एक राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पहली योजना से चल रहा है। क्षय रोग क्लीनिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, सचल एक्स-रे एकक, बी० सी० जी० वैक्सीन और क्षय निरोधी औषधियों का मुफ्त दिया जाना देश में चल रहे राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम की प्रमुख बातें हैं। चौथी योजना में इस कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(ग) और (घ). मोर्फाजिनामाइड पाइरेजिनामाइड जिसे संसार गत 14 वर्षों से जानता है, से ही निकली हुई औषधि है। यह एक उप औषधि है और जब मानक वाली औषधियां काम

नहीं करतीं तो एथियोनोमाइड साइक्लोसेरीन जैसी औषधियों के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि मोर्फीजिनामाइड पायरेजिनामाइड से अधिक अच्छी औषधि है।

जाली बैंक ड्राफ्टों को बेचने वाले गिरोह का पता लगाया जाना

746. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में पर्यटकों को बड़े पैमाने पर जाली बैंक ड्राफ्ट बेचे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने लंदन के एक बैंक के नाम पर जारी किये गये, कुल 3,880 पौंड (81,480 रुपये) मूल्य के, जो तीन बैंक ड्राफ्ट, दिसम्बर, 1966 में पकड़े थे, वे जांच करने पर जाली पाये गये। इस मामले के अलावा, सरकार के सम्मुख अन्य कोई ऐसी समाग्री नहीं है जिससे, दिल्ली में पर्यटकों को जाली बैंक ड्राफ्टों की बड़े पैमाने पर बिक्री होने का निष्कर्ष निकाला जा सके।

(ख) तथा (ग). इन तीन जाली बैंक ड्राफ्टों के मामले की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

नागार्जुन सागर बांध

747. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1966-67 में नागार्जुन सागर बांध परियोजना के लिये योजना में निर्धारित राशि से कितनी अधिक राशि मांगी थी;

(ख) कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या धन की कमी के कारण इस परियोजना के कार्य में कोई शिथिलता आई थी; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के कार्य पर इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अधिकतम 11.5 करोड़ रुपये और न्यूनतम 8 करोड़ रुपये।

(ख) 8 करोड़ रुपये।

(ग) नहर प्रणालियों पर कार्य-गति में कुछ शिथिलता थी।

(घ) 1967-68 में सिंचाई शक्यता के उत्पादन में 2.8 लाख एकड़ क्षेत्र की हानि हुई।

तुंगभद्रा उच्चतल नहर

748. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तुंगभद्रा उच्चतल नहर परियोजना संबंधी विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्राक्कलन कब प्रस्तुत किये गये थे;

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;और

(घ) क्या माइलावरम जलाशय के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण आयकट को तुंगभद्रा से जल दिया जायेगा अथवा क्या इसके स्थान पर अन्य व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 अप्रैल, 1966 को ।

(ग) (1) उच्च स्तरीय मुख्य नहर को 69वें मील से 116वें मील तक, जो भाग आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है, को चौड़ा करना और उसका पलस्तर करना ।

(2) 62,425 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये 116वें मील से निकलने वाली गुन्टाकल शाखा नहर ।

(3) माइलावरम गांव के निकट पैनल नदी के ऊपर माइलावरम बांध ।

(4) 25,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये कुडापाह दक्षिणी नहर ।

(5) 50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये कुडापाह उत्तरी नहर ।

(6) उरावाकोन्डा काट का पलस्तर करना ।

(7) मध्य पैनार बांध चरण—2; और

(8) मध्य पैनार दक्षिणी नहर चरण—2 ।

(घ) तुंगभद्रा जलाशय की जल-सप्लाई के अतिरिक्त मध्य पैनार बांध और माइलावरम बांध के बीच पैनार से जल दिया जायेगा ।

रूस से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब

749-क **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के सहयोग से निर्मित की जा रही परियोजनाओं की क्रियान्विति में कुछ विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा कि ये परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कब पूरी हो जानी चाहिए थीं, उनमें कितना विलम्ब हुआ है और इस समय वे किस अवस्था में हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ब्रिटेन द्वारा सैनिक अड्डों के लिये हिन्द महासागर में द्वीपों के खरीद के प्रस्ताव का कथित समाचार

Shri George Fernandes (Bombay South) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement thereon :—

"Reported decision of the British Government to purchase several islands in the Indian Ocean and to convert them into Anglo-American bases for warships and aircraft".

वैदेशिक-कार्य मंत्री (मु० क० चागला): श्रीमान, राज्य-सभा में 18 नवम्बर, 1965 को तथा लोक-सभा में 23 नवम्बर, 1965 को इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी । इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा तब अपनाई गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में हाल ही के समाचारों के बारे में सरकार ने और पूछताछ की है । ब्रिटिश सरकार के कथनानुसार इन द्वीपों में फौजी अड्डे बनाने या विदेशी सेना रखने का कोई विचार नहीं है, उसके दावे के अनुसार वर्तमान प्रस्थापना पहली प्रस्थापना से भिन्न नहीं है तथा सुदूरपूर्व देशों में जाने वाले ब्रिटिश तथा अमरीकी सैनिक जहाजों के पारगमन ठहरने तथा ईंधन आदि डालने की सुविधायें देने का विचार है । उसने यह भी दावा किया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मलयेशिया, आस्ट्रेलिया तथा हांगकांग को तथा अमरीकी सरकार द्वारा सुदूरपूर्व देशों को दिये गये वचनों को पूरा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । इस समय ब्रिटिश सरकार निजी स्वामित्व के तीन द्वीपों अर्थात् फरकवाहर, डेसरोचेस तथा अलडाबरा द्वीप तथा मौरीशस के कब्जे में चागोस द्वीपसमूह खरीदना चाहती है । ब्रिटिश सरकार इसे पारगमन, ईंधन आदि डालने और संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए खरीदना चाहती है ।

भारत सरकार हिन्द महासागर में फौजी अड्डे बनाने के विरुद्ध है क्योंकि इससे इस प्रदेश में तनाव बढ़ सकता है । हम आशा करते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी शान्ति के हित में इस क्षेत्र में फौजी अड्डे नहीं बनायेंगे । हम इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के इस सम्बन्ध में संकल्प संख्या 2066 का समर्थन करते हैं जो 4 जनवरी, 1966 को स्वीकृत हुआ था । इस संकल्प में बड़ी चिन्तापूर्वक यह उल्लेख किया गया है कि यदि सैनिक अड्डे बनाने के लिए मौरीशस के सीमा-क्षेत्र के कुछ द्वीपों को अलग करने के लिये प्रशासनिक शक्तियों ने कोई कार्यवाही की तो 14 दिसम्बर, 1960 के संकल्प संख्या 1514 के विरुद्ध होगा । यदि आवश्यक हुआ तो हम यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठायेंगे ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I would like to know whether the Government of India have lodged any protest to the Governments of U. K. and U. S. A. against buying those islands and setting up bases there ? Whether Government propose to take this matter to U. N. O. or International Court of Justice and whether they propose to mobilise opinion in this connection in the world generally and Asiatic countries in particular ?

श्री मु० क० चागला : हमने ब्रिटेन के उच्चायुक्त को बताया है कि उनका ऐसा प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प के विरुद्ध है । कोई स्वतन्त्र देश अपने राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में जो चाहे कर सकता है परन्तु मौरीशिस अथवा सिचलिस के किसी भाग को पृथक करना संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का उल्लंघन होगा । हम निश्चय ही यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जायेंगे और इस मामले के विरुद्ध लोक मत बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : क्या हाल ही में हुई प्रतिरक्षा विचार गोष्ठी में यह मामला उठाया गया था अथवा नहीं ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : (भुवनेश्वर): क्या सरकार इस मामले में विरोध के लिए अन्य सम्बन्धित एशियाई देशों के साथ शामिल होगी ?

श्री मु० क० चागला : यदि आवश्यक हुआ तो हम अन्य सम्बन्धित देशों के साथ मिलकर इस मामले में कार्यवाही करेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In the answer of the Hon. Minister, it has been stated that what the British Government are proposing to do now is to negotiate the purchase from some British planters of three privately owner islands. I would like to know the validity of such a sale in International law ?

श्री मु० क० चागला : कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामित्व तो किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है परन्तु प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती । प्रतिकर देकर किसी उपनिवेशीय देश की प्रभुसत्ता हस्तान्तरित नहीं की जा सकती ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The Hon. Minister is not giving a correct reply. A powerful protest should be lodged in this matter.

श्री मु० क० चागला : मैंने यह नहीं कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के कथन को ठीक मानते हैं । मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जो ठीक नहीं है । मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य निन्दास्पद शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is because you have forgotten to speak the truth.

श्री मु० क० चागला : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य शिष्टता भूल गये हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I cannot be courteous to a liar.

श्री मु० क० चागला : यह असंसदीय कथन है । इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह शब्द कार्यवाही में से निकाले जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में मंत्री महोदय की आपत्ति तथा मेरा कथन भी शामिल रहेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The British Government goes on postponing the date of independence of Mauritius. I would like to know whether the Government will raise this question in the meeting of commonwealth countries and whether they would solicit the opinion of countries adjoining Indian Ocean ?

श्री मु० क० चागला : ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया है कि मौरिशस को चुनाव के छः मास के पश्चात् स्वतन्त्र कर दिया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, चुनाव इस वर्ष जून अथवा जुलाई में होने हैं।

हम निश्चय ही दूसरे देशों में इस बात के लिए लोकमत बनाने का प्रयत्न करेंगे कि इन द्वीपों से हिन्द महासागर के तट के साथ वाले देशों को कोई खतरा न हो अथवा कोई तनाव न पैदा हो।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): चीन द्वारा भारत के विरुद्ध लगातार परमाणु खतरे को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार तथा मौरीशस की सरकार मिलकर कोई साझा परमाणु संरक्षण बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगी।

श्री मु० क० चागला : परमाणु नीति के बारे में मैं सभा में पहले ही एक वक्तव्य दे चुका हूं। चीन के विरुद्ध संरक्षण के लिए हम प्रत्येक प्रयत्न करेंगे।

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले): क्या यह हमारे हित में नहीं होगा कि इस मामले में चुप रहकर चीन के परमाणु खतरे के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री मु० क० चागला : यह बात हमारी उपनिवेशवाद-विरोधी नीति के प्रतिकूल है। ऐसा करना उपनिवेशवाद को स्थायी बनाना है। उसके विरुद्ध आवाज उठाना भारत का कर्त्तव्य है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इन सैनिक अड्डों के स्वरूप के बारे में भारत सरकार की अपने स्रोतों से जानकारी क्या है ?

श्री मु० क० चागला : हमारी जानकारी ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा दी गई जानकारी से भिन्न नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अर्लीपुर): क्या ब्रिटिश उच्चायुक्त को यह बताया गया था कि ब्रिटिश तथा अमरीकी विमानों के लिए इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सैनिक हवाई अड्डे बनाने की आवश्यकता होगी ?

श्री मु० क० चागला : हमने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी सुविधाएं आगे चलकर इससे बढ़कर कुछ और भी हो सकती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): क्या इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां । एक पत्र में यह द्वीप खरीदने के प्रयोजन बताये गये हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : May I know whether a time limit will be set for the settlement of this issue by U. N. O. ?

श्री मु० क० चागला : हम संयुक्त राष्ट्र पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए आग्रह करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): क्या भारत सरकार ब्रिटिश सेना को गोरखाओं की भर्ती के लिए सुविधायें देना चाहती है ।

श्री मु० क० चागला : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

पंजाब में स्थिति के बारे में
RE. SITUATION IN PUNJAB

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I want to know under what law the Government of Punjab is continuing in office when the opposition there has defeated that Government. That Government should be dismissed.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस तरह नहीं उठाया जा सकता ।

श्री बूटा सिंह (रोपड़): वहां पर सांवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है ।

श्री अटल विहारी बाजपेयी (बलरामपुर): मैं यह धारणा उत्पन्न नहीं होने देना चाहता कि केवल कांग्रेस के सदस्य ही पंजाब के प्रश्न पर चर्चा चाहते हैं । हमारी भी इस प्रश्न में रुचि है और हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक माननीय सदस्य खड़े हों तो बात समझ में आ सकती है परन्तु यदि एक साथ इतने सारे सदस्य खड़े होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): हमने इसकी सूचना दी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है । मुझे केवल एक ही विषय पर विचार नहीं करना होता है अपितु अनेक विषयों पर विचार करना होता है । इस समय माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री बूटा सिंह : हमारी बात सुनी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-250/67**]

1967-68 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): मैं समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के विषय में वर्ष 1967-68 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में दिनांक 6 अप्रैल, 1967 की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-252/67**]

दिल्ली विकास प्राधिकार (समिति की बैठक) विनियम

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार (समिति की बैठक) विनियम, 1966 की जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3619 में प्रकाशित हुए थे एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-253/67**]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 18वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 443 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 19 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 444 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 20 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 445 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 21 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 446 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 22 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 447 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 23 वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 448 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) जी० एस० आर० 449 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 110 का शुद्धिपत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-254/67]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 395 जो दिनांक 25 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 450 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 451 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० आर० 452 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० एस० आर० 453 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी० एस० आर० 463 जो दिनांक 30 मार्च 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-255/67]

वर्ष 1965-66 के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आदि के वार्षिक प्रतिवेदन

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं श्री रघुरामैया की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 23 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-256/67]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-257/67]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-258/67]

(4) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-259/67]

(5) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पाईराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-260/67]

(6) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1965-66

के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-261/67]

नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा दामोदर घाटी निगम के बजट प्राक्कलन

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं (1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-262/67]

(2) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1967-68 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-263/67]

आवश्यक वस्तु अधिनियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) विलायक-निस्सारित तेल (सौल्वेंट एक्सट्रेक्टेड आयल) डि-आयल्ड मील और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 जो दिनांक 17 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 410 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० ओ० 939 जो दिनांक 25 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 को दादरा तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-264/67]

मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. PERSONAL EXPLANATION OF MINISTER

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : During the Question Hour on the 20th March, 1967 supplementary questions were asked about intimate relations of two Cabinet Ministers with institutions and organisations receiving grants from the C.I.A. financed foundations in the U.S.A.

When an enquiry was made from the office of the A. I. C. C. on telephone it was told that Shri Dinesh Singh was in overall charge of the Indian Youth Congress. But the same day Shri Dinesh Singh, rising on a point of personal explanation categorically denied that he was in charge of the Youth Congress and termed it an insinuation.

In the July-September, 1965 issue of the A. I. C. C. Bulletin, there was a circular on page 255 by the General Secretary of the All India Congress Committee in which it had been stated that Shri Dinesh Singh had been given over all responsibility and charge of the Youth Congress. On the same page there appeared another circular issued three days later by Shri Dinesh Singh himself in which he said that he was looking forward to the "support and active cooperation" of the Youth Congress.

Shri Dinesh Singh has been issuing letters and circulars and participating in the Youth Congress functions in his capacity as the person in charge of this work since then. Therefore his statement that insinuations have been made against him is wholly unfounded. In fact he has made an incorrect statement before the House and is guilty of contempt of the House. His object behind this incorrect statement was to escape the odium attached to organisations receiving financial assistance from the C.I.A.

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : The Youth Congress is a premier youth organisation in the country and I consider it an honour to be in overall charge of its activities. There was no intention on my part at any time to conceal my association with the Youth Congress. In fact I have clearly stated in the House on the 20th March, 1967 that I am a member of the Central Advisory Committee of the Youth Congress. And it is but natural that Youth Congress members consult me on various matters from time to time. At time I have also been assigned specific responsibilities.

The Youth Congress had assigned to me the responsibility of reorganising the Youth Congress. I undertook this task in 1965. The Youth Congress has been largely reconstituted. It has its own constitution and is functioning normally. So far as my information goes the Youth Congress has not received any aid from the Central Intelligence Agency of the U. S. Government.

The document referred to by the Hon. Member does not prove his contention. It is dated 26th August, 1965. Thus two years have gone by and many things have been done. This matter has been raised under Direction 115. So my humble submission is that I have not made any wrong statement here. If the Hon. Members had any doubt about the veracity of that statement, they could have contacted me. I would have felt great pleasure in removing any misunderstanding in regard thereto.

Shri S. M. Joshi (Poona) ; Allegations are made here against certain persons which amount to character assassination. We are after all here to expose the misdeeds of the Government. Otherwise what is the use of our sitting here ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उन्हें नियमों का पालन करना चाहिये ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि प्रक्रिया नियमों को लागू करने के मामले में अध्यक्ष महोदय को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

यह ठीक ही है हमें नियमों के अनुसार काम करना चाहिये परन्तु कई मामलों में जब नियम स्पष्ट नहीं होते हैं तो पिछले उदाहरणों की ओर निर्देश करना पड़ता है। पंजाब का विषय भी कुछ ऐसा ही मामला है और मैं वहां की विधान सभा के अध्यक्ष के अचानक अधिवेशन को स्थगित करने के निर्णय के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी मामले पर श्री शर्मा के साथ अपने कमरे में बात करूंगा और तभी मैं निर्णय करूंगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Depnty Speaker in the Chair]

भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक—जारी
LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL—Contd.

Shri Maharaj Singh Bharti (Meerut) : It is accepted in all quarters how the provisions of the Land Acquisition Act have been misused. Lands at nominal prices had been forcibly taken from the poor cultivators for colonisation and even after the passage of several years the colonies have not taken shape. Hastinapur is a case in point. The operation of the Act has resulted in the displacement of the poor cultivators from their homes and has driven them to cities in search of work as labourers. Whenever land is acquired for colonisation, at least a part of it should be earmarked for rehabilitation of the ejected cultivators.

Lands are acquired without a systematic plan. For example, the actual requirement of a factory for which land is acquired is ignored. The result is that in many cases land is acquired in excess of the actual requirement and in some cases factories have not come up at all though the land had already been acquired. Whatever lands the industrialists ask for are acquired and given to them.

There should be a committee to go into all such cases of the abuse of the provisions of this Act.

With these words I commend this Bill for reference to a Select Committee.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पिछले काफी वर्षों से भूमि अर्जन कार्यवाही परेशानी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार का साधन बन गई है। जिन लोगों से भूमि ली गई है उनको प्रतिकर अधिकारियों द्वारा काफी परेशान किया जाता है। काफी मामलों में भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया है हालांकि भूमि अर्जित किये काफी वर्ष हो गये हैं। महानदी हीराकुड बांध परियोजना को ही ले लीजिये, विभिन्न कार्यवाहियों के कारण किसानों को मुआवजे की 18 लाख रुपये की राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

जमीनें बिना किसी क्रमबद्ध योजना के अर्जित की जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे वर्षों तक बेकार पड़ी रहती हैं।

भूमि अर्जन का जो मुआवजे किसान को मिलना चाहिए, उसमें से 70 प्रतिशत तो उस रुपये की दौड़-धूप तथा अधिकारियों को दी जाने वाली घूस में समाप्त हो जाता है। किसान को तो केवल 30 प्रतिशत ही मिल पाता है।

इसलिए मंत्री महोदय एक-एक संशोधन लाने की बजाय एक व्यापक कानून लावें और उसमें भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की हद निश्चित कर दें। मैंने तो किसानों से भी कहा है कि वे अपनी भूमि का कब्जा तब तक न दें जब तक उन्हें मुआवजे की राशि न मिल जाये। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे एक व्यापक विधेयक लावेंगे तथा एक सदस्यों की समिति नियुक्त करेंगे जो उस पर पूरे रूप से विचार कर सके। मैं इस आश्वासन का स्वागत करता हूं।

अनावश्यक भूमि का अर्जन नहीं करना चाहिये। अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र समाप्त होनी चाहिये और कृषकों को उनकी भूमि की राशि तुरन्त मिलनी चाहिए।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : यह अच्छा हुआ कि सरकार इस विधेयक को ले आई। यह तो बहुत पहले ही ले आना चाहिये था। मैंने स्वयं इस सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी विधेयक 1964 में प्रस्तुत किया था।

सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें मुआवजे की है। एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि भूमि अर्जन की जायेगी और उसके कहीं 10 वर्ष पश्चात् वह भूमि वास्तव में अर्जन की जाती है परन्तु मुआवजा उस पर से दिया जाता है जो भूमि का मूल्य अधिसूचना जारी करने के समय होता है। भूमि का मूल्य वास्तव में बढ़ जाता है। फिर क्यों किसान को उसके लाभ से वंचित किया जाता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। क्या सरकार इस तरीके से गरीबों को और अधिक गरीब नहीं बना रही।

इस सम्बन्ध में मूल कानून 1894 में बना था। देश में इतना परिवर्तन हो चुका है परन्तु इस कानून को नहीं बदला।

मैं प्रार्थना करता हूं कि एक व्यापक विधेयक लाया जाये और उससे पहले सरकार एक समिति नियुक्त कर दे जो यह देखे कि क्या-क्या बातें उस विधेयक में शामिल करनी चाहियें। मैंने फिर एक विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कर दिया है।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्र गढ़) : जिस प्रकार यह विधेयक बनाया गया है, इससे बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी।

मंत्री महोदय ने विधि आयोग तथा सरकारी समिति का उल्लेख किया था परन्तु क्या यह समिति की रिपोर्ट के विरुद्ध नहीं है ?

गुड़गांवा जिले में इसे कठोरता से लागू किया गया। फरीदाबाद में यह कह कर भूमि अर्जन की थी कि वहां कारखाने लगाये जायेंगे और उसका मुआवजा चार आने से लगाकर एक या दो रुपया प्रति वर्ग गज दिया था। उसी भूमि को 40 रु० से 50 रु० प्रति वर्ग गज की दर से बेचा। इसमें से केवल दसवां भाग कम्पनियों की स्थापना के काम में लाया गया बाकी बेच दिया गया। आज वहां महल खड़े हैं। लोग फरीदाबाद को फ्राडाबाद कहते हैं। दिल्ली के बड़े-बड़े लोग वहां फार्म और मुर्गी खाने खोलने के नाम पर बड़े-बड़े महल बना रहे हैं।

कुछ मास पूर्व पंजाब के राज्यपाल ने एक ऐसी अधिसूचना जारी की जैसी आज तक कानून का अनुसरण करने वाले नागरिकों ने आज तक नहीं सुनी थी। उसके अनुसार यह कहा गया कि अमुक हदबस्त का अर्जन किया जायेगा। उसमें भूमि के मालिकों तक का नाम न दिया गया तथा न ही इससे स्कूल और सड़कों को छोड़ा गया। उसमें अर्जन करने का उद्देश्य भी नहीं लिखा था। भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह की भूमि का भी अर्जन कर लिया गया। मैंने इस अधिसूचना के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है।

दूसरी बात संविधान तथा कानून की है। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया है और हम यदि कानून बनाते हैं तो उस न्यायालय का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे वापिस ले लो।

Shri Hukam Chand Kachwai (Dewas): Mr. Deputy Speaker, there is no cabinet minister at present in the House although there is a ruling on it but it is being violated.

श्री गजराज सिंह राव : इन बड़े-बड़े व्यक्तियों ने ही यह भूमि अर्जन का कानून बनवाया है। इसलिए भूमि अर्जन की जो कार्यवाही हो रही है उन्हें वापिस लिया जाये अन्यथा इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाये। मेरे विचार में तो यह कानून अवैध है। गुड़गांवा के 12 ग्रामों की भूमि यह कह कर ले ली गई कि यदि उन्होंने भूमि नहीं बेची तो भूमि अर्जन कर ली जायेगी। इससे खाद्यान्न की उपज पर भी प्रभाव पड़ा है। मंत्री महोदय को इससे सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनी राय भी पता करनी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Mr. Deputy Speaker, for the last some years Delhi city is sprawling and the lands of poor peasants is being acquired at low rates. The worst affected people are of districts Gurgaon and other Haryana areas. Similar is the case with Meerut and Bulandshahr districts of U. P. You will recollect that Late Prime Minister Nehru had to write to the Government of U. P. when the people of 25 villages near Ghaziabad came and demonstrated for full one month in Delhi. Shri Nehru wrote that compensation at the rate of 13 paise per square yard was too meagre for the lands of those who were to be evicted from there forever. Even after Shri Nehru's intervention the compensation rate was raised to only seventy to eighty paise per square yard and that money has not been paid in full as yet.

All the courts in India including the Supreme Court have given their verdict against the Government on this issue of acquisition of land. It appears that Government has brought this Bill to overcome the rulings of Supreme Court.

A person living in a city is entitled to sell his land at the price which he may deem fit to sell at but the poor peasants are being deprived of this right. Now the Supreme Court has given a judgement that Fundamental Rights cannot be amended. Government appears to be trying to circumvent that judgement of the Supreme Court. Government appears to be making Supreme Court a less important body.

The Government by this legislation will inflict double punishment to the peasants. First of all they will have to approach courts to fight out the acquisition proceedings and pay all the dues to the courts. Secondly after acquisition they will not be given full compensation for their lands.

This Bill should not be hustled into an Act. It should go to the Select Committee where every section of it may be looked into as it will affect 82 per cent of the population of India who live in villages.

I want that not only this law but the Act of 1874 may be reconsidered as many changes have taken place since that was enacted.

I again want it to be referred to Select Committee.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, the propriety demands that at least one Minister of rank cabinet should always be present in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सम्बन्धित व्यक्तियों के पास भिजवा दूंगा । इस समय संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री आ गये हैं ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker. Land Acquisition Act of 1894 is a black law for the peasants. It is a death warrant for them and an attack on his citizenship. He has been discriminated upon which is illegal. The Britishers enacted it to create rift between the peasants and the city dwellers. Crores of peasants have already undergone hardships due to this Act. Now the country is free and this discrimination against peasants should end.

A peasant loves his land more than he loves his children, his wife or his relatives and if some attempt is made to deprive him of his land, he takes it as a war against his own person. Most of the murders which took place in the villages were pertained to land matters. A peasant in U. K., America and Europe is given a place of pride. Then why is he treated in an inferior way here ? When land is acquired from a peasant nobody knows what he will do after that.

Those peasants who took part in the freedom movement of 1857 were deprived of their land by the British Government. I want you to realise for a moment as to what you will do by depriving the peasants of their land. When you cannot take over the shop of a shopkeeper or the house of a clerk, why then you take away the land of a peasant? Do you think that he is an animal or an insect ? If he objects to his land being taken, you put him behind the bars.

The Supreme Court has given its judgement that Fundamental Rights enshrined in the constitution of India are inviolable. But you want to abrogate those provisions. A peasant's land is taken away from him on a very cheap rate and as soon as he is deprived of it, the same land is sold at the rate of Rs. 100/- or Rs. 200 and even Rs. 400/- per square yard. If Government constructs railway line, the land is taken on cheap rates but if it constructs a canal the peasant has to pay betterment levy and super charge. Then why the same yard stick is not applied when a factory is established after taking over the land of a peasant ?

The peasant should not be given a step-motherly treatment. He is not treated in the way a "seller" or "purchaser" is treated. In the name of "public purpose" big chunks of lands are taken away from the peasant.

A peasant should be given the price of his land which he is entitled to under the law. After the land is taken away much money of the peasant is spent in litigation.

A peasant should be given all rights which a human being is entitled for. The present law does not give him that right. This Bill should not be passed in a party manner. The public opinion should be ascertained on it or it may be sent to a Select Committee or in the alternative the Bill should be withdrawn.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, I am happy that there is opposition of this Bill from all the members and I hope Government will take this into consideration.

Nobody would have objected to the Government acquiring more powers if that is for doing some public good. But Government makes only pious declarations and slogans.

Some Congress members have opposed the Bill and stated that Government has reduced the peasants to a second class citizens. If that is so why do not the Congress members leave their party and thereby change the Government.

The Delhi too has its "untold story". About 60,000 acres of land was earmarked for acquisition in Delhi and a sum of Rs. 50 crores has been spent on it. But out of that only 7,000 acres of land has actually been acquired. Delhi's population is fast increasing and about 30,000 tenements should be constructed here every year. The master plan of Delhi was on the lines as if they were doing it in respect of London or New York. In Delhi after spending of Rs. 1 crore and 30 lakh on administration, they constructed only 180 quarters in ten years and not a single one of them has so far been allotted. The Government has acquired land at the low rate of one rupee or two rupees per square yard but sells it at the rate of Rs. 40 to Rs. 100 per square yard. This black marketing from the side of Government should cease.

In Delhi there are 210 unauthorised colonies for which acquisition notices have been issued. If Government decides to evict the 5 lakh people who inhabit these houses, it will be most inhuman act on its part.

Delhi is becoming a slum gradually. In 1960 there were 30 thousand shanties here but in 1967 its number has gone up to 1 lakh. This means that one lakh families are living in them. The Government does not seem to be much concerned about that. The Government should take steps for development of land.

The second point which I want to raise is some time limit should be fixed under Section 4 and in matters of compensation. This should be complete in three years. Once you issue notice under Section 4 and then there is no notice issued under Section 6.

खाद्य,कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : हमने इसमें यह व्यवस्था कर दी है कि यदि बकाया मामलों में यह घोषणा तीन वर्ष तक न आवे तो उस राशि पर ब्याज दिया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : In my opinion this Bill is incomplete. The Government through this Bill is trying to cover its own inefficiency, nepotism and corruption.

The main reason for the illegal construction of houses in Delhi is that Government has acquired land on a large scale. You should acquire only that much land which you can develop in five years. There is lack of planning. There is no definite policy. There should be good housing scheme for Delhi. This Bill should be sent to a Select Committee.

Shrimati Ganga Devi (Mohanlalganj) : Mr. Deputy Speaker, the real trouble is not about acquisition but it pertains to the intention of the Government as it does not want to give full compensation for the land it acquires.

The Hon. Minister has Tabled an amendment to give 6 per cent. interest which indicates that Government too realises the loss caused to the people on this account.

I want to cite the example of Ghaziabad where Government gave notice under Section 4 in July, 1960. The real intention was to take the land into possession and then sell it on exorbitant rates. Although Supreme Court has given its judgement on Fundamental Rights yet the Government appears to be thinking to overcome that. The bureaucratic officers put an end to all the approaches which the people made to the Ministers.

It will be very bad if justice is not given to the peasants. If Government persists in its policies, I do not know what will be the fate of our party.

सभापति महोदय : श्री सरजू पाण्डेय

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों की संख्या 115-क के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को बोलने के लिए तब बुलाया जायेगा जब वह अपने स्थान पर खड़ा होगा। क्या वह अपने स्थान पर खड़े हुए ?

सभापति महोदय : उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैंने उन्हें बोलने को कहा है।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Chairman, all sections of the House have opposed the Bill under consideration. Members from different states have narrated how under this law the peasants were deprived of their land. They have not defined anywhere as to what the "public purpose" is. The bill has been brought mainly to validate the illegal deeds of the Government. The highest Court in the country has given its judgement that all land has been acquired in an illegal manner.

I want the Congress Members who have voiced their grievances against this Bill should vote against this Bill if they really are against it. The ministers introduce in the House the Bills which their officers want them to do so, without understanding the real implications of the measures and the Bill is passed in the name of discipline of the party.

The Government through this measure wants to deprive the peasants of the right to appeal against acquisition. Due to such acts there has been change of Governments in many states.

The officials have made land acquisition activities as the source of corruption.

I would request the Hon. Minister to withdraw this Bill. The people whose lands are acquired should be given sufficient opportunity to defend their interest. The amount of compensation too is spent in bribery which is given to obtain compensation.

The Government should send this Bill to Select Committee and then bring a comprehensive Bill which may safeguard the interest of peasants and the capitalists may not be able to take undue advantage of it. I oppose the Bill.

Shrimati Laxmi Bai (Medak): I am happy that the Bill has been opposed by all members and I congratulate them for that. I do not know how many officials who execute the laws passed by Parliament belong to farmer's families but I request them to execute them in a manner that the peasants are not put in difficulty. These days nobody listens to the cry of the peasant. There is no planning in the development of villages. There is no place for the grazing of cattle nor are the paths in villages properly laid. The peasant is not satisfied now as most of his land is being acquired for development.

I know how land was acquired in Delhi. According to Award No. 1666 which took place in 1958 land was acquired at the rate of Rs. 670 per bigha i. e. 10 paise per sq. yard. You cannot buy a piece of paper for 10 paise these days. What farce is it? A peasant is being ignored in a country which is populated by peasants.

As a member puts so many questions but as soon as he becomes a minister he keeps quiet. Still my main complaint is against the administration as they remain there permanently and so they should work in an intelligent manner. They should pay more attention to agriculture.

श्री नंजा गौडर (नीलगिरि) : सभापति महोदय, सरकार किसी भी योजना के व्यापक रूप से बनाने में कठिनाई प्रतीत करती है । इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने भी अपना निर्णय दिया है कि सरकार इतने साधन रखते हुए भी एक बार में क्यों नहीं व्यापक योजना बनाती ।

मेरे विचार में सरकार प्रशासन की आवश्यकता से अधिक देरी को बचाना चाहती है । दूसरी बात जो विधेयक में दी गई है वह सरकार भूमि के मालिक को अधिक मुआवजा देने से बचना चाहती है । ऐसा करना ठीक नहीं है । यदि भूमि का मूल्य कम हो जाये तो सरकार को धारा 4 के अन्तर्गत दूसरी अधिसूचना जारी करने का अधिकार है परन्तु यदि भूमि के मूल्य बढ़ जायें तो भूमि के मालिक को घाटे से बचने का कोई रास्ता नहीं है । सरकार को जनता से व्यवहार करते समय ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए जिससे भूमि के मालिक को उसकी भूमि का अधिक लाभ मिले । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए भेजा जाये अथवा प्रवर समिति को भेजा जाये ।

श्री शिन्दे : सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये हैं । एक किसान होते हुए मैंने स्वयं ऐसी कठिनाइयां अनुभव की हैं । एक बार मेरी भूमि का एक भाग अर्जन कर लिया था तथा उसका मुआवजा मिलने में मुझे दस वर्ष लगे । इसलिये इस विधेयक की जो आलोचना हुई है उसकी मैं कदर करता हूं ।

जैसा कि सदन को पता है मूल अधिनियम 1894 में पास हुआ था तथा उसके पश्चात इसमें बहुत से संशोधन हो चुके हैं ।

मुझे उन सारी कठिनाइयों का पता है जो किसान को उसकी भूमि अर्जन से होती हैं तथा प्रशासनिक देरी होती है। इसीलिए मैंने कहा है कि अधिनियम की सारी योजना के बारे में एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये । यह समवर्ती सूची में आता है इसलिए राज्यों के प्रतिनिधि भी उनमें शामिल होने चाहिए। ऐसे ही कानूनी माहिर भी होने चाहियें। उस समिति की सिफारिश पर संसद में चर्चा होगी।

इस विधेयक के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। उदाहरण के लिये अधिसूचना की हद धारा 4 तथा धारा 6 में अब केवल 3 वर्ष कर दी गई है।

इस व्यवस्था से भी वर्तमान अधिनियम के क्रियान्वयन में सुविधा होगी।

कुछ सदस्यों ने समयावधि के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये हैं। उन्होंने कहा है कि यह समय 3 या 6 महीने का होना चाहिये। परन्तु यह एक बड़ा ही जटिल मामला है। स्वयं विधि आयोग ने जो समय सीमा निर्धारित की थी वह लगभग 27 या 28 महीने है। वास्तव में यह भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन होने वाली पूरी कार्यवाही के लिये है। प्रस्तुत विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि धारा 4 के अधीन जारी की जाने वाली घोषणा और धारा 6 के अधीन जारी की जाने वाली घोषणा के बीच 3 वर्ष से अधिक समय नहीं व्यतीत होना चाहिये। इससे अनेक बाधाएं दूर हो जायेंगी और विद्यमान अधिनियम की क्रियान्विति सुगम हो जायेगी। यदि उक्त दोनों घोषणा के बीच तीन वर्ष से अधिक समय गुजर जाता है तो भूमि अर्जन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करनी होगी।

एक दूसरी बात जिसके सम्बन्ध में गलत धारणा बन गई है, वह मुआवजे की राशि पर ब्याज देने के सम्बन्ध में है। मूल नियम में भी ब्याज देने का उपबन्ध है। परन्तु इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि यदि घोषणा के बाद मुआवजा तीन वर्ष के अन्दर नहीं दिया जाता तो इसके बाद भू-स्वामी को 6 प्रतिशत दर से ब्याज भी दिया जायेगा। अतः इसके बारे में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है ।

तीसरी कठिनाई यह है कि इस सम्बन्ध में जारी किये गये अध्यादेश को नियमित किया जाए अथवा उसे रद्द होने दिया जाये। यदि उक्त विधेयक पास नहीं किया जाता तो अध्यादेश रद्द हो जायेगा। अध्यादेश जारी करने का उद्देश्य यह था कि विभिन्न राज्यों में कुछ मामले ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से है जैसे भिलाई परियोजना और दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि। उदाहरणार्थ भिलाई के मामले में बहुत कुछ भूमि अर्जित की जा चुकी है और कुछ के लिये धारा 4 के बाद धारा 6 के अधीन कई घोषणाएं जारी की गई हैं। परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णय की धारा 6 के अधीन पहली घोषणा को छोड़कर शेष सभी घोषणाएं अवैध हो गई हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या भिलाई परियोजना की बनी हुई इमारतों को ढहा दिया जाये और वह जमीन भू-स्वामियों को वापस दे दी जाये। क्या ऐसा करना राष्ट्रीय हित में होगा? जो हम पहले कर चुके हैं, उसे तो वैध बनाना ही होगा। उन मामलों में जिनमें तीन वर्ष से अधिक विलम्ब हो गया है, मुआवजे के साथ ब्याज भी दिया जायेगा। ऐसा ही एक उदाहरण

आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज का भी है। ऐसे सभी मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है और ऐसी स्थिति में तत्सम्बन्धी घोषणाओं को वैध बनाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है।

दिल्ली के आस-पास अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में भी आलोचना की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां भूमि को अर्जित करने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जा रही है, वह दिल्ली के विकास के हित में की जा रही है, दिल्ली की मास्टर प्लान 1981 में पूरी होगी और उसके अनुसार उस समय तक लगभग 1,10,487 एकड़ पर शहर बसाये जाने की योजना है, जबकि वर्तमान शहर केवल 42,700 एकड़ पर बसा हुआ है। दिल्ली की जनसंख्या 1981 तक 46 लाख हो जायेगी। मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं ताकि लोगों की यह गलत धारणा दूर हो जाये कि अधिकतर भूमि गैर सरकारी कम्पनियों या उद्योगपतियों के लिए अर्जित की जा रही है। कुल अर्जित की गई भूमि का 42.9 प्रतिशत मकानों के लिये, 5.4 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र के लिये, 7.4 प्रतिशत सरकार के लिये, तथा 23.7 प्रतिशत मंनोरजन-स्थलों के लिये है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्योगों के लिये बहुत कम भूमि अर्जित की गई है।

मैं सभा को फिर यह आश्वासन देता हूं कि अधिनियम की पूरी व्यवस्था पर विचार किया जायेगा। संसद् सदस्यों की एक समिति इसके लिये गठित की जायेगी और इस समिति की सिफारशें जैसे ही प्राप्त होंगी, वैसे ही अधिनियम की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा और इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी जिससे लोगों की शिकायत दूर हो जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1994 में अग्रेतर संशोधन करने तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के कतिपय अर्जनों के मान्यकरण सन्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 177

Ayes — 177

विपक्ष में 88

Noes — 88

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा। खंड 2 के सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 1,5 और 14 प्रस्तुत हुए। श्री श्री निवास मिश्र और श्री अब्दुल गनी दार उपस्थित नहीं हैं। संशोधन संख्या 13 और 29 को भी प्रस्तुत किया गया मान लिया जाये।

श्री बलराज मधोक : मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह व्यवस्था है कि कलक्टर या उसके स्थान पर नियुक्त कोई अन्य अधिकारी दो-तीन वर्षों के दौरान कई रिपोर्ट दे सकता है और कई बार घोषणाएं जारी की जा सकती हैं। मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन से यह कमी दूर हो जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि भूमि अर्जन के लिये केवल एक घोषणा जारी की जानी चाहिये तथा मुआवजा अधिसूचना के अनुसार दिया जाना चाहिये। इससे भूस्वामियों का हित होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Under Section 6 the Government can make different declarations in respect of different parcels of land. I like that it should be done only twice and not more than that.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा संशोधन का उद्देश्य यह है कि भूमि अर्जन की पूरी कार्यवाही केवल 6 महीने के अन्दर पूरी हो जानी चाहिये, क्योंकि भूमि अर्जन विभाग के कर्मचारियों को जितना अधिक समय मिलता है, वे उतना अधिक ही किसानों को परेशान करते हैं और गड़बड़ी करके एक ही प्रकार की भूमि का मुआवजा विभिन्न दरों पर देते हैं। इससे भूस्वामियों का अहित होता है।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon): Regarding my amendment No. 29 I would like to say that much hue and cry was made about food but peasants are being deceived by the Government by way of acquiring their fertile land and not paying due compensation to them. If Government want land, they should acquire waste land and give due compensation in time to the owners of the land.

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा) : मंत्री महोदय ने कहा है कि मूल अधिनियम में कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, इसलिये विधेयक में 3 वर्ष की अवधि निर्धारित कर दी गई है। परन्तु उसने यह नहीं बताया कि 3 वर्ष का समय ही क्यों निर्धारित किया गया है। क्या सरकार इससे कम समय में घोषणा नहीं कर सकती ? मंत्री महोदय को इतने लम्बे समय के औचित्य के बारे में बताना चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह बताया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का जो प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, उसका निराकरण करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। परन्तु उक्त विधेयक तो इससे भी आगे बढ़ जाता है। भूतकाल में की गई गलतियों के आधार पर बने हुए भवनों को तो नहीं गिराया जा सकता और यह विधेयक केवल ऐसे मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिये था परन्तु इसमें

तो भविष्य के लिये भी यह व्यवस्था की गई है कि कई रिपोर्ट और कई घोषणाएं की जा सकती हैं। इससे तो सरकार को वैसी ही गलती और लापरवाही करने की अनुमति दी जा रही है। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि रिपोर्टों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिये।

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): उच्चतम न्यायालय के निर्णय में स्वयं न्यायधीश ने यह संकेत दिया है कि बिना विशेष उपबन्ध के धारा 6 के अधीन एक से अधिक घोषणा नहीं की जा सकती। इसी कठिनाई को दूर करने के लिये यह उपबन्ध किया जा रहा है जिससे वर्तमान अधिनियम के अधीन एक से अधिक रिपोर्ट की जा सकें।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 1, 5, 13, 14 और 29 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments No. 1, 5, 13, 14 and 29 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड-3—धारा 6 का संशोधन

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 6 और 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2 पंक्ति 12 में "have been made" [किये गये हैं] शब्दों के बाद "(whenever required)" [जब भी आवश्यकता हो] शब्द रख दिये जायें (24)

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मैंने इस आशय का संशोधन दिया है कि धारा 4 के अधीन जारी की जाने वाली तथा धारा 6 के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के बीच समय की अवधि 3 वर्ष से घटाकर एक वर्ष की जानी चाहिये। जैसा कि सर्वविदित है कि भूमि का मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। फिर भूस्वामी को बढ़ते हुए मूल्य का लाभ क्यों न हो ? यदि 3 वर्ष की अवधि रखने के पक्ष में सरकार यह तर्क देती है कि सरकार को योजना आदि तैयार करने में समय लगता है तो इसके लिये एक वर्ष का समय पर्याप्त है। तीन वर्ष का समय बहुत अधिक है।

यदि एक वर्ष से अधिक समय की आवश्यकता होती है तो सरकार को इससे बाद में 6 प्रतिशत की दर से भूस्वामी को ब्याज देना चाहिये ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यद्यपि भूमि विकास कार्यों के लिये अर्जित की जाती है परन्तु किसानों या भूस्वामियों की यह धारणा बन गई है कि ऐसा उन्हें परेशान करने के लिये किया जाता है, क्योंकि मुआवजा तत्काल नहीं दिया जाता ।

अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि मुआवजा देने के बाद भूमि अर्जित की जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Chairman, I would like to draw the attention of Government to the fact that the prices of land are fastly soaring up and in 3 years' period they reach a considerable height. In Delhi prices have gone up by 300 to 400 per cent. during last 3 years. So it is injustice that the Government pay less to land owners and charge more from the needy people. Government should not indulge in profiteering in respect of acquired land. So I want the Government to accept my amendment.

Shri Abdul Gani Dar : My amendment seeks to reduce the period of 3 years to 6 months. As we all know that the prices of land are increasing day by day. Government should make payment of compensation in accordance with the market value of the land and the price should be determined at the time of making payment of compensation. But it should also be considered that what a man, whose land has been acquired, will do for such a long period. It is good if he is compensated by giving the newly reclaimed land. It is possible in case of big irrigation projects like Bhakra Dam. Those people are really put to harrassment, whose land is acquired for industrialists, and which remains lying unutilized for long period There are more than one instances of this nature. In this way misfortune is being showered on poor peasants, who are the backbone of the country. Government should keep this thing in mind that if Government will continue to uproot the farmers like this, they will lose their patience and will bring a revolution against the Government one day. To destroy the farmers is to destroy the whole country, because our country is based on agriculturists. So I appeal to all that my amendment should be accepted.

श्री श्रीनिवास मिश्र : तीन वर्ष का समय इसलिये रखा गया है ताकि प्रशासन इस सम्बन्ध में मनचाही बदमाशी कर सके । आज भी ऐसा ही हो रहा है । प्रशासन जहां चाहे भूमि को अर्जित कर लेता है और फिर मामले को दबाकर बैठ जाता है । प्रशासन में सुधार करने के बजाय सरकार अब इस विधेयक द्वारा मामले को तीन वर्ष तक दबाये रखने को वैध बनाना चाहती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि समय की अवधि घटाकर एक वर्ष कर दी जाये, क्योंकि अधिकारी एक वर्ष में ही सम्पूर्ण आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं । अतः मैं चाहता हूं कि समय सीमा 3 वर्ष के बजाय एक वर्ष कर दी जाये ।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि जो कार्य किये जा चुके हैं, और जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अवैध घोषित हो चुके हैं, उन्हें मान्यता दी जाय, ताकि जो कार्य हो चुका है, वह ज्यों का त्यों बना रहे । दूसरे भूमि के बारे में

घोषणा करने तथा उसे अर्जित करने में समय तो लगता ही है। अतः विधेयक के बारे में जो 3 वर्ष की व्यवस्था की गई है, वह ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री मुहम्मद इमाम (चित्र दुर्ग) : मुझे अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस आशय के संशोधन संख्या 2 और 6 पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अतः इस संशोधन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो इस सम्बन्ध में अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री मुहम्मद इमाम : इस संशोधन के द्वारा मैं यह सुझाव देता हूं कि पूरे खण्ड 3 को हटा दिया जाये, क्योंकि इसका सम्बन्ध धारा 6 से है जिसमें यह व्यवस्था है कि केवल एक ही घोषणा की जाये। अब तक सरकार का यह रवैया रहा है कि वह कई घोषणाएं जारी करती है और भूमि को टुकड़े-टुकड़े करके अर्जित करती है। मूल अधिनियम में भी यह व्यवस्था नहीं है और उच्चतम न्यायालय ने ऐसी कार्यवाहियों को ठीक ही अवैध घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह राय प्रकट की है कि केवल एक ही घोषणा की जाये। यदि इस घोषणा के अनुसार भूमि का एक टुकड़ा ही अर्जित किया जाये, तो शेष भूमि को अर्जन के लिये धाराएं 4 और 6 के अधीन दुबारा नई घोषणाएं जारी करनी होंगी। इस प्रकार धारा 4 की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। अतः यह उचित नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की जाये। और इस खण्ड को रखा जाये जो किसानों के लिये मुसीबत बना हुआ है। आजकल सरकार की ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि वह उच्चत्तम न्यायालय के प्रत्येक ऐसे निर्णय को जो सरकार के प्रतिकूल होता है, अध्यादेश जारी करके अपने अनुकूल बना लेती है। इस प्रकार वह उच्चत्तम न्यायालय के निर्णयों की पूर्णतः उपेक्षा करती है, हालांकि उसके निर्णय उतने ही पवित्र होते हैं जितना कि स्वयं संविधान। यदि ऐसा किया गया तो जनतंत्र पद्धति में भी जनता का हित न हो सकेगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इस खण्ड की कोई उपयोगिता नहीं है अतः उक्त पूरे खण्ड को ही हटा दिया जाये और मूल खण्ड को ज्यों का त्यों रखा जाये।

श्री शिन्दे : तीन वर्ष की समय सीमा अधिकतम समय सीमा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्जन सम्बन्धी प्रत्येक कार्यवाही में तीन वर्ष का समय लगाया जाये। वास्तव में हम चाहते हैं कि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाये। हम इस अधिनियम की समूची योजना पर पुनर्विचार कर रहे हैं। जहां तक धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा का सम्बन्ध है जब तक घोषणा जारी नहीं हो जाती तब तक मूल भूस्वामी उस भूमि का स्वामी बना रहेगा। वह उस भूमि को अपने काम में ला सकेगा और उसके हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह समय सीमा बिल्कुल सही है क्योंकि अधिनियम की मूल योजना के अनुसार कुछ जांच पड़तालें की जानी होती हैं और इन जांच पड़तालों में कुछ समय लगता ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 2 (जो संशोधन संख्या 7, 17 और 22 जैसा ही है, 6 (जो संशोधन संख्या 21 जैसा ही है), 8, 15, 16, 18 और 30 मतदान के लिये रखूंगा। संशोधन संख्या 24 सरकारी संशोधन है। उसे मैं पृथक् से मतदान के लिये रखूंगा।

जो इन संशोधनों के पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इन संशोधनों का विरोध करते हैं वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी राय में 'हां' कहने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है, 'हां' कहने वाले जीत गये हैं।

श्री दत्तात्रेय कुंटे : (कोलाबा) : अतः संशोधन पारित हो गये हैं.....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं.....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं.....

एक माननीय सदस्य : संशोधन पारित हो गये हें। अब कोई मत-विभाजन नहीं हो सकता।

कुछ माननीय सदस्य : हम मत-विभाजन चाहते हैं।

श्री दत्तात्रेय कुंटे : 'हां' कहने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है, इसकी घोषणा दो बार हो गई है। अब मत-विभाजन नहीं हो सकता है।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : जब ये संशोधन पारित हो गये हैं तो सरकार को अब त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

श्री शिन्दे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : विनिर्णय दिये जाने के बाद व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मेरी राय हो सकती है परन्तु वे मत-विभाजन की मांग कर रहे हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मत-विभाजन की मांग बिल्कुल भी नहीं की गई थी।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : जब विपक्षी दल द्वारा दिये गये संशोधन पास हो गये हैं और उपाध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय भी दे दिया है। इसीलिये सरकार को उनके विनिर्णय को स्वीकार करना चाहिये।

श्री शिन्दे : मैं भी संशोधन देने वालों में से एक हूं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : उन्होंने अपना संशोधन कुछ समय के लिये छोड़ दिया था। हमारे संशोधन ही मतदान के लिये रखे गये थे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): These amendments have been passed which can be seen from the proceedings of the House. When the Deputy-Speaker has said: "The 'Ayes', have it, the 'Ayes' have it" there can be no division now. The Hon. friends opposite raised the question of the resignation of the Punjab Government on the plea that an amendment moved by the opposition there had been passed by the Punjab Vidhan Sabha. I repeat that very thing here and ask for the resignation of this Government.

श्री दत्तात्रेय कुंटे : मैं इस बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मेरे से पहले वक्ता ने ठीक ही कहा है कि शार्टहैन्ड में लिखी कार्यवाही से या टेप रिकार्ड की हुई कार्यवाही से यह साफ मालूम हो जायेगा कि आपने "आयेज हैव इट" एक बार नहीं अपितु दो बार कहा था बीच में आप जरा सी देर के लिये रुके भी थे। परन्तु किसी ने मत-विभाजन की मांग नहीं की।

डा० रामसुभग सिंह : नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : आप किसी के कहने पर न जायें। आप शार्टहैण्ड या टेप रिकार्ड की हुई कार्यवाही को देखकर ही निर्णय करें। ऐसा न किया जाना इस सभा के हित में नहीं होगा। यदि कोई गलती हुई है सत्तारूढ़ दल को इस गलती का परिणाम भुगतना ही चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय "दि आयेज हैव इट" कहने के बाद जरा सी देर रुके थे और तभी हमने मत-विभाजन की मांग की थी।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही को देखना आवश्यक नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि गलती हो गई है परन्तु उस गलती के कारण यह दावा नहीं किया जाना चाहिये कि मत-विभाजन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैंने तुरन्त ही मंत्री महोदय की ओर देखा था और वह तुरन्त खड़े हुए और उन्होंने मत-विभाजन की मांग की।.....**(अन्तर्बाधाएं)**

श्री अ० कु०सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : जब उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि अनजाने में गलती हो गई है तो इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : हम त्याग-पत्र पर जोर नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन यही है कि अब मत-विभाजन नहीं होना चाहिये क्योंकि इस तरह का भद्दा उदाहरण स्थापित करना इस सभा के लिये हितकर नहीं होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : By permitting a division at this stage we would be setting a very bad precedent. Therefore my submission is this that the records should be consulted before any decision is taken.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सभी पक्षों की बातें सुनी हैं। जब मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि गलती हो गई है, तो हमें इस तरह किसी बात पर अड़े नहीं रहना चाहिये। सत्तारूढ़ दल की मत-विभाजन की मांग बिल्कुल सही है और मैंने मत-विभाजन के लिये आदेश दे दिया है।

Shri George Fernandes (Bombay-South): I rise on a point of order. I want to draw your attention to rule 367 which says:

"(1) on the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No'."

Sub-rule (2) of this rule says:

"(2) The Speaker shall then say: "I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it". If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice: "The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it" and the question before the House shall be determined accordingly."

You, Sir, are the guardians of these rules. If you will try to change the decision taken in accordance with these rules, it would tantamount to violation of these rules. You should not try to shield this Government which has been badly let down by its own carelessness. You should not take this blame on yourself. You should not do anything in violation to these rules.

श्री दत्तात्रेय कुंटे : यह एक छोटी सी बात है जो इस विधेयक को दूसरे सदन में भेज कर ठीक-ठाक की जा सकती है। इसलिये गलती का सहारा लेकर कोई ऐसी बात नहीं की जानी चाहिये जो नियमों के विरुद्ध हो। यदि उपाध्यक्ष महोदय टेप रिकार्ड को नहीं देखेंगे या मेरे या किसी अन्य सदस्य के वक्तव्य की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जैसे ईमानदार व्यक्तियों के लिये सभा-भवन से उठकर चले जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता ही नहीं रह जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 367 में आगे यह दिया हुआ है "(3) (ख) दो मिनट बीतने पर वह प्रश्न को दूसरी बार रखेगा और घोषित करेगा कि क्या उसकी राय में "हां" वाले जीत गये या "ना" वाले।"

(ग) यदि इस तरह घोषित राय पर फिर आपत्ति की जाये तो वह निदेश देगा कि स्वचालित मतदान यंत्र को चला कर अथवा सदस्यों द्वारा सभा-कक्ष में जाकर मतदान किया जाये।

श्री कुंटे ने जो कुछ कहा है उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। सभा कक्ष खाली कर दिये गये हैं और अब मत-विभाजन होगा.....

इसके पश्चात श्री दत्तात्रेय कुंटे सभा भवन से उठकर चले गये।
Shri Dattatraya Kunte then left the House

कुछ माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

कई माननीय सदस्य सभा-भवन से उठकर चले गये
Several Hon. Members then left the House

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : I want to know whether it is a slip committed by the Congress Party or by you. If it is their slip you should not take it upon yourselves.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरी गलती है ।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : आपकी कोई गलती नहीं हुई है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इसीलिये तो हम नहीं चाहते थे कि कोई कांग्रेसी इस पद पर चुना जाये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री बलराज मधोक, श्री स० मो० बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से उठकर चले गये

Shri A. B. Vajpayee, Shri Bal Raj Madhok, Shri S. M. Banerjee and some other Hon. Members left the House

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 6, 8, 15, 16, 18 **और** 30 **मतदान के लिये रखे गये ।**

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 1, विपक्ष में 83

Ayes 1 — Noes 83

कुछ माननीय सदस्य : यंत्र काम नहीं कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वे अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : "ना" कहने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है । 'ना' कहने वाले जीत गए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 में

"have been made" ["किये गये हैं"] के पश्चात् "(wherever required)" ["(जहां कहीं आवश्यकता पड़े)"] शब्द रख दिये जायें (24)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेश्यक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर कुछ संशोधन है : संशोधन संख्या 9, 10 और 20 । संशोधन संख्या 20 संशोधन संख्या 10 जैसा ही है । संशोधन संख्या 19 और 23 भी हैं । सरकारी संशोधन संख्या 25, 26, 27 और 28 भी हैं । संशोधन संख्या 31 भी है । क्या इनमें से कोई संशोधन प्रस्तुत किया गया है ?

श्री शिन्दे : मैं संशोधन संख्या 25, 26, 27 और 28 प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

संशोधन किये गये

Amendments made

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 37,

"or" ["या"] शब्द निकाल दिया जाये । (25)

(2) पृष्ठ 3, पंक्ति 3,

"or" ["या"] शब्द निकाल दिया जाये । (26)

(3) पृष्ठ 3, पंक्ति 7 और 8,

"in pursuance of one or more reports made under section 5A thereof" ["उसकी धारा 5-क के अन्तर्गत दी गई एक या अधिक रिपोर्टों के अनुसरण में"] शब्द निकाल दिये जायें । (27)

(4) पृष्ठ 3, पंक्ति 25 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"(3) Where acquisition of any particular land covered by a notification under sub-section (1) of section 4 of the principal Act, published before the commencement of the Land Acquisition (Amendment and Validation) 1 of 1967. Ordinance, 1967, is or has been made in pursuance of any declaration under section 6 of the principal Act, whether made before or after such commencement, and such declaration is or has been made after the expiry of three years from the date of publication of such notification, there shall be paid simple interest, calculated at the rate of six per centum per annum on the market value of such land, as determined under section 23 of the principal Act, from the date of expiry of the said period of three years to the date of tender of payment of compensation awarded by the Collector for the acquisition of such land :

Provided that no such interest shall be payable for any period during which the proceedings for the acquisition of any land were held up on account of stay or injunction by order of a court ;

Provided further that nothing in this sub-section shall apply to the acquisition of any land where the amount of compensation has been paid to the persons interested before the commencement of this Act."

["(3) जहां मुख्य अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) 1967 का 1 अध्यादेश, 1967, के लागू होने से पहले प्रकाशित हुई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली किसी विशेष भूमि का अर्जन मुख्य अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत किसी घोषणा के चाहे वह ऐसे प्रारम्भन से पहले या बाद में की गई हो, अनुसरण में किया जाता है या किया गया है, और ऐसी घोषणा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष बाद की जाती है या की गई है, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य पर, जैसा कि मुख्य अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया हो, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से ऐसी भूमि के अर्जन के लिये कलेक्टर द्वारा मंजूर किये गये मुआवजे के भुगतान के टेंडर की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया जायेगा।

परन्तु किसी ऐसी अवधि के लिये जबकि किसी भूमि के अर्जन के बारे में कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा व्यादेश के कारण रोक दी गई हो ऐसा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यह उपधारा किसी ऐसी भूमि के अर्जन पर लागू नहीं होगी जिसके बारे में संबंधित व्यक्तियों को मुआवजे की राशि इस अधिनियम के लागू होने से पहले दे दी गई है।"]

—(श्री अन्ना साहिब शिन्दे)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि खण्ड 5, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 और 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 5 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister has said that after considering all aspects of land acquisition carefully Government would bring forward a comprehensive Bill in the next session of Parliament. I hope that Government will fulfil this commitment and thereby relieve the farmers of the hardships being faced by them at present.

श्री दत्तात्रेय कुंटे : हम ऐसा विधान पास करके जिससे वास्तव में सरकार को कोई सहायता नहीं मिलती और साथ ही जिससे किसानों को काफी नुक्सान होता है, उच्चतम न्यायालय के सुव्यक्त, स्पष्ट तथा विद्वतापूर्ण निर्णय का निरादर करने की परम्परा डाल रहे हैं । यदि हमने इस विधान को पास कर दिया तो यह देश के लिए अहितकर होगा क्योंकि हम इसके द्वारा यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इस संसद् अथवा इससे पहले की संसद् द्वारा पास किये गये कानून की न्यायालयों द्वारा की गई परिभाषा का आदर नहीं किया जायेगा यदि वह सत्ताधारी व्यक्तियों की आकांक्षा के अनुकूल नहीं है । इसलिये सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए ।

Shri Amrit Nahata (Barmer): The assurance given by the Minister to bring forward a comprehensive Bill which would be in consonance with the changed times is welcome. Government have to acquire land in the interest of modernisation and urbanisation. But the land acquisition law should be such as to cause only minimum hardship to the people.

In case Government decide to manufacture an atom bomb, they should give an assurance that they will not acquire land in Jaiselmar and Barmer districts of Rajasthan for testing atom bomb.

Shri Sheo Narain (Basti): The Land Acquisition, that is before this House, is very dangerous. Under the existing acquisition laws the farmers are suffering to a very great extent. The Government should acquire land only under very special circumstances. Even that should be done under a properly framed enactment.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): The farmers should be paid compensation at the time of acquisition of land and it should be paid at a reasonable rate. The farmer has to pay the land revenue even after the acquisition of land. The Government should pay the land revenue for the period during which the land remains under their possession.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah): We should not proceed with the Bill in a hurry. The Government should bring forward such a Bill which does not cause any difficulty to the farmers.

Shri Bal Raj Madhok (Delhi South); A majority of Members have opposed the Bill. The Government should not proceed with the Bill. This matter should be considered by the Parliamentary Commission, which is proposed to be appointed. A new Bill should be drafted in the light of their report.

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : उन लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिये जिनकी भूमि 1949 से अभिसूचित की गई है, संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद

करता हूं। परन्तु भूमि अर्जन सम्बन्धी विधि में पूर्णतया परिवर्तन किया जाना चाहिए, सरकार को प्रस्तावित संसदीय समिति शीघ्र ही गठित कर देनी चाहिए।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : इस विधेयक का लगभग सभी सदस्यों ने विरोध किया है, विधेयक को वापिस लेकर सरकार अब भी एक अच्छा कार्य कर सकती है। ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि मंत्री महोदय पहले ही यह वचन दे चुके हैं कि वह व्यापक विधेयक लायेंगे। उच्चतम न्यायालय भी संविधान का एक अंग ही है। इसलिए उच्चतम न्यायालय की व्याख्या का आदर करके संविधान की भावना का आदर किया जाना चाहिए।

Shri Hardayal Devgun (Delhi East): I vehemently oppose this Bill and request the House not to pass this Bill. The farmers are already very hard hit by the existing laws. The present Bill would further aggrevate the difficulties of the peasants. The whole House is opposed to this Bill.

Shrimati Laxmi Bai (Medok): I appeal the Hon. Members of the opposition to have a constructive approach to problems. We are interested in improving upon the performance of the Government whereas the opposition is only interested in overthrowing it.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): If the Government treats the judgements of the Supreme Court in such a manner, the court will fall in the estimation of the people. The Government should not be in a hurry to pass the Bill. It should be referred to the Attorney General for his opinion. I feel that this amendment has been brought without considering all the aspects and it is intended to validate the illegal acquisition of certain land in Delhi.

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : इस विधेयक का इतना विरोध हुआ है कि सरकार के लिए उचित यही होगा कि इस विधेयक को वापिस ले और एक और व्यापक विधेयक सभा में लाये। वर्तमान रूप में भूमि अर्जन अधिनियम बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त यह बहुत ही पुराना हो गया है। यह 1894 में पारित हुआ था। यह आवश्यक है कि पूरे विधेयक का पुनरीक्षण किया जाये और एक ऐसा अधिनियम बनाया जाये जिसका प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिये न किया जाये जिसकी भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित की जा रही है।

श्री शिन्दे : यह पहले ही बताया जा चुका है कि इस मामले की छानवीन करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी। यह मामला समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित करना होगा। इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही पूरे अधिनियम की जांच की जायेगी तथा सरकार एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगी। कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण हमें यह विधेयक लाना पड़ा है। इसमें किसी न्यायालय की अवहेलना का प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं सभा से इस विधेयक की सिफारिश करता हूँ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : विधेयक का प्रारूप बनाने वालों को कुछ अधिक सावधान

होना चाहिये। वित्तीय ज्ञापन बाद में शामिल किया गया था। इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The House divided

पक्ष में 149 :

Ayes 149

विपक्ष में 62 :

Noes 62

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : श्रीमान्, कल, 7 अप्रैल, 1967 के लिए सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

(एक) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क) संशोधन विधेयक, 1967

(आगे विचार करना तथा पारित करना)

(दो) संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पारित करना)

(तीन) वित्त विधेयक, 1967

(विचार तथा पारित करना)

(चार) अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, 1967

(विचार तथा पारित करना)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अत्यावश्यक वस्तुएं विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक सहित कई सरकारी विधेयक कल पारित किये जाने हैं, इन पर विचार के लिए अधिक समय मिलना चाहिए। इसलिये सदन की बैठक 10 अप्रैल को भी होनी चाहिये। लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के बन्द होने तथा और महत्वपूर्ण मामले भी उठाने आवश्यक हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): The weekly allocation of two and a half hours to Private Members' Business should not be taken away. If necessary the session may be extended for a day or two.

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) गैर-सरकारी विधेयकों के लिए दिया जाने वाला समय भी सरकार लेना चाहती है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्दी में पारित किया जायेगा। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : या तो कुछ विधेयकों पर विचार रोकना पड़ेगा अथवा अधिवेशन बढ़ाना होगा। देश के करोड़ों लोगों पर प्रभाव डालने वाले विधेयक पर चर्चा करने के अधिकार से सभा को वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : गैर-सरकारी कार्य के लिये दिया जाने वाला समय कम नहीं किया जाना चाहिए। यदि अधिवेशन की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती तो हम अधिक समय तक बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री एस० के० सम्बन्धन (तिरूतनी) : अत्यावश्यक वस्तुएं विधेयक खनिज उत्पाद विधेयक के शीघ्र बाद लिया जाना चहिये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : This matter may be settled in a meeting of Business Advisory Committee.

श्री कंडप्पन (मैटूर) : यदि अधिवेशन की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती तो अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक सबसे पहले लिया जाना चाहिये।

डा० रामसुभग सिंह : हम संविधान संशोधन विधेयक कल पहले लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह विधेयक कल पारित हो जाये।

श्रमिकों के हितों का संरक्षण हम भी चाहते हैं। यदि सभा चाहे तो हम अधिक समय तक बैठ सकते हैं। यदि सभा सहमत हो तो परसों बैठक रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 4 बजे लिया जा सकता है और सभा अधिक समय तक बैठ सकती है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The session may be extended by two days.

श्री स० मो० बनर्जी : यदि सभा शनिवार भी बैठे तो ठीक रहेगा।

डा० रामसुभग सिंह : मैंने यह स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का अधिवेशन शनिवार 8 अप्रैल को भी होगा।

खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन विधेयक

MINERAL PRODUCTS (ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE AND CUSTOMS) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का आशय 15 दिसम्बर, 1966 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को हटाना है।

जैसा कि सभा को मालूम है कि तेल की तीन बड़ी कम्पनियों अर्थात् मेसर्स बर्मा शैल, एस्सो और कैलटैक्स के साथ किये गये समझौतों की शर्तों के अनुसार भारत में मुख्य पेट्रोलियम उत्पाद के, तेल-शोधक कारखाने से बाहर के मूल्य 'आयात समता' के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। विक्रय मूल्य शोधक कारखाने के बाहर के मूल्य, विक्री व्यय, विपणन कम्पनियों के लाभ और प्राप्त शुल्क और करों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अवमूल्यन के पश्चात् कारखानों के बाहर के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। इस प्रकार तेल-शोधक कारखाने अधिक मूल्य निर्धारित करने के हकदार हो गये हैं। ऐसा पता लगा है कि इससे तेल शोधक-कारखानों को अधिक लाभ हुआ क्योंकि वे भारत में बने अपने उत्पादों का मूल्य भी अवमूल्यन के कारण आयातित उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण बढ़ाने के हकदार हो गये हैं। परन्तु देश में उत्पादन लागत आयात मूल्य के अनुपात से नहीं बढ़ी है। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए ही अधिक उत्पादन शुल्क लगाने का विचार है। परन्तु खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में संशोधन किये बिना मिट्टी के तेल, शोधित डीजल तेलों की कुछ किस्मों और हल्के डीजल तेल तथा बिटुमने के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में इन उत्पादों के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। यदि प्रस्तावित उत्पादन शुल्क वस्तुतः पूरा लगाया गया तो वह निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हो जाएगा। अतः इस विधेयक में इन उत्पादों के बारे में अधिक सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। पैट्रोलियम के अन्य उत्पादों के बारे में अधिकतम सीमाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पहले ही बहुत अधिक हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि अधिक ऊंचा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से उपभोक्ता को इन उत्पादों के लिए अधिक मूल्य नहीं देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिक उत्पादन शुल्कों के भार को उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

डा० रानेन सेन (बारसाट): वक्तव्य से ऐसा पता लगता है कि गत कुछ समय से विदेशी तेल कम्पनियां विशेषकर बर्मा शैल, एस्सो तथा कैल्टैक्स अवमूल्यन से लाभ उठाकर असाधारण लाभ कमा रही हैं। इन तेल कम्पनियों ने सदा ही हमारी कठिनाइयों से लाभ उठाने का प्रयास किया है। स्वतन्त्रता से पूर्व तथा पश्चात् भी इन कम्पनियों ने ऐसा किया है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार सदा इन कम्पनियों की दबाव की नीति के समक्ष झुकी है। अवमूल्यन के पश्चात इन कम्पनियों ने भारत से जो कपट किया है यह उनके लिए कोई पहला अवसर नहीं है। वे सदा ही ऐसा करती रही हैं।

मुझे याद है कि इन कम्पनियों में भारत में तेल तथा गैस का पता लगाने के लिए ठेका दिया था। इन कम्पनियों ने सार्वजनिक धन का अपव्यय किया और यह रिपोर्ट दी कि भारत में तेल तथा गैस नहीं है। परन्तु कुछ समय पश्चात रूस के तकनीकी विशेषज्ञों ने गुजरात तथा अन्य स्थानों में तेल तथा गैस का पता लगा लिया। मुझे याद है कि इन कम्पनियों ने कच्चे तेल के अपने साधनों के बारे में भी बताने से इन्कार कर दिया था। परन्तु इस सबके बावजूद सरकार आज भी इन कम्पनियों की शर्तों के अनुसार काम करती है और इनसे झगड़ा करने से डरती है।

रूस के तकनीकी विशेषज्ञों ने बम्बई तथा कैम्बे की खाड़ी तटदूर में तेल तथा गैस का पता लगाया था वे सरकार की हर प्रकार से सहायता करने को भी तैयार थे। परन्तु सरकार ने एक अमरीकी फर्म से करार किया जो कि बाद में इस करार से मुकर गई।

विदेशी तेल कम्पनियां विशेषकर बर्मा शैल, एस्सो तथा कैल्टैक्स से न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है बल्कि इन्होंने जो इलेक्ट्रानिक संगणक चालू किये हैं उनसे रोजगार की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

श्री पन्त ने कहा है कि इन अतिरिक्त करों के लगाये जाने से इन कम्पनियों को होने वाला अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा। परन्तु हमारा अनुभव यह है कि जब कभी भी भारत सरकार कोई कर लगाती है तो उसके फलस्वरूप मूल्य अवश्य बढ़ जाते हैं क्योंकि मूल्य निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ-साथ इन तेल कम्पनियों को होने वाले अतिरिक्त मुनाफे को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) एक साधारण व्यक्ति के अनाज की तरह मिट्टी का तेल भी अतिआवश्यक वस्तु है। लाखों करोड़ों लोग जिनको बिजली उपलब्ध नहीं है मिट्टी के तेल से ही गुजर करते हैं। पश्चिमी बंगाल के बसिरहाट जिले में गत वर्ष विद्यार्थियों ने तेल के लिए प्रदर्शन आदि किया था क्योंकि उनकी परीक्षा होने वाली थी और अध्ययन करने के लिए उनको तेल की आवश्यकता थी। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में तथा कम मूल्य पर जनसाधारण को सप्लाई करना सुनिश्चित करे। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार इन विदेशी तेल कम्पनियों के हाथों में खेल रही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) हम सदा से सरकार को कहते आ रहे हैं कि ये विदेशी कम्पनियां अवमूल्यन के पश्चात से असाधारण मुनाफा अर्जित कर रही हैं और इस समय तक उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए था। परन्तु इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि सरकार को अमरीका से सहायता लेनी है।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उपभोक्त वस्तुओं विशेषकर मिट्टी का तेल तथा अन्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि न होने दे। हम जानते हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है और आगे भी ये विदेशी कम्पनियां अधिक लाभ बनायेंगी और उपभोक्ता को कम लाभ होगा।

इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह सभा को आश्वासन दें कि तेलों के मूल्यों विशेषकर मिट्टी के तेल के मूल्यों को कम करने का प्रयास करेंगे। इन तेल कम्पनियों ने सरकार की कमजोर नीति का लाभ उठाकर कितने ही कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह एकाधिकार के मुनाफे को कम करें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): विदेशी तेल कम्पनियां बहुत शक्तिशाली हैं। दूर पश्चिम में उन्होंने सरकारों से खिलवाड़ किया है तथा उनका तख्ता पलटा है। उनके पास राजनैतिक शक्ति है। उनके द्वारा सप्लाई किए जाने वाले तेल के साथ राजनैतिक शर्तें लगी होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 7 अप्रैल, 1967/17 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 7th April, 1967/Chaitra 17, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—12-6-68—600